राजस्थान विधान सभा

सत्ताईसवीं बैठक, मंगलवार, दिनांक—२५ मई, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ५ बज कर १० मिनट
(मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ८४८

कॉटन प्रेस किशनगढ़ में सरकार का भाग तथा उसका आयात

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कॉटन प्रेस किशनगढ़ में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है और उससे ५३-५४ के साल में कितनी आवक हुई ?

(ख) इस कारखाने की कितनी पूँजी व्याज पर लगी हुई है और उससे प्रति वर्ष कितनी आवक होती है ?

(ग) क्या उक्त कारखाना सरकार के मेनेजमेंट में है ?

(घ) क्या सरकार इस कारखाने में रूई की गांठ बांधने की मशीन लगाने की सोच रही है ?

Page No.2

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री)--(क) कॉटन प्रेस किशनगढ़ में राजस्थान सरकार का एक रुपये में चार आने २ पाई हिस्सा है। फाइनेन्शियल साल इस प्रेस का दिवाली पर प्रारम्भ होता है। अतः सन् १९५३-५४ के आंक प्राप्त नहीं हैं। पर सम्वत् २००८-६ में गवर्नमेंट के हिस्से के ३७५०) रु० जमा हुये हैं।

(ख) इस कारखाने के ७८,५५१ रु० १४ आ० व्याज पर लगे हुये हैं और सम्वत् २००८-२००९ में व्याज की आय ३५००) रु० होती है।

(ग) इसका मेनेजमेंट बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स करते हैं और सब डिवीजनल आफिसर किशनगढ़ भी गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के मेम्बर हैं।

(घ) गांठ बांधने का प्रेस पहिले से ही लगा हुआ है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या ऊन की गांठें बांधने की कोई योजना है ?

श्री चन्दनमल वैद--क्या फरमाया ?

श्री चाँदमल मेहता--क्या वहां पर ऊन की गांठें बांधने की कोई योजना है ?

श्री चन्दनमल वैद-- अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ?

श्री चाँदमल मेहता--जो पूँजी व्याज में लगी हुई है उससे उद्योग को प्रोत्साहन दिलाने की क्या कोई योजना है ?

श्री चन्दनमल वैद--जो पूँजी व्याज में लगी हुई है वह आसानी से सारी की सारी निकल सकेगी ऐसा नहीं मानना चाहिये।

श्री चाँदमल मेहता--तो क्या इससे हम यह समझें कि जो पूँजी व्याज में लगी हुई है उसमें कोई खतरा है या उसे असुरक्षित समझें।

श्री चन्दनमल वैद--आसानी से न निकलने और असुरक्षित में अन्तर होता है।

प्रश्न संख्या ८४६

राजस्थान की अधिकांश भूतपूर्व रियासतों का उजाड़ होना

श्री चाँदमल मेहता--क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान की रियासतों की अधिकांश भूतपूर्व राजधानियां उजड़ रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

Page No.3

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—राजस्थान बनने पर भूतपूर्व राजधानियों की चहल-पहल एवं आर्थिक सम्पन्नता में कुछ कमी होना अनिवार्य था किन्तु यह कहना सही नहीं है कि वे उजड़ गई हैं या उजड़ रही हैं। फिर भी राजस्थान सरकार उन भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की कमी को किसी न किसी प्रकार पूरा करने के लिये कृत-संकल्प है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अब उन रियासतों में क्या रह गया है? अब तक वे क्या बनी रह गई हैं, क्या वे अब तक मर नहीं गई हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—रियासतों में तो कोई जान नहीं रही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—भूतपूर्व रियासतों में तो कोई जान नहीं रही है और परमात्मा चाहेगा तो राजस्थान में भी कोई जान नहीं रहेगी, लेकिन भूतपूर्व राजधानियों का क्या हाल है?

श्री टीकाराम पालीवाल—वे अब राजधानियाँ नहीं रह गई हैं। वे नगर हैं और अच्छे हैं। उन नगरों की, जैसा कि मैंने कहा आर्थिक स्थिति में कमी आई है। इसे उजाड़ना कहना तो अत्योक्ति होगी। कमी आना और उजड़ने में बहुत फर्क है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अब तक सरकार ने उनके लिये क्या-क्या किया है? जब कि आप यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कम पड़ गई है तो इन ५ सालों में सरकार ने उनको सुधारने के लिये क्या किया?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार ने गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार किया और कर रही है, समय-समय पर कुछ उपाय भी किये गये हैं; मसलन यह सोचा गया कि भिन्न-भिन्न नगरों में सरकार के भिन्न-भिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों को रखा जाय लेकिन हर हालत में यह प्रयोग सफल नहीं हुआ इसलिये सरकार विचार कर रही है कि वहां पर, जैसे सम्भव हो सके वैसे उद्योग-धन्धे बढ़ाने की कोशिश करें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कितना समय और लगेगा विचार करने में? ५ साल तो लग गये हैं; अब क्या ५ या ७ साल और लगेंगे?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, विचार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा; विचार कर लिया गया है। अब तो उद्योगों को पनपाने की बात है। इस काम को केवल सरकार ही नहीं कर सकती। इसमें यदि कुछ जनता योग देगी तो इन्डस्ट्रीज़ खोलने में सरकार भी सहायता देगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जब सरकार की तरफ से इतना इन्डिफरेन्ट एटिट्यूड दिखाया जा रहा है तो जनता सहयोग क्यों देगी?

Page No.4

श्री टीकाराम पालीवाल—यह बात ठीक नहीं है कि सरकार इन्डिफरेन्ट है। जनता इसमें सहयोग देगी तो वह अपना ही हित करेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण किया गया था और उसने जो तजवीज की उस पर कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही है कि ऐसी कमेटी नियुक्त की गई थी लेकिन यह सही नहीं है कि उसकी तजवीज पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को और उस पर जो कार्यवाही की गई है उसके विवरण को सदन के मेज पर रखने को तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस पर विचार किया जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—कब तक विचार किया जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ८५०.

श्री गौरीशंकर, डीग के महसूल इन्सपेक्टर का सन् १९५३ में निवाई में स्थानान्तर

श्री मानसिंह (वि० सं० ६८)—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state :—

(a) Was Shri Gori Shanker, Inspector Customs at Deeg, District Bharatpur, transferred from Deeg to Nibai in 1953 ?

(b) How many days did he attend to his duties at Nibai ?

(c) Was he not transferred from Deeg on complaints of accepting illegal gratification ?

(d) What are the reasons for his re-transfer back to Deeg ?

(e) Is it not a fact that the Customs Post at Deeg showed an increase in revenue during his absence ?

Page No.5

श्री भोलानाथ—डीग से नहीं, भरतपुर से बदले गये थे।

(ब) १२ दिन।

(स) नहीं।

(द) प्रबन्ध की दृष्टि से।

(ई) नहीं।

प्रश्न संख्या ८५१

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८५२

परबतसर तहसील में जल-कष्ट निवारणार्थ शासकीय योजना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

परबतसर तहसील में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)--हां, सरकार ने पंचायतों द्वारा कूओं और तालाबों की मरम्मत या निर्माण में सहायता देना निश्चित किया है। १००) रु० के काम के पीछे पंचायतें ३३) रु० देती हैं। ५६८५०) रु० पंचायतों द्वारा इस कार्य में सहायता के लिये दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता--क्या पानी के कष्ट को दूर करने के लिये इस उपाय को सरकार काफी समझती है ?

श्री रामकरण जोशी--अभी जो योजना चालू है। उसके अन्तर्गत यह कार्य शुरू कर रखा है।

श्री चांदमल मेहता--क्या दूसरी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामकरण जोशी--अभी नहीं है।

श्री भोपालसिंह—जहां पंचायतें नहीं हैं वहां क्या किया जाता है ?

Page No.6

श्री रामकरण जोशी--जहां पंचायतें नहीं हैं वहां एड हॉक कमेटी बना कर उक्त कार्य करवाने का सरकार विचार रखती है।

प्रश्न संख्या ८५३

भीमगंज मंडी, कोटा के बाजार में सड़क पर की स्टालों के सम्बन्ध में संघर्ष

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीमगंज मंडी, कोटा के बाजार में रोड पर स्थापित स्टालों (दूकानों) के चल रहे संघर्ष के मामले में राजस्थान सरकार ने क्या कोई सामयिक कदम उठाया है ? यदि हां, तो वह किस रूप में है ?

(ख) उक्त निर्णायक कदम कब से कार्यान्वित किया जाने वाला है ?

(ग) क्या इस निर्णय पर कोटा शहर की बहबूदी का पूरी तरह से ध्यान दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—जी हां। यह निर्णय किया गया है कि मेन रोड पर स्टालें दोनों ओर मुँह करती हुई बनाई जावें। इस भांति मेन रोड दो हिस्सों में विभाजित करदी जावे और वन वे ट्रेफिक (One way traffic) का प्रबन्ध कर दिया जावे।

(ख) कार्यवाही चालू है।

(ग) जी हां।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इस सम्बन्ध में एग्ज़िक्युटिव इन्जीनियर की रिपोर्ट ली गई थी ?

श्री रामकरण जोशी--जी हां, प्लान एप्रूव्ड है।

प्रश्न संख्या ८५४.

कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग करने वाले राजस्थान के असिस्टेण्ट कलेक्टर

श्री चाँदमल मेहता--क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने असिस्टेन्ट कलेक्टर हैं जो कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं ?

(ख) ऐसे असिस्टेन्ट कलेक्टर के हेड क्वार्टर्स कहां-कहां है ?

Page No.7

[श्री चाँदमल मेहता]

(ग) क्या किशनगढ़ के वर्तमान असिस्टेन्ट कलेक्टर को कलेक्टर के पॉवर उपयोग करने के अधिकार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(क) राजस्थान में इस समय १० असिस्टेन्ट कलेक्टर ऐसे हैं जो कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

(ख) इनके हेड क्वार्टर्स इन-इन स्थानों में हैं : कोटा, करौली, जेसलमेर, किशनगढ़, सिरोंज, भरतपुर, बयाना, धौलपुर, डीग और परतापगढ़।

(ग) हां, है।

श्री चाँदमल मेहता - क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि मौजूदा असिस्टेन्ट कलेक्टर, किशनगढ़ को कलेक्टर के पॉवर्स प्राप्त नहीं हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में ये पॉवर्स उनको हैं।

श्री चाँदमल मेहता--यदि उनको ये पॉवर्स नहीं हैं तो क्या शीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जब मैं यह कह रहा हूँ कि उनको ये पॉवर्स हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री चाँदमल मेहता---आपकी जानकारी गलत है।

प्रश्न संख्या ८५५

राजस्थान के गजटेड पद के लिए न्यूनतम वेतन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(a) What is the minimum salary fixed for a Gazetted post in Rajasthan ?

(b) Is it a fact that some such officers are paid a salary much lower than that ?

(c) Will the Government consider removal of this anamoly ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—(a) Rs. 100/-.

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(b) Government are not aware of any officer drawing pay less than the said scale. Suitable action will be taken if even one name of some such officer is disclosed.

(c) This question does not arise in view of the reply to part (b) above.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of information, Sir, if you permit me, appropos the question asked by Shri Chand Mal Mehta to the Hon'ble Finance Minister, what is the position if the Minister makes a false statement ?

श्री अध्यक्ष—The rules are very clear. You can come to me in the Chamber and I will explain to you.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The whole House will know if you . ...

श्री अध्यक्ष—Order, please !

प्रश्न संख्या ८५६

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८५७.

श्री अध्यक्ष--श्री महादेव प्रसाद ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८५८

बैंगू, जिला चित्तौड़गढ़ की प्राइमरी कन्या पाठशाला का किराया सरकार द्वारा देना

श्री सुगनचन्द जैन—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चित्तौड़ जिले में बैंगू प्राइमरी कन्या पाठशाला का किराया सरकार दे रही है ?

(ख) यदि नहीं, तो यह पाठशाला कब से बन्द है और कब से इसके किराये के मुतल्लिक कार्यवाही चालू है ?

[श्री सुगनचन्द जैन]

(ग) अब कब तक इसका किराया चुकाने का विचार है और अब तक नहीं चुकाने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ८५६

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८६०

सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की उन पदों पर नियुक्ति जिनका विज्ञापन जन-सेवा-आयोग द्वारा न हुआ

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that the Government have appointed some persons on the posts which were never advertised by the P. S. C. ?

(b) Is it a fact that this has been done under the cover that the posts are temporary ?

(c) Is it a fact that the Government is continuously giving them extensions for years together ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—(a) Yes.

(b) For temporary appointments for a period of 6 months reference to Public Service Commission is not necessary.

(c) Extensions to Temporary appointments beyond six months have been sanctioned with prior concurrence of the Public Service Commission or in anticipation of such sanction, wherever such sanction is required under the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations.

[श्री टीकाराम पालीवाल]

There might have been a few cases of non-observance of these Rules and if specific cases are mentioned they will be examined.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह्—Has the Public Service Commission complained against these affairs of the Government ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I can enquire, I do not know.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कस्टम्स एन्ड एक्साइज़ में पिछले तीन-चार वर्ष से इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने उत्तर दिया है कि ऐसे कई केसेज़ हैं, स्पेसिफिक केसेज़ बताये जायं तो कहा जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में स्पेसिक केसेज् का जिक्र किया गया था, इसलिये पूछता हूँ कि कस्टम्स एण्ड एक्साइज् विभाग में ३-४ वर्षों से इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एक जनरल सवाल था इसलिये जनरल जवाब दिया गया है, स्पेसिफिक केसेज् बताइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या डेवेलपमेंट विभाग में भी इसी प्रकार की परिस्थिति चल रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या डेवलपमेंट विभाग में नियुक्तियाँ टेम्परेरी आधार पर की गई हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बताया कि कुछ नियुक्तियों को टेम्परेरी तौर पर करना जरूरी होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ६ महीने बाद उनकी मयाद बढ़ाई जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कभी-कभी इस तरह के एक्सटेन्शन देना जरूरी होता है : And this is always usually done with the previous concurrence of the Public Service Commission with the exception of rare cases.

Page No.11

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि कुछ केसेज में पब्लिक सर्विस कमीशन से इजाजत नहीं ली गई है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८६१

महाराजा किशनगढ़ मिल्स का कार्य प्रारम्भ कराने की शर्तें

श्री चाँदमल मेहता--क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) महाराजा किशनगढ़ मिल्स, किशनगढ़ को किन शर्तों पर वापिस चालू कराया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त शर्तों का पालन मिल मालिक द्वारा नहीं किया जा रहा है ?

(ग) यदि हां, तो मिल मालिक के खिलाफ कितनी शिकायतें सन् ५३-५४ में श्रम-विभाग के समक्ष पेश की गई और उनमें से कितनों पर फैसले किये जा चुके हैं ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—(क) महाराजा किशनगढ़ मिल्स लि०, किशनगढ़ के मालिकों व मजदूरों के बीच एक समझौता ता० ११।५।५३ को हुआ । उसके अनुसार मिल वापिस चलने लगी ।

(ख) हां ।

(ग) दो शिकायतें पेश हुईं । चूँकि समझौते के अनुसार सारे आपसी झगड़े ३ साल तक मालिक व मजदूरों के संयुक्त बोर्ड द्वारा तय किये जायेंगे जिनमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माफिक इस प्रकार का फैसला रद्द हो गया है ?

श्री रामकरण जोशी—सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माफिक आपस का फैसला रद्द नहीं हो गया है । आपसी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूर्व हो गया था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या भूतपूर्व सुखाड़िया-एवार्ड ही अभी का एवार्ड समझना चाहिये ।

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल अलग है, अलग से पूछिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन्होंने उस फैसले को......(अश्रव्य) पर माना गया है उसके अनुसार आपसी समझौता वोइड (void) होता है ।

Page No.12

श्री अध्यक्ष—It's a legal Question.

प्रश्न संख्या ८६२

श्री अध्यक्ष—श्री घासीराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८६३

जिला चित्तौड़गढ़ में नाजायज शराब बनाने सम्बन्धी मुकद्दमे

श्री सुगनचन्द जैन—क्या पृथक् राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला चित्तौड़गढ़ में इस साल कितने नाजायज तौर पर शराब निकालने वालों के मुकद्दमें दायर हुए हैं ?

(ख) इसमें से कितनों को सजा हुई है व कितने पेंडिंग हैं और कितने अदालत में चल रहे हैं तथा कितने डिपार्टमेंट में पेंडिंग हैं एवं कौन-कौन सी तारीखों को दायर हुए हैं ?

(ग) बेंगू सब डिविजन की तफसील नामवार जुदा बताने की कृपा करें।

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मंत्री)—(क) जिला चित्तौड़ में इस वर्ष ५३-५४ में नाजायज शराब निकालने के कुल १४३ मुकद्दमें दायर हुए हैं।

(ख) कुल ४३ मुकद्दमें फैसल हुए हैं जिनमें से कोर्ट द्वारा ३ को सजा हुई और २ डिस्चार्ज हुए हैं और ३८ को डिपार्टमेंट द्वारा सजा हुई है।

१८ मुकद्दमें कोर्ट में जेर कार्यवाही हैं।

८२ डिपार्टमेंट, जेर कार्यवाही हैं।

उपरोक्त मुकद्दमें तारीख १-५-५३ से १५-३-५४ तक दायर हुए हैं। नामवार और तारीख वार ब्यौरे का नक्शा सदन की मेज पर रखा है।

(ग) बेंगू सर्कल में कुल १२ मुकद्दमें इस तरह से दायर हुए हैं :

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में मेज रखी गई है।)

कोर्ट से एक को सजा तथा डिपार्टमेंट से ६ को सजा हुई है। जेर तजवीज ५ मुकद्दमें हैं।

Page No.13

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस तरह के केसेज़ पकड़े जाते हैं तो क्या माल भी जब्त किया जाता है ?

भोलानाथ—हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब्त किये हुए माल का सरकार क्या करती है ?

श्री भोलानाथ—जब्त किये हुए माल को सरकार नीलाम कर देती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नीलाम करने का कौनसा कायदा है ?

एक माननीय सदस्य—According to Rules.

प्रश्न संख्या ८६४

डेगाना, ईडावा, पालड़ी, नीमड़ी, जावला सड़क का निर्माण तथा इस पर चलने वाली बस-सर्विस

श्री भोपालसिंह—क्या ट्रान्स्पोर्ट मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार डेगाना, ईडवा, पालड़ी, नीमड़ी, जावला सड़क को बनाना उपयुक्त समझती है ?

(ख) क्या यहाँ बस-सर्विस १० साल से चलती है ?

(ग) क्या यह सच है कि यह बस-सर्विस बहुत उपयोगी है ? और इस लाइन पर बड़ी आबादी के बने हुए गाँव बसे हुए हैं ?

(घ) क्या इस सड़क को पक्की न बना कर अभी मुड़ की ही बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—(क) इस विषय पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) नहीं। यहाँ बस-सर्विस सन् १६४६ से चलती है।

(ग) क्योंकि डेगाना से जावला एक दूसरा सीधा, छोटा और मेटल्ड रास्ता है इसलिये यह सर्विस अब उतनी उपयोगी नहीं रही जितनी कि पहले थी।

हाँ, करीब १५०० की आबादी के २ गाँव हैं।

(घ) अभी जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर से प्रकट हुआ कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री भोपालसिंह—क्या मैं बता सकता हूँ कि पालड़ी के बजाय दूसरे गाँव इस सड़क पर

[श्री भोपलसिंह]
जो आ गये हैं वे बहुत महत्त्व रखते हैं ? क्या उनकी सुविधा के लिये सड़क को बनाना उपयोगी नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी--महत्त्वपूर्ण तो कौनसी जगह नहीं है, सब जगह अपना कुछ न कुछ महत्व रखते ही हैं।

श्री भोपालसिंह—जहाँ सर्विस चलती है उसे सरकार महत्त्वपूर्ण समझती है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—लोगों को फायदा हो, इसके लिये सर्विसें चलती हैं।

श्री भोपालसिंह—तो वहाँ सुविधा दी जायगी या नहीं ? सुविधा देने के लिये सड़क बनाई जायगी या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी--सरकार की योजना के माफिक सड़कें बनती हैं।

श्री भोपालसिंह—इस सड़क को बनाने के लिए सरकार विचार करेगी या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—सड़कों को बनाने का प्रश्न सामने होगा तो जरूर विचार करेगी।

श्री भोपालसिंह—कब प्रश्न सामने आयेगा ?

श्री रामकरण जोशी—पब्लिक की आवश्यकताओं और माँग को देखते हुए यथा-समय।

श्री भोपालसिंह—तो क्या इसके लिये पब्लिक की माँग नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—पब्लिक की माँग है उसी के माफिक विचार भी वक्त पर होगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६५

नव-निर्मित सीकर जिला बोर्ड के सदस्य

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नव-निर्मित सीकर जिला बोर्ड के सदस्यों में कितने सदस्य ऐसे हैं :

(१) जो म्युनिसिपल कस्बों के रहने वाले हैं,

(२) जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा लगाये जाने वाले करों से मुक्त रहेंगे,

(३) जागीरदार सदस्य, जिनको १०,००० से नीचे की आमदनी होने के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर से मुक्त रहेंगे,

[श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)]

(४) जो १०,००० से अधिक आमदनी वाले जागीरदार हैं।

(ख) क्या यह सही है कि जिन नामों के लिये स्थानीय अधिकारियों ने सरकार को लिखा था उनको जिला बोर्ड में मनोनीत नहीं किया गया है ?

(ग) जिला बोर्ड के सदस्य मनोनीत करने में सरकार ने क्या माप-दण्ड मान रखा है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—क. १. तीन

१. श्री शिवदेव तिवाड़ी, फतहपुर

२. श्री नारायणलाल, फतहपुर

३. श्री ज्ञानचन्द मोदी, नीमका थाना ;

२. कोई नहीं।

३. छः

१. श्री शिवनाथसिंह पाटोदा

२. श्री ओनाडसिंह कल्याणपुरा

३. श्री नजीर खाँ खीरवा

४. श्री उजागरसिंह मऊ

५. श्री हरिसिंह खंड

६. श्री भैरूँसिंह सिहासन।

४. कोई नहीं।

ख. मनोनीत करने का अधिकार सरकार पर निहित है।

ग. जिन सज्जनों को सरकार ने जन-सेवी समझा उनको मनोनीत किया गया।

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—जो तीन सदस्य लिये गये हैं क्या वे भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस जमा कराते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं।

श्री भैरोंसिंह—जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस जमा नहीं कराते वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर कैसे हो सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सेस जमा नहीं कराने वाले उस बोर्ड के मेम्बर नहीं बन सकेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाऊँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो नये कानून बनाये गये हैं उनमें ऐसा नियम है।

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से ऐसा तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—म्युनिसिपल कस्बों के लिये है ?

श्री रामकरण जोशी—वह अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह—मनोनीत करने की सरकार ने क्या आवश्यकता समझी ?

श्री रामकरण जोशी—आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें मनोनीत किया गया है।

श्री भैरोंसिंह—तो क्या कानून बनाया गया था, उस वक्त आवश्यकता नहीं समझी गई थी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६६

पूर्व बीकानेर एकक के अनिवार्य शिक्षण-पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को वेतन सम्बन्धी व्यय पर दो तिहाई भाग सरकार द्वारा देना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(a) Is the Government paying 2/3 of the expenditure in respect of pay of teachers employed in the Compulsory Education Schools of the former Bikaner Unit ?

(b) Is the Government aware that the teachers employed in these schools have not been receiving their salaries regularly ?

(c) Have the teachers of the Compulsory Education School, Rajgarh made any representation to the Government about it ?

(d) What is the amount of money due to them for salaries which to this day has remained unpaid since the formation of Rajasthan ?

(e) What steps does the Government propose to take to see that these teachers get their salaries regularly ?

Page No.17

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(ए) हाँ।

(बी) नहीं।

(सी) नहीं।

(डी) प्रश्न नहीं उठता।

(इ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि वहाँ के स्कूल के अध्यापकों ने एक नहीं, तीन-तीन अर्जियें सरकार के सामने प्रस्तुत की है ?

श्री भोलानाथ—कौनसा प्रश्न पूछ रहे हैं ? कोई अर्जियें नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं प्रश्न संख्या ८६६ पूछ रहा हूँ जिसमें मुझे उत्तर मिला है (बी) में कि नहीं; मैं सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूँ कि वहाँ के अध्यापकों ने एक नहीं तीन-तीन अर्जियें प्रस्तुत कीं ?

श्री भोलानाथ—सरकार के पास कोई दरख्वास्त नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि पिछले अक्टूबर के महीने में भूख-हड़ताल के नोटिस तक की इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल को सूचना दी थी ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इससे यह समझा जावे कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल को दी गई सूचना सरकार के पास नहीं पहुँची।

श्री भोलानाथ—यह मेरे नोटिस में नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं गवर्नमेंट के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इसकी इत्तिला गवर्नमेंट के पास भी एक कॉपी द्वारा भेजी गई थी और दूसरे लोगों को भी इसकी कॉपी दी गई थी। अगर माननीय मन्त्री चाहें तो मैं तारीखवार बता सकता हूँ। क्या उनको सेलेरी देने के बारे में आदेश दिया गया ?

श्री भोलानाथ—सेलेरी दे दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि उनके १८ बिल जो कि हजारों रुपयों की तादाद में हैं अभी तक पड़े हैं।

Page No.18

श्री भोलानाथ—किस स्कूल के कितने रुपये बाकी हैं, अगर आप बता दें तो उत्तर दिया जाए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं आपको बताता हूँ कि मैंने २॥ महीने पहले १८ बिल आपके विभाग को एन्डोर्स करके भेजे थे उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई बताते हैं।

श्री भोलानाथ—यह स्कूलें म्युनिसिपेलिटी की हैं और म्युनिसिपेलिटी बराबर पेमेन्ट कर रही है। इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि इसके खर्चे का दो तिहाई जिम्मा सरकार ने लिया था?

श्री भोलानाथ—सही है। सरकार एड (aid) देती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार जिन स्कूलों के बारे में जिम्मा ले चुकी है उनके अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसका जिम्मा सरकार का नहीं है?

श्री भोलानाथ—अगर कोई गलती करते हैं तो उनकी एड बन्द की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

(श्री एच. के. व्यास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—A particular time-limit is limited for every question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is true, but unfortunately what to do when once it is said that the salaries have been paid; another time it is said that the Government is not responsible and for the third time it is said that they have not received the recommendation. I have sent the recommendation.

श्री अध्यक्ष—What I can understand is that there is a little misunderstanding——

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—I think the question itself was a misleading question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The question should not be objected to, Sir.

श्री अध्यक्ष—What I could understand is that these schools are not run by the Government but they are Government aided schools and are run by

Page No.19

[श्री अध्यक्ष]

municipalities. So the payment of the salaries is not the responsibility of the Government......that the resoponsibility of the Municipal Board which run these schools.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is not exactly true, Sir, They were started under the orders of the former Bikaner Government and as a result of the local effort they were diverted to the local bodies...

श्री अध्यक्ष—You can ask another supplementary...

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that these schools were started under orders of the former Bikaner State Government ?

श्री भोलानाथ—(अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it not a fact that these schools were started under the orders of the former Bikaner Government ?

श्री अध्यक्ष—Which schools ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—These schools referred to in my question known as Compulsory Education Schools in Bikaner Division ?

श्री भोलानाथ—गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको ग्रान्ट इन एड देना तय किया था और वह दी जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहिये।

(अश्रव्य)

श्री भोलानाथ—म्युनिसिपेलिटी से इसका कन्सर्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह स्कूल भूतपूर्व बीकानेर गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं किया गया था ?

श्री भोलानाथ—ग्राण्ट देने का अर्थ है कि राज्य ने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६७

पीथ (जिला डूंगरपुर) के निवासियों द्वारा हाई स्कूलों के लिये प्रार्थना-पत्र !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(a) Has the Government received any representation from the residents of Peeth, District Dungarpur for a High School ?

(b) Is it a fact that the residents of Peeth have already got constructed a building suitable for a High School ?

(c) Will the Government state why steps are not being taken to locate the High School there ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(ए) हाँ ।

(बी) हाँ ।

(सी) इमारत बन गई जिसमें मिडिल स्कूल चल रहा है । अन्य इस प्रकार की दूसरी स्कूलों को हाई स्कूल बनाने के प्रश्न के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार का विचार करते समय उन लोगों ने, जो बिल्डिंग बना कर देने को तैयार हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जावेगा ?

श्री भोलानाथ—इससे भी पहले जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ-साथ इस पर भी विचार किया जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन पर ध्यान तो अवश्य दिया जावेगा ?

श्री भोलानथ—इसके लिये पहले कह दिया है ।

प्रश्न सं० ८६८

जयपुर शहर म्युनिसिपेलिटी के अन्तर्गत बनीपार्क के विकास की योजना

श्री श्रीगोपाल भार्गव—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.21

[श्री श्रीगोपाल भार्गव]

(क) जयपुर शहर म्युनिसिपेलिटी के अन्तर्गत बनीपार्क स्कीम को डेवेलप करने की स्कीम कब बनाई गई थी ?

(ख) कितने समय में इसको पूरा करने की बात तय की गई थी ?

(ग) सरकार ने अपनी ओर से क्या-क्या काम अर्थात् एक नई बस्ती को आधुनिक ढंग से बसाने के लिए जिन-जिन आवश्यक सहूलियतों की प्रारम्भ में आवश्यकता होती है पूरा करने का जिम्मा लिया था और प्लॉट खरीदने वालों पर क्या क्या काम करा लेने का भार छोड़ा गया था ?

(घ) क्या सरकार ने उन सब कार्यों को जिनको करा देने का जिम्मा अपने पर करा लिया था पूरा करा दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं कराया गया और अब उन्हें कब पूरा करा दिया जायगा ?

(ङ) सरकार ने बनीपार्क स्कीम के प्लॉट बेच कर कितना रुपया इकट्ठा किया था और उसमें से कितना कितना रुपया किस किस मद में खर्च किया गया और कितना रुपया बचा हुआ है ?

(च) गत चार वर्षों में बनीपार्क स्कीम पर खर्च करने के लिये सरकार ने अपने बजट में प्रत्येक वर्ष में कितना कितना रुपया मन्जूर किया था और इसमें से कितना कितना रुपया प्रत्येक वर्ष में किस किस मद में खर्च किया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) बनीपार्क स्कीम सन् १९३८ में मन्जूर हुई थी।

(ख) स्कीम को डेवेलप करने का कोई निश्चित समय तय नहीं हुआ था।

(ग) सरकार ने सड़क बनाने व पानी और बिजली की लाइनें डालने का जिम्मा लिया था। प्लाट खरीदने वालों के लिए पट्टा मिलने की तारीख के उपरान्त ६ महीने के नियत समय में अहाता बाउंड्री वॉल बनाने तथा १८ महीने के समय में सम्पूर्ण भवन (बिल्डिंग) बनाने का भार छोड़ा गया था।

(घ) सरकार ने जिन कामों का जिम्मा लिया था उनमें से अधिकतर सड़कें तैयार हो गई हैं तथा पानी और बिजली की लाइनें भी अधिक स्थानों पर डलवा दी गई हैं। जो अवशेष हैं उनको शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न जारी है।

[श्री रामकरण जोशी]

(ङ) सरकार ने प्लॉट बेच कर करीबन ६,६०,००० रुपया संचित किया था। उसमें से करीब ३,२०,००० रुपये सड़क बनाने तथा पानी व बिजली आदि और जमीन के समतल कराने में खर्च किया गया। ७५,००० रुपये केवल सड़क बनाने व मरम्मत कराने में खर्च किया है; सिर्फ २,६५,००० रुपया अवशेष है।

(च) सन् १९५०-५१ में ३,००,००० रुपया सब स्कीमों के लिए सड़कें बनवाने व मरम्मत कराने के लिए मन्जूर हुआ था। उसके उपरान्त दूसरे वर्षों में रुपया मन्जूर नहीं हुआ जो रुपया मन्जूर ऊपर के वर्षों में हुआ उसमें से करीब ७५,००० रु० बनीपार्क स्कीम की सड़कें बनाने में व मरम्मत कराने में खर्च हुआ।

श्री श्रीगोपालाल भार्गव—(अश्रव्य) क्या वहाँ बिजली की सुविधा है ?

श्री रामकरण जोशी—जी हाँ। आवश्यकता है जहाँ है। मैंने...

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वहाँ बिजली के खम्भे लगाने की योजना है ?

श्री रामकरण जोशी—जहाँ पर आबादी है, वहाँ पर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि बाहर के इलाके में एक भी बिजली का पोल नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या स्वयं मन्त्री महोदय वहाँ पर अपनी गाड़ी लेजाकर इसका निरीक्षण करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ८६१

श्री अध्यक्ष-श्री रघुराजसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य—I have got the authority, Sir,

श्री अध्यक्ष—I have received the letter, but your name is not mentioned. It was a blank cheque, I think. (हँसी)

[श्री अध्यक्ष]

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८७०

अध्यापकों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक अवकाश

श्री चाँदमल मेहता--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या अध्यापकों को केजुअल लीव के अतिरिक्त भी सवेतन छुट्टियाँ दी जाती हैं।

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और किस विशेष स्थिति में।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) अध्यापकों में जो वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दूसरे सरकारी मुलाजमान में (जो नौन वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं) सवेतनिक अवकाश के विषय में इतना ही अन्तर है कि दूसरे मुलाजमान (चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त) को ११ महीने काम करने पर १ महीने की प्रिविलेज लीव पूरे वेतन पर मिलती है जब कि अध्यापकों को ऐसी छुट्टी केवल २० दिन के लिए और सिर्फ अर्द्ध वेतन पर मिलती है। शेष प्रकार के सवेतन अवकाश अध्यापकों को भी उसी प्रकार मिलते हैं जिस प्रकार सरकारी मुलाजमान को। इन अवकाशों का तथा जिन परिस्थितियों में यह अवकाश प्राप्य हैं उनका वर्णन राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के पृष्ठ ४७ से ७७ तक देखा जा सकता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न सं० ८७१

ग्राम रईया गुजरान [तहसील सवाई माधोपुर] के किसानों के लिए पेय-जल के कूओं की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.24

[श्री श्रीदास गोयल]

(क) क्या ग्राम रईया गुजरान तहसील सवाई माधोपुर के अन्तर्गत किसानों के लिए पानी पीने को किसी कुए की उचित व्यवस्था नहीं है ?

(ख) क्या वहाँ के ग्रामीणों ने दो कुए खोदना भी आरम्भ कर दिया है, पर धनाभाव से वे उसे बनवा नहीं सकते ?

(ग) क्या जिला सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो हजार रुपया देने की सिफारिश की थी ?

(घ) क्या सरकार इन कुओं के बनवाने के लिए अतिशीघ्र सहायता देगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) श्रमदान द्वारा २ कुए ग्रामवासियों ने बनवाये हैं। उनमें एक कुआ २० हाथ व दूसरा १२ हाथ खुद चुका है मगर आगे पत्थर आ जाने से आगे खोदने में वे असमर्थ रहे।

(ग) उक्त सिफारिश के आधार पर १५०० रुपये की स्वीकृति भी दी जा चुकी थी।

(घ) स्पष्टतया नियमानुसार अपनी आवश्यकता बताने पर अवश्य सहायता दी जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि १५००) रुपये की जो मन्जूरी दी गई थी मार्च के बाद लेप्स हो गई ?

श्री रामकरण जोशी—इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दूँगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह १५००) रुपये जो अभी तक नहीं मिले हैं अब एक सप्ताह में उनको मिल सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जरूर।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ८७२

चोथ का बरवाड़ा [तहसील सवाई माधोपुर] में सम्वत् २००५ में शराब का ठेका।

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री वीरेन्द्रसिंह]

(क) चोथ का बरवाड़ा [तहसील सवाई माधोपुर] का शराब का ठेका सं० २००५ में किसको दिया गया था ?

(ख) क्या उक्त ठेकेदार में उस समय से ४२७१) बकाया है ?

(ग) यदि बकाया है तो ठेकेदार के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की गई है ?

(घ) अब सरकार इस रकम की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(ङ) क्या ठेकेदार का कोई जमानतदार भी है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) चोथमल वल्द रामप्रताप को।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न सं० ८७३

सन् १९५४-५५ में सरकार द्वारा खोले गये हाई स्कूल

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५४-५५ में सरकार द्वारा कितने हाई स्कूल खोले गए ?

(ख) इसके लिए किन-किन स्थानों को उपयुक्त समझा गया है ?

(ग) इन स्थानों को चुनने का आधार क्या रखा गया है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) अभी यह निश्चय नहीं किया गया है कि इस वर्ष कितने हाई स्कूल खोले जावेंगे ?

[श्री भोलानाथ]

(ख) इस वर्ष हाई स्कूल खोलने के लिए जिन २ स्थानों को उपयुक्त समझा गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(ग) हाई स्कूल खोलते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है :

१. छात्रों की संख्या और आस-पास के मिडिल स्कूल।

२. भवन की सुविधा।

३. तहसील में किसी और हाई स्कूल का न होना।

४. पिछड़े हुए स्थान।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री राजा मानसिंह—On a point of order, Sir, whose question is being answered ?

श्री अध्यक्ष—No. 873. Shri Birendra Singh's.

राजा श्री मानसिंह—The Hon'ble Member said 872, Sir.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is not attentive,

प्रश्न संख्या ८७४

टोंक से उनियारा, सवाई माधोपुर तथा इन्द्रकढ़ के लिए बस सर्विस

श्री सरदारसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक से उनियारा, सवाई माधोपुर और इन्द्रगढ़ के लिये किस-किस की बस-सर्विस चलती है ?

(ख) उनका रूट कहाँ-कहाँ होकर है ?

(ग) इस रूट पर क्या किसी की मोनोपोली है ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—(क) टोंक से आमली उनियारा होकर टोंक से सवाई माधोपुर और टोंक से इन्द्रगढ़ तीनों पृथक्-पृथक् रूट हैं। इन पर निम्नलिखित व्यक्तियों की बस-सर्विस चलती है :

टोंक से आमली:	१. श्री महमूद खाँ	२ बस
	२. श्री शेख जमाल	१ बस
टोंक से सवाई माधोपुर :	१. श्री बद्रीदास कन्हैयालाल	१ बस
	२. श्री जसवन्तसिंह	१ बस
	३. श्री महमूद खाँ	१ बस
टोंक से इन्द्रगढ़ :	१. श्री किल्की प्रसाद	१ बस
	२. श्री रूपचन्द	१ बस

(ख) टोंक से आमली का रूट अलीगढ़ तथा उनियारा होकर है। टोंक से सवाई माधोपुर का रूट चँदलाई, बास, थाकोर, अलीगढ़, चोरू, पहाला, कुपकला होकर है। टोंक से इन्द्रगढ़ का रूट मन्योर, चौकी, बनेड़ा, खाटोली, बावास होकर है।

(ग) इन रूटों पर किसी की मोनोपोली नहीं है।

श्री सरदारसिंह—क्या यह ठीक है कि टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाली लॉरी उनियारा होकर न जाय ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार जरूरी नहीं समझती है कि उनियारा जैसे कस्बे में से होकर टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाली सर्विस जाय ?

श्री रामकरण जोशी—यह एग्जामिन नहीं किया गया है। मैं एग्जामिन करके विचार करूँगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार जल्दी ही एग्जामिन करके इस पर विचार करेगी ताकि लोगों को सुविधा हो ?

श्री रामकरण जोशी—यदि कोई आवेदन आया तो।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७५

पचास वर्ष से सूरतगढ़ में चल रहे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना

श्री मनफूलसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.28

[श्री मनफूलसिंह]

(क) क्या सूरतगढ़ में लगभग पचास वर्ष से मिडिल स्कूल कायम है ?

(ख) क्या यह भी ध्यान में है कि सूरतगढ़ के आस-पास चालीस-पचास मील तक कोई हाई स्कूल नहीं है ?

(ग) क्या इस वर्ष गंगानगर जिले में सूरतगढ़ के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का इरादा है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) सूरतगढ़ में मिडिल स्कूल सन् १६३३ के करीब से कायम है।

(ख) सूरतगढ़ के आस-पास चालीस-पचास मील की दूरी पर एक ही हाई स्कूल रायसिंह-नगर में है जो ३५ मील की दूरी पर है।

(ग) हाँ। इस वर्ष गंगानगर जिले में सूरतगढ़ के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गुरुदयालसिंह—गंगानगर में स्कूल खोलना भी चाहते हैं या नहीं ?

(हँसी)

("डिस्टर्बेड एरिया" ऐसी विपक्ष की ओर से आवाजें)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री गुरुदयालसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ?

('दे दिया गया' इस प्रकार की सदन में आवाजें)

प्रश्न संख्या ८७६

दौसा सब डिविजन में इस वर्ष हाई स्कूल

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) दौसा सब डिविजन में इस समय कितने हाई स्कूल चल रहे हैं ?

(ख) ये हाई स्कूल कितनी-कितनी दूरी पर रखे गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—हाँ। इसकी सूचना सरकार को मिल चुकी है......

("गलत जवाब दिया जा रहा है" इस प्रकार की सदन में आवाजें)

Page No.29

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(क) दौसा सब डिवीजन में इस समय पाँच हाई स्कूल खुले हुए हैं।

(ख) विवरण निम्न प्रकार है :

तहसील	हाई स्कूल	अन्तर दौसा से
१. दौसा	इन्टर कॉलेज जिसमें हाई स्कूल की कक्षायें भी शामिल हैं।	
२. बसवा	हाई स्कूल बान्दीकुई	२५ मील
३. बसवा	हाई स्कूल बसवा	३३ मील
४. लालसोट	हाई स्कूल लालसोट	१८ मील
५. सिकराई	हाई स्कूल गीजगढ़	३० मील

श्री हरिकृष्ण व्यास--इन्टर कॉलेज में विद्यार्थियों की तादाद कितनी है ?

श्री भोलानाथ—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरे इलाकों में हाई स्कूल और स्कूल्स कितनी-कितनी दूरी पर खोले जाते हैं ?

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह--क्या यह सही है कि दौसा सब डिवीजन में सबसे अधिक हाई स्कूल हैं ?

श्री भोलानाथ—दौसा में छः छः मील पर हाई स्कूल हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दौसा में ऐसी कौनसी खासियत है जिसकी वजह से वहाँ इतने हाई स्कूल हैं।

श्री अध्यक्ष--That is obvious.

(हँसी)

श्री श्रीदास गोयल—Mr. Speaker, क्या यह सही है कि दौसा इलाके वाले वास्तव में इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—That is obvious.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री वीरेन्द्रसिंह।

प्रश्न संख्या ८७७

सवाई माधोपुर के खंडार में कुओं का पानी सूख जाने से जल-कष्ट

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार की जानकारी में है कि सवाई माधोपुर सब डिवीजन के खंडार कस्बे में कुओं का पानी सूख जाने से जनता को पीने का पानी नहीं मिलता है ?

(ख) अगर सरकार को इस बात की जानकारी है तो वह जनता को उक्त सुविधा देने के लिए क्या कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) इसकी सूचना सरकार को मिल चुकी है और खंडार में सुचारु रूप से पानी की व्यवस्था करने के लिए ५४–५५ के बजट में ११,६००) रुपया दिये जाने की तजवीज है।

श्री वीरेन्द्रसिंह—अभी क्या व्यवस्था की है ?

श्री श्रीदास गोयल—अभी कुछ हो सकता है क्या ? गर्मी में पीने के पानी के लिए भी बड़ी कठिनाई हो रही है। पहले प्रतिवर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता मिलती थी। अब उनको इस समय क्या रिलीफ दिया जा सकता है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले उस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री रामकरण जोशी—पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता थी और दी जा सकती है।

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं दे सकती ? वहाँ पानी की अत्यन्त कठिनाई हो रही है ?

श्री रामकरण जोशी—योजना के मुताबिक देती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या बरसात के बाद योजना शुरू होगी ?

श्री रामकरण जोशी—योजना तो साल भर तक चलेगी।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फन्कशन नहीं करता है ? क्या पानी की कठिनाई वह हल नहीं कर सकता ?

Page No.31

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि जल्दी ही करेगा और परेशानी दूर हो जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—११ हजार किस स्कीम पर खर्च किये जावेंगे?

श्री रामकारण जोशी—उसी योजना पर जिसमें सौ रुपयों में ३३ रुपये गाँव वालों को लगाने पड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य—क्या योजना तैयार हो गई है।

श्री रामकरण जोशी—हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या-क्या काम हाथ में लिये जावेंगे?

श्री रामकरण जोशी—अलग सवाल कीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—क्या खंडार की मदद की जाय, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जरूरी समझता है?

श्री रामकरण जोशी—यह आवेदन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहिए।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

('नाट प्रेजेन्ट', इस प्रकार की आवाज)

He has authorised some gentleman.

(प्रस्तावक की अनुपस्थिति में श्री सज्जनसिंह द्वारा प्रस्तुत)

प्रश्न संख्या ८७८

(श्री जुझारसिंह की अनुपस्थिति में श्री सज्जनसिंह द्वारा प्रश्न संख्या ८७८ ८७९,८८१ पूछे गये।)

श्री सज्जनसिंह—Will the Minister-in-charge of Education be pleased to state :—

(i) How many primary schools are there in the Mandita Panchayat circle of Tehsil Sangod and at what places?

(ii) Has the Government received applications on behalf of the said Panchayat Circle to open a few primary schools in this area and to what effect?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(१) वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है जो गाँव बराडिया में स्थित है।

(२) एक दरख्वास्त किशन पुर से आई है जिसकी डिप्टी इन्सपेक्टर जाँच कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७६

झालावाड़ के इन्टरमीजियेट कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रावास में स्थान

श्री सज्जनसिंह—Will the Minister-in-charge of Education be pleased to state :—

(i) What is the approximate number of the Intermediate College students seeking hostel accommodation at Jhalawar ?

(ii) How has the Government provided for them so far and what is its policy for the future for providing accommodation to such students ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(१) करीब १५०।

(२) गवर्नमेंट अभी इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८८०

भाँडारेज के पंचायत बोर्डों का निर्वाचन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer :—

(a) When were the elections of the Panchayat Boards of Bhandarej held last ?

(b) When does the Government propose to hold the next elections ?

(c) Has the Government given any loan to this Panchayat Board ? If yes, how much ?

(d) Did the Government announce any donation to the Board at the time of tournaments conducted by the Jaipur District Board ? If yes, how much and how much has actually been paid out of that ?

Page No.33

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(e) Is the Government aware that there are grave charges of corruption and mis-appropriation against the Chairman of the Panchayat Board ?

(f) Why was the dispensary in Bhandarej run by the District Board closed down ?

(g) Will the Government consider setting an enquiry into the finances of the Panchayat Board ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(अ) मई सन् ४८ में।

(ब) बहुत शीघ्र ही।

(स) कोई ऋण नहीं दिया गया।

(ड) सरकार ने धन देने की घोषणा नहीं की।

(इ) इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है।

(फ) डिस्पेन्सरी बन्द नहीं हुई है, चालू है।

(ज) (ड) के उत्तर के पश्चात् इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टूर्नामेन्ट्स के वक्त अन्य मन्त्रियों के साथ माननीय मन्त्री भी बैठे थे, तो क्या उन्होंने ऐसी घोषणा नहीं की ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं हुई ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर किसकी तरफ से हुई ?

श्री रामकरण जोशी—मौजूदा मन्त्री हैं, उनमें से किसी ने नहीं की।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई घोषणा सुनी थी मौजूदा मन्त्रीजी ने ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ, मैं वहाँ मौजूद था; ऐसी कोई घोषणा सुनाई नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन की ओर से घोषणा की गई थी ?

श्री रामकरण जोशी—यह मुझे नहीं मालूम। इसके लिए आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि माननीय मन्त्रीजी स्वयम् नजदीक मौजूद थे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८८१

राजस्थानी साहित्य को एकत्रित करना तथा 'डिंगल' के विकास की शासकीय योजना

श्री सज्जनसिंह्—Will the Minister-in-charge of Education be pleased to state :—

(i) Whether the Government has any scheme to compile the rich floating literature of Rajasthan ?

(ii) Is there any programme also to encourage the once popular "dingal" which has been neglected so far ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(i) By "floating literature" the questioner perhaps means the manuscript literature available in various parts of Rajasthan likely to have lost due to neglect or lack of understanding. If so, the Government has a scheme for the collection, preservation and publication of such literature.

(ii) This scheme is also inclusive of collection. preservation and publication of works in "Dingal."

श्री देवीसिह्—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री भोलानाथ—पुरातत्व विभाग कायम है जो इस विषय में काम कर रहा है।

श्री देवीसिंह—उस विभाग ने अब तक क्या-क्या कार्य किये ?

श्री भोलानाथ—उसने कुछ किताबें लिखी हैं, जो छाप दी गई हैं।

श्री देवीसिह्—उन किताबों की बिक्री बन्द क्यों पड़ी है ?

श्री भोलानाथ—यदि आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेंगी।

श्री देवीसिंह्—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलावेंगे कि ये किताबें कब से मिलनी शुरू हुई हैं ? क्योंकि जब वहाँ किताबें खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सरकार की आज्ञा नहीं है इसलिए छः महीने से किताबों की बिक्री बन्द पड़ी है।

श्री भोलानाथ—अगर वास्तव में यह यह बात है तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—(श्री देवीसिंह से) परमिट लेकर जाते।

प्रश्न संख्या ८८२

जेसलमेर सब डिवीजन में प्राथमिक पाठशालाएँ जहाँ मास्टर नहीं है

श्री हनवन्तसिह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जैसलमेर सब डिवीजन में ऐसी कौन-कौन सी प्राथमिक पाठशालायें हैं जहाँ अब तक मास्टर नहीं हैं ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि जैसलमेर कन्या पाठशाला में मिस्ट्रेसेज़ की कमी है ?

श्री भोलानाथ—(क) ऐसी कोई पाठशाला नहीं जहाँ कोई अध्यापक नहीं है।

(ख) जैसलमेर कन्या पाठशाला में अध्यापिकाओं की कमी नहीं हैं, वहाँ छात्राओं की संख्या ८२ है और अध्यापिकायें ५ हैं।

श्री हनवन्तसिह—क्या ऐसा गाँव है जहाँ कोई मास्टर नहीं ?

श्री भोलानाथ—वहाँ का मास्टर त्यागपत्र देकर चला गया था उसकी जगह दूसरी नियुक्ति की, किन्तु वह भी चला गया। वहाँ की कुछ स्थिति ही गड़बड़ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री ने कोई ऐसा तरीका निकाला है कि और अध्यापक के शिक्षा दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८८३

महाराजा श्री किशनगढ़ मिल्स के सम्बन्ध में सन् १९५३ में समझौता

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) Is it a fact that a mutual agreement had been arrived at between the workmen and management of Shri Maharaja Mills. Kishangarh in May, 1953 after which the Mills were re-opened.

(b) Was the Government a party to the agreement ?

(c) Is the Government aware that the management of the Mills has been floating many of the agreed decisions ?

(d) Will the Government see to it that the agreement is abided by ?

श्री रामकरण जोशी (कृषि मन्त्री)—(क) हाँ ।

(ख) नहीं ।

(स) हाँ, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं ।

(द) हाँ, किन्तु समझौते के आधार पर ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मेटीरियल खराब चलाने की वजह से वहाँ के मजदूरों की तनख्वाह ५० प्रतिशत कम हो गई है ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी जाँच करवाई गई, इसमें आधा सत्य है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जाँच के अनुसार कितना वेज कट (wage cut) पाया गया ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न आप अलग से पूछिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि ५० प्रतिशत में आधा सत्य है तो अर्ध सत्य तय करते समय किस हद तक वेज कट (wage cut) हुआ इसकी जाँच की गई ?

श्री रामकरण जोशी—जाँच की गई, जिसके अनुसार २५ प्रतिशत मामले ठीक हैं । उनमें भी कुछ गलत हैं; उनके बारे में सरकार अपनी तरफ से कार्यवाही कर रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस हद तक वेज कट हुए हैं, क्या इसके बारे में सरकार के पास निश्चित जानकारी नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—३० मई को कन्सीलियेशन बोर्ड की बैठक हो रही है जो आपस में समझौते के आधार पर फैसला करेंगे । फैसला करने के बाद ऐसा अनुमान है कि स्थिति ज्यादा अच्छी हो जायगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद क्या सारी पोजीशन को री एग्ज़ामिन (re-examine) करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—जब तक एग्रीमेंट टूटता नहीं तब तक सरकार दखल देने का विचार नहीं रखती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के यह ध्यान में है कि पिछले मास का वेतन मजदूरों ने एज ए प्रोटेस्ट (as a protest) नहीं लिया ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न अलग से पूछिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने जो जाँच करवाई है क्या उसमें एग्रीमेन्टस से ज्यादा वेज कट साबित हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार को जिस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर एक्शन लेने का विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार एग्रीमेन्ट तोड़ने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का इरादा रखती है ?

श्री रामकरण जोशी—३० मई को दोनों आपस में मिलकर बात-चीत कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर एग्रीमेंट से ज्यादा वेज कट हुआ हो तो सरकार उसके लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—आपस में मिल कर यदि इस मुद्दे को तय कर लेंगे तो एग्रीमेंट कायम रहेगा और एग्रीमेंट के टूट जाने पर सरकार को कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है; मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर एग्रीमेंट की सूरत में कार्यवाही करने का अधिकार है।

प्रश्न संख्या ८८४

जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर के निर्माण के बाद उसमें मजदूरों की मृत्यु

श्री श्रीदास गोयल—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जब से जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर का निर्माण हुआ तब से अब तक कितने पुरुषों व महिलाओं की इस कारखाने में काम करते हुए मृत्यु हुई ?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ख) क्या किसी के विरुद्ध फौजदारी सींगे में या अन्य प्रकार उक्त मृत्युओं के कारण कोई कानूनी कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या मृतक प्राणियों के संरक्षकों को कोई मुआवजा दिया गया ?

(घ) यदि हाँ, तो प्रति प्राणी किस कदर ?

श्री रामकरण जोशी—(क) कुल ७, औरतें ४ व पुरुष ३।

(ख) हाँ। वर्कमेन्स कम्पेनसेशन के अन्तर्गत।

(ग) हाँ।

(घ) एक मामले में १८००) रु०, दो मामलों में १२०० रु० प्रति केस तथा एक मामले में ६०० रु०। दो मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि मृतकों के कोई आश्रित नहीं था। एक मामला कम्पेन्सेशन कमिश्नर के पास विचाराधीन है।

श्री श्रीदास गोयल—जो फौजदारी मुकदमा चलाया गया उसका क्या फेट (fate) है ?

श्री रामकरण जोशी—वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट की तहत मुकदमा चलाया गया।

श्री श्रीदास गोयल—इस मुकदमे की क्या पोज़ीशन है ?

श्री रामकरण जोशी—उस एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चला और उनके आश्रितों को कम्पेन्सेशन दे दिया गया।

श्री श्रीदास गोयल—मेनेजर सीमेन्ट फेक्ट्री के प्रोसीक्युशन के बावजूद भी सरकार मुकदमा विथड्रा (withdraw) कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न अलग से पूछिये।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मेनेजर के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा चला था ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न अलग से पूछिये।

श्री श्रीदास गोयल—मेरे प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर नहीं दिया गया ?

श्री रामकरण जोशी—मैं उत्तर में सब जवाब दे चुका हूँ।।

श्री श्रीदास गोयल—क्रिमीनल प्रोसीडिंग किस व्यक्ति के विरुद्ध चली ?

श्री रामकरण जोशी—वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत जो मुकदमा चला उसकी सूचना दे सकता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध वारन्ट निकले, उनके नाम बता सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—आपकी जानकारी के लिए मिल सके हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री ने इस बात की जाँच करवाई है कि वहाँ फेक्टरी एक्ट के मातहत सेफ्टी प्रिकॉशन्स (safety precantions) लिए जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—हाँ, लिए जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार की विशेष जाँच करने के विशेष आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—सरकारी अधिकारी द्वारा जाँच उसकी टर्न आने पर होती है और जाँच करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट पेश करता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार की विशेष जाँच सरकार द्वारा नहीं करवाई गई है ?

श्री रामकरण जोशी—सूचना के बाद जवाब दे सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चार-चार वक्त काम लेने के कारण फेक्टरी एक्ट के मातहत प्रिकॉशन्स नहीं ले सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अगर ऐसा है तो सजा मिलेगी।

श्री श्रीदास गोयल—फेक्टरी एक्ट की अवज्ञा करते हुए स्त्रियों से रात में काम लिया जाता है, क्या यह सही है ?

क्या कानून के विरुद्ध काम लेने के कारण ही इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दायर की गई है ?

श्री रामकरण जोशी—सवाल में आपको इन बातों के लिए पूछना चाहिए था। सप्लीमेन्टर में इनका जवाब नहीं दे सकता, जब तक कि मैं सूचना प्राप्त न कर लूँ :

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्री इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ सवाल का जवाब तो देना ही पड़ता है, चाहे मन्त्री तैयार हो या न हो।

श्री श्रीदास गोयल—मेरे प्रश्न के (ख) भाग का जिसमें, "क्या किसी के विरुद्ध फौजदारी सीगे में या अन्य प्रकार उक्त मृत्युओं के कोई कानूनी कार्यवाही की गई है" उत्तर नहीं मिला है।

श्री रामकरण जोशी—मैंने उत्तर में साफ कह दिया कि वर्कमेंस कम्पेंस्सेशन एक्ट के मातहत मुकदमा किया गया और उसी के अन्तर्गत उनके आश्रितों को कम्पेन्सेशन दिया गया। तो इस तरह से इस [ख] भाग का जवाब आ जाता है।

श्री श्रीदास गोयल—पहले भाग का जवाब नहीं आया ?

श्री रामकरण जोशी—आपके इस प्रश्न के अन्दर "या" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि या तो इसका जवाब दो या उसका। अगर आपको दूसरी प्रकार जवाब चाहिये था तो दूसरी तरह से प्रश्न पूछते।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने फौजदारी सीगे में कार्यवाही करना मुनासिब नहीं ख्याल किया ?

श्री रामकरण जोशी—डिपार्टमेंट द्वारा कार्यवाही होती है। डिटेल मेरे पास नहीं है, ताकि सूचना दे सकूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न की बारीकियों में जाने के बजाय उत्तर की बारीकियों में जाएं तो अच्छा हो।

श्री रामकरण जोशी—दोनों ही बारीक हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही नहीं है कि सीमेंट फैक्ट्री का मेनेजर, अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण, उनकी नेग्लीजेन्स की वजह से होने वाले फौजदारी के केसेज़, जो उनके खिलाफ थे, वे विथड्रा कर लिये गये ?

श्री रामकरण जोशी—मैं कहता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ सकता राजस्थान सरकार पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी मन्त्री विशेष पर पड़ता है ?

(घण्टी)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम में आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

श्री प्रतापसिंह १८.५.५४ से २३.५.५४

श्री लालसिंह शक्तावत—२५ मई से २८ मई, ५४ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

[स्वीकृत]

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष— Now we come to the legislative business.

श्री कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, I have......

श्री अध्यक्ष—That is under examination. The Rajasthan Drainage and Irrigation Bill.

श्री सन्धु द्वारा वक्तव्य देने की इच्छा सम्बन्धी

श्री गुरुदयालसिंह— मैं सदन से काफी दिनों से गैर हाजिर रहा हूँ और मेरी गैर हाजिरी के दौरान में ऐसी बहुत सी बातें इस सदन में हुई हैं जिनसे मेरे बारे में गलतफहमियाँ हुई हैं। तो इस विषय में.....

श्री अध्यक्ष—But then you should apply. You cannot catch me at the surprise.

आप दरख्वास्त मुझे दीजियेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और उस पर मैं देखूंगा और तब एजेन्ड पर अगर आवेगा तो आप कुछ कह सकेंगे।

श्री गुरुदयालसिंह—रूल ६५ के नीचे मैं एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप पहले मुझे सप्लाई कीजियेगा कि किन पोइन्टस पर क्या गलतफहमी रही है, यह देखने के बाद करेंगे।

Now we come to Clause 14.

Page No.42

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--On a point of order, Sir, according to the Rules of procedure and Conduct of Business, under Rnle 65, it is nowhere stated that previously a Member concerned has to ask permission of the Speaker to make a statement on personal explanation.

श्री अध्यक्ष – What about ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--He says that it is about so many things.

श्री अध्यक्ष--He has agreed to do it. If you have any objection I will show you the procedure. That is a convention. The Speaker has to be informed on what he wants to make a statement on personal explanation. He has to be taken in the Chamber and he has to be informed, rather apprised of the situation about which the Member concerned wants to make that statement.

राजस्थान सिंचाई तथा जलोत्सारण विधेयक, १९५४—(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

Now Clause 14,

We take Clause 14 as moved. Amendment motions by Shri H. K. Vyas. Three amendment motions to sub-clause (1) (2) and (5) All may be moved at a time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I only want to move two of my amendments, one to sub-clause (2) and the other to sub-clause (5),

श्री अध्यक्ष—Out of No. 17. 18 and 19, which one you want to move ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to move No 18 and 19.

श्री अध्यक्ष--No 17 you do not want to move ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, I beg to move, Sir, that at the end of the sub-clause (2) the following proviso be inserted :—

"Provided that no action under this sub-section shall be taken unless the occupier or tenant of the land has been given an opportunity to be heard in regard to such a step :

Provided further that the officer taking or ordering action under this sub-section shall record his reasons in writing. why and what precise action was necessary, stating the extent of damage caused and a copy of such order shall be given to the occupier or tenant of such land."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

My second amendment to sub-clause (5), line 2, is like this :—

"In line 2, after the word 'tender', insert the word 'reasonable', i. e., between the words 'tender' and 'compensation', insert the word 'reasonable'.

These are my two amendments.

मेरे इन अमेंडमेंट्स के सिलसिले में कुछ चन्द बातें मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा।

क्लॉज़ १४ के अन्तर्गत जिस किसी अफसर को सर्वे करने का या और नक्शे बनाने का या और कोई भी उचित कार्य करने का आदेश मिलेगा उसे यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी भी आदमी के खेत में या जमीन में घुस जावे, उसके कार्य में कोई रोड़ा आता हो तो उसको हटा दे और इस प्रकार से जो भी आवश्यक हो वह कर सके। अंग्रेजी में इस प्रकार के अधिकारों को ओम्नीबस ऑथोरिटी (omnibus authority) कहा करते हैं, यानि जिसकी कोई मयाद या कोई सीमा निश्चित नहीं हो, सारा का सारा मामला उस अफसर की खुद की समझ और उसके तय करने पर मुनस्सर हो। अब माननीय अध्यक्ष, यदि इस प्रकार के ओम्नीबस अधिकार किसी भी अधिकारी को मिल गये और उसने यदि जानबूझकर या नेग्लीजेन्स की वजह से या कर्तव्य परायण न होने की वजह से ऐसा कोई कार्य कर दिया, जो आवश्यक नहीं था, तो फिर उस कार्य से जिसको नुकसान होगा उसे क्या राहत मिलेगी? उसे शिकायत करने का क्या मौका मिलेगा? इसका कोई उल्लेख इस क्लॉज़ में नहीं किया गया।

मैंने अपने अमेंडमेंट में दो चीजों की मांग की है। पहली मांग तो यह है कि ऐसा कोई भी कार्य करने के पहले यह आवश्यक हो कि जिसका वह खेत हो अथवा जिसकी वह जमीन हो उस मनुष्य को सूचना दी जावे कि हमें अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए तुम्हारी जमीन अथवा तुम्हारे खेत में अमुक-अमुक कार्य करना आवश्यक है और उस सूचना के मिलने के बाद ही किसी भी अधिकारी को वहां कार्य करने का मौका मिलना चाहिये। इस अमेंडमेंट के जरिये यह फायदा होगा माननीय अध्यक्ष, कि जिस आदमी के खेत में या जिस आदमी की जमीन में इस प्रकार की दखलन्दाजी की गई है उसके हाथ में एक चीज रहेगी कि मुझे अमुक सूचना मिली थी और बाद में जांच के समय यह पता चल सकेगा कि वह जो सूचना दी गई थी वह सही थी या नहीं; अथवा बाद में जो कार्य किया गया वह सूचना के विपरीत किया गया या कम-ज्यादा किया गया।

दूसरा जो प्रोविजो मैंने जोड़ा है वह यह है कि यदि कोई ओब्स्ट्रक्शन हो और उसको रिमूव करने का मौका आवे या किसी तरह का नुकसान करने का मौका आवे तो केवल इतना कह देना काफी नहीं कि उस अफसर को महसूस होगा तो वह कर पावेगा वहां, मगर हमें कोई पाबन्दी लगानी पड़ेगी; वह पाबन्दी यह लगायेंगे, माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मेरे एमेंडमेंट का आशय है कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यदि इस प्रकार का निर्णय अफसर दे तो उसमें यह बन्धन हो कि "he must record it in writing"; जिससे कि वह तय कर दे कि अमुक-अमुक बाधाएं मेरे कार्य में आ रही थीं, उन बाधाओं को हटाने के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं था; अतएव मैंने आदेश दिया अथवा मैंने उन बाधाओं को हटवा दिया; इस प्रकार का हुक्म जारी करने की वजह से, उसकी एक नक्ल उस खेत के मालिक अथवा उस जमीन के ऑक्युपायर (Occupier) को दे, बाद में रहेगी तो जांच की जा सकती है कि इस प्रकार के अफसर का हुक्म ठीक था अथवा नहीं था। इसमें समय लगेगा। इस तरह का मेरा ख्याल है कि माननीय मन्त्री महोदय कोई ऐतराज नहीं कर पायेंगे। जो अफसर फसल को कटवाने का इन्तजाम कर सकता है वह एक पाई के कागज का भी इन्तजाम कर सकता है। सरकार उसको कागज देती भी है। वह हुक्म लिखकर दे सकता है कि अमुक-अमुक कारणों की वजह से खेत को कटवाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार से अगर दर्ज होगा तो कोर्ट में या जो भी सरकारी अधिकारी हो इस बात की जांच कर पायेंगे कि कारण, जो कि दर्ज किये गये थे, वह वाजिब थे, आवश्यक थे, अनावश्यक थे, अथवा गैरजिम्मेदारी के थे, कर्तव्य-परायणता से युक्त थे अथवा जान-बूझकर नुकसान करने की भावना से ऐसे कार्य किये गये थे। यह तो सबक्लॉज़ (२) के मेरे एमेंडमेंट के सिलसिले में मैंने अर्ज किया।

अब सबक्लॉज़ (५) में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में दो शब्द रखता हूँ। सबक्लॉज़ (५) में यह कहा गया है कि इस प्रकार का कोई भी कार्य करने से पहले जिसको नुकसान किया जा रहा है उसको कम्पेन्सेशन टेन्डर किया जाना आवश्यक है। उसे टेन्डरिंग दी कम्पेन्सेशन (Tendering the Compensation) के बारे में मैंने यह एमेंडमेंट रखा है, माननीय अध्यक्ष, कि 'कम्पेन्सेशन और 'टेन्डर' दोनों शब्दों के बीच में 'रीज़नेबल' शब्द और जोड़ दिया जाय। मान लीजिये कि आपके एक पूरे बीघे में गेहूँ की फसल खड़ी हुई है, उसको कटवाता है और कम्पेन्सेशन भी टेन्डर करता है ५) रु० तो 'एफ' के मातहत कार्य पूरा हो गया। कम्पेन्सेशन टेन्डर कर दिया गया, लेकिन सही माने में 'एफ' के मायने में कार्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि जितना नुकसान हो उसके अनुपात से कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए और इसलिए यह आवश्यक है कि 'कम्पेन्सेशन' शब्द की व्याख्या हो और उस व्याख्या में 'Reasonable Compensation' हो। मुझे यह देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि जहां सामान्य किसान का ताल्लुक आता है, जहां छोटे-मोटे खेत में फसल करने वाले का ताल्लुक आता है तो वहां तो हम 'कम्पेन्सेशन' शब्द की व्याख्या न करके चल सकते हैं और उसके पहले १८ फरवरी, ५२ को बड़े-बड़े भू-स्वामियों का सवाल आया और अभी एक्ट का जो एमेंडमेंट हमारे सामने आया है उसके लिए राजस्थान सरकार तो क्या दिल्ली की सरकार तथा यू० पी० के प्रधान मंत्री पन्त तक, सब लोग छानबीन करने लगे कि कम्पेन्सेशन रीज़नेबल हो अथवा नहीं, कहीं रीज़नेबल काम न देने वाला तो नहीं रख दिया गया है; खूब उसकी व्याख्या की गई। यदि उनके लिए इतनी छानबीन की गई तो इन बेचारों के लिए 'रीज़नेबल' शब्द का उपयोग करना श्रेयस्कर होगा और इसलिए कम्पेन्सेशन की व्याख्या कर दी जाय और उस व्याख्या में 'रीज़नेबल'

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शब्द पर जोर दिया जाय ताकि आगे चलकर दूसरे अधिकारी अथवा कोर्ट यह तय कर पायेगी कि वह कम्पेन्सेशन दरअसल रीज़नेबल था अथवा नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों एमेंडमेंट सिरियल नं० १८ और १९, जो सबक्लॉज (२) और सबक्लॉज (५) में प्रस्तुत किये हैं वे सदन के सामने सदन की मन्जूरी के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पहले एमेंडमेंट का आशय यह है कि पहले उसको अवकाश दिया जाय जिस पर कि उसका अमल किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वे लाजमी तौर पर हर हालत में उन किसानों पर, जिनकी भलाई के लिए यह प्रोपोज़ल किया गया है, नुकसान करने के लिए ही चलेंगे। जब तक कि उन पर कोई खास ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाय तब तक वह लाजमी तौर से उनके खिलाफ ही चलेंगे। यह गलत धारणा की जाती है। बहुत से लोग तो ऐसा नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसा समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह गलत है। ऐसी धारणा का कोई कारण नहीं है। इसलिए विभाग में दिक्कत आयेगी। असल में यदि यह एक्ट में प्रोवाइड किया जाता है इसलिए 'opportunity to be heard' इसके मायने वह आ जायेंगे जो पहले एमेंडमेंट माननीय सदस्य ने ड्रोप कर दिया था, नोटिस के बारे में, वह यहां पर आ जायेगा। 'A copy of the order shall be given' का मतलब यह है कि नोटिस दिया जाय कि अमुक-अमुक ऐसा कार्य हो रहा है, आप आयें और आपको कोई एतराज हो तो कहें। नोटिस दिये जाने में कई टंटे होते हैं इसलिए जब वह आवश्यक कार्य करना है तो वह उस समय के अन्दर नहीं हो सकेगा। फिर आप यह देखेंगे कि यह कोई बहुत बड़ा काम, यह बहुत बड़े नुकसान की बात नहीं है। कोई छोटी चेनल्स का सर्वे करना हो, लेवल्स को देखने के लिए जाना हो तो इस तरह की जो कुछ चीजें हैं उनसे कोई बहुत बड़े नुकसान की सम्भावना नहीं, आशंका नहीं है और यदि कोई विशेष बात होगी तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रीज़नेबल काफी हैं और वह नुकसान की तरफ नहीं जायें। आप लोगों के कहने से इसमें प्रोवाइड कर देने से ज्यादा दिक्कत आयेगी। मुझे सबसे बड़ी आशंका यह है कि हमारे यहां कुछ ऐसे तत्व हैं जो कुछ न कुछ कहकर भोले लोगों को बहका कर गवर्नमेंट के किसी भी कार्य में रुकावट खड़ी करते हैं। इसलिए उन लोगों को बनाने का, उन भोले लोगों को बनाने का अवसर न हो, उन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का अवसर न हो। यह बहुत स्पष्ट बात है, इसको छुपाना नहीं चाहिए। इसलिये मैं इस एमेंडमेंट से एग्री नहीं करता हूं।

दूसरी बात है प्रोवीज़ो की—

"Provided further that the officer taking or ordering action under this sub-section shall record his reasons in writing, why and what precise action was necessary, stating the extent of damage caused, and a copy of such order shall be given to the occupier or tenant of such land."

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इन प्रोवीज़ों की स्पिरिट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन प्रोवीज़ो एज़ ड्राफ्टेड बहुत कम्बरसम चीज बन जाती हैं लेकिन यदि माननीय सदस्य मान जायं कि इसकी स्पिरिट को इन्क्लूड करना है तो सेक्शन में कुछ वर्ड्स एड करने को तैयार हूँ और वह इस प्रकार हो सकता है :--

"14 (2) :—Where such inquiry cannot otherwise be completed, such officer or other person may **for reasons to be rcoorded in writing** cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle."

जहां तक लिखित में कारण रहने का सवाल है मेरा खयाल है कि यह ठीक होगा। तो इस चीज को मैं मानने को तैयार हूँ। उस कम्बरसम प्रोवीज़ों की जरूरत नहीं रहती है। जो एसेन्शियल पार्ट है वह बहुत कुछ आ जाता है।

दूसरा सबक्लॉज (५) में 'टेन्डर' और 'कम्पेन्सेशन' के बीच में 'रीज़नेबल' शब्द को जोड़ना जरूरी समझते हैं। मेरे खयाल में 'कम्पेन्सेशन' की जो व्याख्या करते हैं तो वह प्रीसपोज़ करते हैं कि वह रीजनेबल हो।

Is it comtemplated by the amendment that some other authority is to decide the reasonableness of that compensation ? If that is so I do'nt agree. If the Irrigation Officer shall decide it then it is not necessary.
वह देख लेंगे कि वह रीजनेबल है या नहीं और इस प्रकार से कम्पेन्सेशन टेन्डर किया जायगा।

इसके अलावा यदि प्रोपोज़ल जितना करना है या कितना कम्पेन्सेशन किया जाना चाहिए वह रूल्स में कह सकेंगे। वह रूल्स की चीज है वह रूल्स में ज्यादा ठीक रहेगा। इस एक वर्ड को इन्सर्ट कर देने से Things may be taken to Court; यह क्यों आ सकता है? कम्पेन्सेशन रीजनेबल नहीं है। If it satisfies you तो मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मेरे समझने में कुछ गलत बात आई है या माननीय सदस्यों की जो चार धारणाएं खास विषय से चलती हैं वह बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं, बड़े इन्टेलीजेन्ट आदमी हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज आती है कि जो अच्छी लगती है लेकिन उसका परिणाम अन्त में जाकर निकलता है वह यह है कि वह किसी काम में रुकावट पैदा हो, इसलिए इस एमेंडमेंट को एग्री करने में मैं असमर्थ हूँ। उस एमेंडमेंट को स्वीकार करने में, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा कि एमेंडमेंट में वह शब्द जोड़ने के लिए तैयार हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, सबक्लॉज (२) में मेरा जो अमेंडमेंट मंत्रीजी ने स्वीकार किया है उसके लिये, वह पहली बार इस प्रकार का कार्य जो किया गया उसके लिये मैं उन्हें विशेष धन्यवाद देता हुआ १८ नम्बर का मेरा जो अमेंडमेंट है उसको मैं प्रेस नहीं करता। लेकिन नम्बर १६ पर मेरा जो अमेंडमेंट है उसका कुछ उत्तर न देते हुए मंत्रीजी ने उसे टाल दिया है और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह एक महत्वपूर्ण बात है; माननीय मंत्रीजी को कई बार खुराफात, गड़बड़-घोटाला, गोल-माल नजर आता रहता है और शायद कल से आज ज्यादा नजर आया होगा; क्योंकि उनका स्वागत काले झन्डों से हुआ होगा। उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मेरे पास सही ढंग से काम करने का तो इलाज है। उस समय तो झगड़ा होगा या नहीं होगा इस बात को जाने दें। एक अफसर ने कुछ फैसला कर दिया, बाद में न्याय या सुनवाई तो कुछ न कुछ उसकी होगी ही। अपर्याप्त बात होगी तो बाद में उसकी सुनवाई होगी। मेरे अमेंडमेंट की यह मंशा है कि यह गलत तरीका है। जब कम्पेन्सेशन तय करते हैं तो पर्याप्त रीज़न से करना चाहिये। सही है कि इस समय अफसर तय करेंगे और इस समय देरी न होगी लेकिन बाद में शायद कोई दूसरा अधिकारी तय करेगा। हो सकता है कि अधिकारी न करे और मन्त्रीजी ही ठन्डे दिमाग से करें। यह ठीक नहीं है। हर चीज को गड़बड़-घोटाला कह कर टालने से कुछ नहीं होगा। 'रीज़नेबल' शब्दों पर भी एतराज किया जा रहा है। कभी-कभी तो 'रीज़नेबल' शब्दों पर एतराज नहीं करें। फिर उनकी मरजी है। मैं अपना अमेंडमेंट प्रेस करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—आप मेरे शब्द भूल गये। मैंने कहा था कि रूल्स में प्रोवाइड किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप अमेंडमेंट को प्रेस करना चाहते हैं क्या?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरा निवेदन यह है कि कम्पेन्सेशन रीज़नेबल क्या होगा, यह सब रूल्स में प्रोवाइड कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब फिगर तय नहीं होगा तो रूल्स में कैसे होगा?

श्री टीकाराम पालीवाल—कम्पेन्सेशन के माने होता ही है। reasonable without your saying so किसी लॉ में इस तरह की चीज को प्रोवाइड करना ठीक नहीं होगा।

He wants an amendment in the clause itself; Government has the rule making power.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the objection in accepting?

श्री अध्यक्ष—The point is, that the amendment to sub-clause (1) put by Shri H. K. Vyas should be put to vote. So I put the question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I never moved any amendment to sub-clause 1. I am not pressing it for vote.

श्री अध्यक्ष—Either you withdraw......

Page No.48

श्री हरिकृष्ण व्यास—I seek your permission. I said I am not pressing it.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow shri H. K. Vyas to withdraw his first amendment ?

(स्वीकृत)

The Leave is granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I withdraw my first amendment.

श्री टीकाराम पालीवाल—I have made an amendment to sub-clause (2). Certain words in the sub-clause I have added......"for reasons to be recorded in writing."

श्री अध्यक्ष—Then the sub-clause will read as follows :—

"(2) Where such inquiry cannot otherwise be completed, such officer or other person may for reasons to be recorded in writing cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle."

So we take this amendment to be moved.

(विराम)

Is it the leave of the House to accept this amendment ?

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

Now the question is that sub-clause (1) and sub-clause (2) as amended, sub-clause (3) and sub-clause (4) be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clauses 14 (1), (2) as amended, (3) and (4) are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to sub-clause (5) of clause 14. The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment fails.

[श्री अध्यक्ष]

Now the question is that sub-clause (5) of clause 14 be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clause (5) is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 15 and 16 (विराम) There are no amendmentst to these.

(विराम)

The question is that clauses 15 and 16 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 15 and 16 are added to the B ill

Now we come to clause 17. We take the clause as moved. Amendment motion by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, in sub-clause (2) of clause 17 I beg to move the following amendment :—

"In line 7 delete words 'such measures in reference thereto be taken as it thinks proper' and substitute in their place, "means of crossing constructed immediately." The sub-clause as amended by my amendment will read like this :—

"On receiving a statement in writing, signed by not less than five......... the State Government shall cause **"such measures in reference thereto to be taken as it thinks proper"** instead of this (underlined) it will read the State Government shall cause means of crossing constructed immediately."

इस सबक्लॉज़ में इस बात का ज़िक्र है कि यदि ५ अथवा ५ से ज्यादा ओनर्स एक अर्जी करें और सरकार के ध्यान में इस बात को लावें कि जो इरिगेशन वर्क, चैनल या नाला गवर्नमेंट ने कन्स्ट्रक्ट कराया है उस पर आने-जाने के पुलिये नहीं हैं तो इसके लिये यह मुकर्रर किया गया प्रोसीजर कि कलेक्टर इस बात की इन्क्वायरी करेगा और अगर उनकी बात सही पाई गई तो वह अपनी राय राज्य सरकार के पास भेज देगा।

अब आखिरी हिस्सा जो इस सब-क्लॉज़ का है उसमें थोड़ा मत-भेद है। राज्य सरकार के पास कलेक्टर की रिपोर्ट आ जाय कि शिकायत रही हैं तो राज्य सरकार का क्या कर्त्तव्य है ? इस सबक्लॉज के माफिक राज्य सरकार का कर्त्तव्य रखा है कि जो उचित समझेगी वह कार्यवाही करेगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आज तक मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो उचित समझा है वही किया है, अनुचित कार्य तो समझ-बूझ कर नहीं किया गया होगा; मगर उचित समझने और उचित करने के बावजूद परिणाम यह निकला है, माननीय मंत्रीजी परिणाम की बहुत कद्र करते हैं इसलिये परिणाम की बात बता रहा हूँ; राजस्थान का छोटा सा इलाका, राजस्थान के मुकाबले में गंगानगर की बात बताता हूँ। उसमें यदि आने-जाने के मार्गों का निरीक्षण करें, या तो किसी-से पूछ-ताछ करके या स्वयं वहां जाकर, तो आपको पता चलेगा कि वहां जितनी नालियां गुजरती हैं, वहां सैकड़ों जगह पुलियों की आवश्यकता है पर वहां पुलिये नहीं बनवाये गये हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि पुलिये बनवाने के लिये लोगों से रुपया लिया गया है, टैक्स ली जाती है, वादे किये गये हैं फिर भी वहां पुलिये नहीं बने हैं और फिर उचित समझने की बात रखी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय इरिगेशन मंत्री वहां गये थे तो पुलिये बनाने का वादा करके आये पर मेरी जानकारी में कोई पुलिया बनाने की कार्यवाही अभी तक वहां शुरू नहीं की गई है।

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या फरमाया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--एक महीने पहले माननीय इरिगेशन मंत्री कुछ लोगों को सांत्वना, तसल्ली देने के लिये वहां गये थे तो ऐसी इतल्ला मिली है कि वे वहां वादा करके आये थे कि पुलिये बनाये जायेंगे। पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक भी जगह ऐसे पुलिये बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है।

मैंने यह मिसाल इसलिये रखी है कि ५ या ५ से ज्यादा आदमियों की दर्ख्वास्त, दूसरी बात यह कि उस पर कलेक्टर की जांच और तीसरी बात यह कि कलेक्टर जांच के बाद राज्य सरकार के पास रिपोर्ट करे। इसके बाद राज्य सरकार के सामने ऑल्टरनेटिव (alternative) क्या रखा जावे, उचित समझने का नहीं पर राजस्थान सरकार पर ऐसा कानूनी बन्धन होना चाहिये कि इस तरह के पुलियों को बनाये। उचित कार्यवाही से तो सालों तक पुलिये उपलब्ध नहीं होंगे और यह उचित कार्यवाही लोगों को कोई लाभदायक नहीं होगी।

इसलिये सरकार को बांधने की नियत से या गड़बड़ी करने के प्रयत्न से या लोगों में गलतफहमी बढ़ाने की नियत से नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार को अपने वचनों पर बांधने के लिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय की मंजूरी के लिये या सदन की मंजूरी के लिये इसे सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सुझाव के मुतल्लिक गौर करने का कारण यह है कि कहीं पर पुलियों की, और और चीजों की कितनी जरूरत है इसके बारे में कोई एक राय नहीं होती। एक मील में १० पुलियों की भी जरूरत मानी जा सकती है तो एक पुलिये से भी काम चल सकता है। ऐसे आदमी ५ नहीं, दस-बीस मिल सकते हैं जो कहें कि

[श्री टीकाराम पालीवाल]

एक मील के अन्दर १० पुलिये नहीं तो कम से कम ५ पुलिये तो बनाये ही जाँय और यह वहाँ के रहने वालों के लिये विशेष सुविधाजनक होगा। मैं यह मानता हूँ कि यह एक बहुत अच्छी बात है कि यदि संभव हो तो विशेष सुविधा देनी ही चाहिये परन्तु यदि संभव नहीं हो तो फिर सरकार के लिये कानूनन ओब्लीगेटरी बना दिया जाय, तो यह ठीक नहीं।

यह ठीक है कि ५ सदस्यों की अर्जी के बाद कलेक्टर जाँच करेगा और शिकायत सही होगी तो सिफारिश करेगा, परन्तु इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिये कि आज इस डेमोक्रेसी के जमाने में ऑफीसर्स के ऊपर भी इधर-उधर से कितने ही प्रेशर्स पड़ते हैं। जिस इलाके का चार्ज कलेक्टर के पास है वहाँ कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दिला सके तो उसका कर्त्तव्य है, परन्तु सरकार के सामने कई तरह के और और सवाल रहते हैं, उन सब पर विचार करना पड़ता है।

जिस छोटे से इलाके की मिसाल दी गई और कहा गया कि वहाँ पर पुलिये बनाने के लिये रुपये भी इकट्ठे किये गये, सेस भी वसूल की जाती है और वादे भी किये गये फिर भी पुलियों का इन्तजाम नहीं हुआ। मेरे बारे में कहा गया कि कुछ दिनों पहले मैं वहाँ वादा करके आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रचार के साधन हैं। सही बात यह है कि गंगानगर जिले में पुलियों आदि के लिये जितना रुपया वसूल किया गया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया गया है। यह सही बात है कि पुल ज्यादा बना दिये जाँय तो लोगों की सुविधा बढ़ सकती है पर यह सही नहीं है कि पुल हैं ही नहीं। मैं खुद वहाँ जाकर आया हूँ। खास-खास तौर से बस्तियें हैं वहाँ पुल हैं। आप चाहते हों कि १० कदम चलने पर पुल मिल जाँय; १० कदम पर नहीं मिले-दो फर्लाङ्ग पर मिले। यह न इस सरकार के लिये संभव है और न और दूसरी सरकार के लिये संभाव हो सकता है। कोई शख्स जो जिम्मेदारी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोच सकता है वह ऐसी बात नहीं कर सकता। इसलिये गवर्नमेंट को बाँधना ठीक नहीं।

आप कितना ही करिये, कुछ इलाकों में लोगों में असंतोष रहता ही है। उचित बातों की पूर्ति के लिये असंतोष हो तो कोई बात नहीं उसे दूर किया जा सकता है, परन्तु अनुचित अनरीज़नेबल (unreasonable) बातों के लिये, जिनमें असंतोष हो, उसके असंतोष को बुझाना किसी के बस का नहीं होगा।

मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पर इस तरह का कोई ओब्लीगेशन नहीं होना चाहिये और जिस तरह से क्लॉज है उसी तरह पास होना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस क्लॉज की इतने जोरों से माननीय मन्त्रीजी ने हिमायत की उन्होंने खुद भी इसे गौर से पढ़ा कि

Page No.52

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं, उनकी यह तकरीर सुन कर मुझे अब थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा है। चौथे सब क्लॉज़ की लाइन दो के आखिरी वर्ड्स पर गौर फरमायें तो :

"On receiving a statement in writing, signed by not less than five of the owners of such land to the effect that suitable crossings have not been provided."

अर्थात् पहली शर्त इस क्लॉज़ में है कि चाहे जितने क्रोसिंग्स की माँग की जायगी ५ आदमियों का सूटेबल प्रोसेस......

श्री टीकाराम पालीवाल—सूटेबल प्रोसेस (suitable process) को सोचने वाले आप होंगे या दूसरे साथी होंगे, जिनको अनुभव है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मन्त्री महोदय थोड़ी पेशेंस (patience) रखते तो मैं उत्तर देने ही वाला था। इस क्लॉज के माफिक सोचने वाला दूसरा कोई नहीं, जिलाधीश या कलेक्टर है।

The Collector shall cause an enquiry to be made into the circumstances of the case and if he thinks that the statement is established,"

यह बात तो सही है कि जिसके जूतों में कील काटेगी वही चिल्लाएगा और जिसको सूटेबल प्रोसेस नहीं मिलेगा वह चिल्लाएगा। पर, आपने बिल के अन्दर दर्ज कर दिया है कि कलेक्टर इस बात की जाँच करेगा कि जो चीज कही गई है वह एस्टेबलिश हुई है या नहीं और जाँच करने के बाद वह कलेक्टर इस निर्णय पर पहुँचेगा कि आया यह बात सही है या नहीं; सूटेबल प्रोसेस नहीं है, उस पर वह अपनी रिपोर्ट और राय सरकार को भेजेगा और उसकी सिफारिश पर सरकार उस पर विचार करेगी; याने उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमें देखना होगा कि सरकार उस पर क्या करेगी ? मेरे मित्र ने यह कहकर इस बात को टालने की कोशिश की कि डिविजनों में कलेक्टरों पर दबाव आते हैं। मैं यह कहूँगा कि दबाव सब तरह से आते हों लेकिन ऊपर से ज्यादा दबाव आते हैं और ऊपर के दबावों के कारण पचासों और सेकड़ों लोग की आवाज की कोई परवाह नहीं की जाती है और थोड़े से आदमियों के दबाव की ज्यादा परवाह की जाती है। आपके जरा-से इशारे का तो उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, किन्तु अगर तमाम हल्के के लोग यह कहें कि यह होना चाहिये और चिल्लाए तो भी उनकी कोई परवाह नहीं करते और लोग यह कहते हैं कि यदि सरकार ऊपर से इशारा करेगी तो सारी की सारी रिपोर्ट उल्टी कर दी जा सकती है। इसलिए कलेक्टर को यह अख्त्यार देना हम पसन्द नहीं करते। आप यह कहेंगे कि आपको सिविल सर्विस में विश्वास नहीं। आप सिविल सर्विस पर विश्वास नहीं रखते। विश्वास नहीं किया जा सकता; क्योंकि ज्यादा लोग कहते हैं कि कलेक्टर आपके मातहत काम करता है और वह आपके इशारे पर चलता है। आप चाहें तो उसका ट्रान्सफर कर सकते हैं, आप उसको चाहे जो कुछ कह सकते है और आप जैसी चाहेंगे वैसी रिपोर्ट उससे दिलवा सकते हैं। वही टिक सकता है जो आपके कहने के अनुसार चले, वरना टिक ही नहीं सकता है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन ऐसी जांच के बाद भी जब कागजात सरकार के पास आवें उस वक्त सरकार चुप नहीं बैठती, उसमें भी तोड़-मरोड़ करती है।

मेरे मित्र ने अभी-अभी यह कहा कि लोगों का यह असंतोष बेकार है और लोग बेकार ही ऐसा असंतोष कर लेते हैं। मैं ज्यादा दलीलों में न जाकर केवल इतना ही कहूँगा कि यदि मेरे मित्र गंगानगर के उस भाग की तरफ गये हों, जहाँ नहर है तो मालूम होता कि थोड़े से गड्ढे हैं या नहर का हिस्सा टूट गया है और उधर इतने गड्ढे पड़े हैं कि मोटर का चक्का तक निकलना मुश्किल होता है। अगर माननीय मन्त्री की मोटर का चक्का उसमें धंस जाता और फिर उस चक्के को लकड़ी लगा कर निकलना पड़ता तो मन्त्रीजी को यह मालूम होता कि यह ठीक है या नहीं। मैंने देखा है, महसूस किया है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव व जानकारी के बल पर मैं यह कहता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यदि मन्त्री बैलों की गाड़ी में बैठ कर सफर करते तो पता लगता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बैलों की कारों में बैठते तो......

(अश्रव्य)

प्रश्न यह है कि इतना सब होते हुएभी सरकार हिचकिचाती क्यों है? जब सदन में इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं कि फलाँ जगह सड़कें बननी चाहिये, पुलिये होने चाहिये तो कहा यह जाता है कि जब हमारे पास रुपया होगा तो काम करवाये जावेंगे। लोग मान भी जाते हैं। मगर किसान लोग अपनी बैलगाड़ियों को कैसे ले जावेंगे, जब कि रास्ता खराब होगा और गाड़ियें निकल ही नहीं सकेंगी। रास्ता इतना खराब है कि बैलगाड़ियें निकालना बिलकुल इम्पोसिबल (असंभव) हो गया है। इससे लोगों को बहुत परेशानियें होंगी और लोग ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए मैं यह कहूँगा कि यह सब इतनी जाँच के बाद होना चाहिये जिससे अनावश्यक देरी न हो। माननीय मन्त्री ने टालमटोल उत्तर देकर इसको टालना चाहा है लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस बारे में सदन की राय जानी जावे। मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र इस संशोधन को पास करके अपने ही डिवीजन का नहीं, बल्कि सारे राजस्थान के लोगों का हित करेंगे। मैं एक बार फिर यह कहूँगा कि मेरे मित्र कभी-कभी तो अपने पक्ष के लोगों के हित को छोड़ कर सारे राजस्थान के लोगों के पक्ष में अपना वोट दें और इस एमेंडमेंट को पास करें।

(श्री टीकाराम पालीवाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

माननीय अध्यक्ष, यदि मन्त्री जी को बार-बार उत्तर देने का अवसर दिया गया तो मुझे भी फिर कुछ कहना पड़ेगा।

श्री मोतीराम चौधरी—मैं भी इस पर दो शब्द कहना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—आप भी बोलेंगे । अच्छा बोलिए ।

श्री मोतीराम चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि यह नया कानून हम पर क्यों लागू किया जाता है ? जब बीकानेर राज्य ने हम लोगों से पुलिया के वास्ते अलग एक रकम वसूल की और वह इसी बात की कि जहाँ पुलिया टूट जावेगा उसकी रिपेअर्स की जावेगी और यह कानून ऐसा है जिसको लोगों की जरूरत ने बनाया और लोगों ने बनाया । वह कानून यह है कि जहाँ रास्ता हर किसान के जाने के लिए नहर से गुजरता है वह कुदरती है जाने के लिए, तो इसमें फिर दूसरे को पूछने की या कलेक्टर को पूछने की जरूरत क्या है ? कोई जरूरत नहीं । वह रास्ता किसानों की माँग पर या किसानों की सहूलियत के लिए सरकार ने बनाया है और उसी सरकार का ठेका है कि सरकार सभी रास्तों पर पुलिये बनावेगी । इस बिनाय पर १।। रुपया फी पली लिया गया; इसको वाटर कोर्स कहते हैं । सरकार को, जहाँ-जहाँ रास्ते खराब हैं बना देने चाहिये । सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इस पर अब सरकार नये कानून बना कर किसानों को इस रास्ते से वंचित नहीं रखे । आप तहसीलदार या कलेक्टर से जब रिपोर्ट माँगेंगे तो उसमें काफी समय लग जावेगा । रिपोर्ट माँगने का मतलब यह कि यह रास्ता बनने वाला नहीं ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मेरे माननीय मित्र को, माननीय अध्यक्ष, बोलने की आपने इजाजत दी है; मुझे भी दो शब्द इस पर कहने की इजाजत दी जावे । मैं भी इस डिविजन का अनुभव रखता हूँ ।

(आज्ञा मिलने के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री को यह बतलाना चाहता हूँ कि यह जो तज़वीज बिल में की गई है वह एक (अश्रव्य) के रूप में की गई है । वहाँ की स्थिति क्या है यह पूरी जानकारी नहीं है । जब आप एक प्रकार की तजवीज बिल में लाने जाते हैं तो माननीय मन्त्री और सेक्रेटरी को तो इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिये कि वहाँ की स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष—आप इस क्लॉज पर ही बोलिए ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं इसी क्लॉज पर ही बोल रहा हूँ ।

श्री टीकाराम पालीवाल—गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का विषय नहीं है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं इस पोइन्ट पर आ रहा हूँ ।

अगर जनता के आराम की यह बात है तो मैं यह कहूँगा कि वे टेक्नीकल बात पर टेक्नीकल एक्सपर्ट यानि इन्जीनियर से पहले जानकारी करते ।

श्री अध्यक्ष—please come on the subject.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर आपके इन्जिनीयरिंग डिपार्टमेंट वालों ने यह सलाह दी है तो मैं यह कहूँगा कि वास्तविक स्थिति उन्हें भी मालूम नहीं और उनको वास्तविक स्थिति मालूम करनी है तो चीफ इन्जिनीयर, सेक्रेट्री और माननीय मन्त्री, ये तीनों एक बैल की गाड़ी में बैठ कर उस तरफ ५ मील का सफर करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसी दिन वे अपने आप जो सुविधा हम माँगते हैं उसके लिये प्रबन्ध कर देंगे। गड्ढे इतने बड़े हैं कि यह जनता के लिये तकलीफ का मामला बन जाता है। गरीब जनता जिनके पास पैसा नहीं है और जो कुछ भी पैसा होता है उससे बैल, आदि ला कर गाड़ी में जोतते हैं और माल ला कर यातायात करते हैं उनकी गाड़ियें यदि दो-तीन बार उधर से निकलीं तो दो-तीन बार के निकलने से गाड़ियें टूट जाती हैं और उनका हजारों रुपया बरबाद हो जाता है। बीकानेर राज्य ने तो, जैसा मेरे मित्र श्री मोतीराम ने बताया, अपने साधन के अनुसार, जहाँ तक हो सका कुछ पुलिये बनाने की कोशिश की। मगर राजस्थान सरकार के पास तो बहुत-सा धन है। राजस्थान सरकार रुपयों को पानी की तरह जहाँ पर जरूरत नहीं है वहीं बहा रही है, जहाँ जरूरत नहीं है रुपया खर्च किया जा रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है और कहा जाता है कि हमारे पास रुपया नहीं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि असली बात पर गौर नहीं किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्रीजी से यह कहूँगा कि वे इस बात पर विचार करें कि पब्लिक को यातायात के साधन पहुँचाना सरकार का ही काम है और गंगानगर में खास तौर से, जो एक ऐसी मुर्गी है जो राजस्थान के लिये सोने का अन्डा दे रही है। अगर गलती से मुर्गी को मार कर सब अन्डों को एक साथ निकालने की कोशिश की गई तो मुर्गी मर जावेगी और फिर अन्डे नहीं मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष—we are vegetarians in the House.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं कहता हूँ कि अगर गलती की तो राजस्थान को वह दिन देखना पड़ेगा जब मुर्गी मर जावेगी और सोने का अन्डा हाथ नहीं आवेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष—You are a vegetarian.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी को समय दिया गया तो मैं भी माँगूंगा।

श्री अध्यक्ष—There is nothing against you.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा वह पूरी तरह ध्यान से नहीं सुना गया मालूम होता है। मैंने दो-तीन बातें कही थीं और उनमें से एक बात यह थी कि जहाँ तक ऑफिसर्स का ताल्लुक है उसमें सदन की बात ही नहीं उन पर अनड्यू

[श्री टीकाराम पालीवाल]

प्रेशर (undue pressre) पड़ता है, इधर से, उधर से और कितनी ओर से, जहाँ तक संभव हो सब जगह से पड़ता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इधर का प्रेशर कोई नहीं मानता।

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रेशर का ही केवल सवाल नहीं हैं। ड्यूटी है गवर्नमेंट के आदेश को केरी आउट (कार्य रूप में परिणत) करने की। तो मैं बात कर रहा था अनड्यु प्रेशर की। कई दफा कई खर्च आते हैं और ऐसे मामलों में तो अनड्यु प्रेसर की बात हो जाती है। कई जगह तो जरूरत होती है और लोग महसूस करते हैं और कई जगह उसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन चूंकि अधिक सुविधा हो जाय, यहाँ पुलिया बना दी जाय, यह भी हो सकता है। एक अच्छा ऑफिसर सोच सकता है कि यह नितान्त आवश्यक होने पर भी किसको अधिक सुविधाजनक होगा। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रहना चाहिये। यह ज्यादा जरूरी है। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि ऑफिसर्स को उस अनप्लेज़ेन्ट पोज़िशन (unpleasant position) में नहीं डालना चाहिए कि उनको यह कहना पड़े कि हम इसको या उसको नहीं कर सके। उनको जैसी रिपोर्ट देनी हो वे गवर्नमेंट को दे दें और अन्तिम निर्णय हो या न हो, ना भी करना पड़े, खास तौर पर जिस इलाके का वह सवाल है वह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध भी कोई बात समझी जा सकती है। तो 'न' कहने का अनप्लेज़ेन्ट टास्क (अरुचिकर कार्य) रहता है, मैं अपने ऑफिसर्स को उस अनप्लेज़ेन्ट पोज़िशन में नहीं डालना चाहता ताकि ऐसी बातों में उनको 'ना' कहना पड़े और एक प्रकार से डिस्प्लीज़ (अप्रसन्न) करना पड़े। तो वह जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर रखी गई है। यहाँ तक तो एक बात हुई।

दूसरी बात, अभी विरोधी दल के नेता ने कई बातें कहीं कि हमें तो उनकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं। यह फेक्ट है कि यह जनरल एक्ट किसी एक जगह के लिए नहीं हो रहा। यह गंगानगर में भी लागू होगा और सारे राजस्थान में; केवल गंगानगर को सामने रख कर भी नहीं बनाया जा रहा है। गंगानगर की बात कही, तो मेरा खयाल ऐसा है कि ऐसी जो आवश्यकताएं खड़ी हो गईं कि गाड़ियाँ टूट गईं और एक प्रकार से जो भयावह दृश्य खड़ा हो गया, तीन-चार साल में तो नहीं हो गया है। यह तो पहले से चला आ रहा है। मेरा खयाल है, यदि मैं भूलता नहीं हूँ, विरोधी दल के नेता बीकानेर सरकार के सदस्य रहे हैं वर्षों तक, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मेरा यह भी खयाल है कि जितना कार्य उन वर्षों में वहाँ नहीं हुआ उससे अधिक राजस्थान सरकार दो-तीन वर्षों से कर रही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह गलत है।

श्री टीकाराम पालीवाल—जब से गंग केनाल बनी है तब से कुछ दिनों पहले तक केवल छः मील गंगानगर में सड़क बनी। अब सरकार की योजना सैकड़ों मीलों तक बनाने की है; काम जारी है और चल रहा है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

('मुफ्त के रुपयों से' विरोधी पक्ष की ओर से आवाज) मेरे माननीय साथी ने कहा कि सब रुपये ले लिये गये हैं और केनाल आई थी उस वक्त यह वादा किया गया था कि यह इसलिए लिये जा रहे हैं कि जहाँ-जहाँ जरूरत होगी वहाँ-वहाँ पुलिये बनाई जावेंगी। मैं समझता हूँ कि इसको समझने में थोड़ी गलती है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, रुपये जरूर लिये गये थे। वह रुपया इसलिए नहीं लिया गया था कि जहाँ जितनी पुलियों की माँग आयगी वह सब पूरी की जायगी। वे रुपये इसलिए नहीं लिये गये थे कि पुल आदि बनाने में ही खर्च किया जायगा। किन्तु उससे अधिक खर्च किया गया है और किया जा रहा है। एवं अधिक खर्च करने पर भी माँग अधिक से अधिक बढ़ती जाय, वे सारी की सारी पूरी नहीं की जा सकती। जहाँ पुलियों की माँग अधिक है और वैसा मैंने पहले निवेदन किया दूसरी जगह जहाँ पगडंडिया हैं, वहाँ पक्की सड़कों की माँग आ सकती है, उन सारी की सारी माँगों को पूरा करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। इसलिए इतना ही अर्ज कर सदन से प्रार्थना करूंगा कि सारे इम्प्लीकेशन्स को सामने रख कर विचार करें और मैं समझता हूँ कि इस अमेन्डमेंट को डिफीट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव सब क्लॉज़ (२) क्लॉज़ १७ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—Noes have it, Sir.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, sir.

श्री अध्यक्ष—You want to call the Memners—the lobbies Members.

(विभाजन घन्टी बजने के पश्चात्)

The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas to sub-clause (2) of clause 17 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बनें

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ १८, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 18 :—

"That clause 18 be deleted and the rest of the clauses be renumbered accordingly."

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

इस बिल पर जितने भी अमेन्डमेन्ट मैंने प्रस्तुत किये उनमें सब से छोटा और सब से महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट यह है। वह इसलिये कि अभी अभी जो बहस हो रही थी उस बहस के मुताबिक क्लॉज़ नं० १८ को क्यों हटाया जाय इसे मनवाने का आधा काम तो माननीय मन्त्री ने कर दिया। क्लॉज़ १७ के सब क्लॉज़ पर जो बहस हुई उसका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिये, कठिनाइयें भी आ सकती हैं, मुश्किलें भी आ सकती हैं, लोग भी चाहेंगे कि पुलिये भी हों और क्यों न हो, उनका होना सुविधाजनक है। यानी जो कानूनी दांव-पेच के शब्द हैं, जिनका माननीय मन्त्री ने प्रयोग किया, आवश्यक, अत्यावश्यक, सुविधाजनक, अत्यन्त सुविधाजनक; ये सब शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की। आम लोगों की मांग होने पर कलेक्टर की चॉज होने पर भी सरकार की इस बात की बन्धनकारी नहीं होगी कि वह पुलिया बनावे सरकार तुरन्त उसके बाद ही एक दूसरा क्लॉज़ प्रस्तुत करती है जिसमें यह है कि आम लोगों द्वारा किसी भी जगह पर पुलिया बनाने का मौका आये तो उनको आदेश दे दिया जायगा। यह क्लॉज़ इस प्रकार है माननीय चेयरमेन।

"The Divisional Irrigation Officer may issue an order to the persons using any water course......" वाटर कोर्स बनाया हुआ है अथवा नहीं, यह कोई प्रश्न नहीं। जिस वाटर कोर्स को व्यवहार में ला रहा है :

"To construct suitable bridges, culverts or other works for the passage of the water of such water course across any public road, irrigation work or drainage channel in use before the said water course was made, or to repair any such works.

(2) Such order shali specify a reasonable period within which such construction or repair shall be completed; and if, after the receipt of

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

such order, the persons to whom it is addressed do not within the said period......"

तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मान लीजिये वाटर कोर्स सरकार द्वारा बनाया हुआ है या लोगों द्वारा, किन्तु बनाया हुआ हो इस वजह से कहीं कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता पड़े, जो लोग वाटर कोर्स को इस्तेमाल करने वाले हैं उनको रोड कन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सरकार आदेश देगी कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको सरकार कह देगी कि इतना रुपया पे (pay) कर दो, सरकार इस काम को पूरा कर देगी। मुझे समझ में यह नहीं आता कि कार्य जब अपने जिम्मे आता है तब तो कलेक्टर और सार्वजनिक प्रेशर का प्रश्न आता है और अपने जिम्मे आता है तो व्यावहारिकता की दलील दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आप इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर सारी परिस्थिति पर विचार करें, २१ करोड़ और ५५ लाख रुपया जिस सरकार की आमदनी है और २१ करोड़ ५५ लाख ही जो राजस्थान सरकार खर्च कर देती है, अगर उसका यह हाल है तो सौ, डेढ़ सौ का पायनदार या सालाना हजार डेढ़ हजार की आमदनी वाला किसान, जब उसको जमीन पर पुलिया बनाने का सवाल आता है तो उसको आदेश दे दिया जायगा उस पर यह आदेश बन्धनकारी होगा। यह उसूलन गलत है। उसको बनाने का जिम्मा सरकार पर होना चाहिये। कोई सड़क की टूट-फूट हो तो उसकी रिपेयर भी सरकार द्वारा की जानी चाहिये, उसका बोझा किसी भी आदमी पर नहीं डाला जाना चाहिये। आप पानी की कीमत लेते हैं, आबियाना के रूप में लेते हैं और जो आबियाना लगातार बढ़ता जाता है अभी भी आपने वह बढ़ाया है, इसी के विरोध स्वरूप इसी सदन के बाहर ३२ आदमी आबियाना वृद्धि के विरोध में अपनी आवाज लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जब आप पानी देते हैं तो उसकी कीमत वसूल करते हैं, पानी देने की चैनल के अन्दर अगर सड़क आती है तो उसकी रिपेयर भी आपको खुद को करनी चाहिये। आप लोगों को जो सुविधा देते हैं उसकी कीमत वसूल करते हैं और वह लगातार बढ़ा रहे हैं। जहाँ १० लाख की आमदनी होती थी उसे बढ़ा कर आप १६ लाख करना चाहते हैं और लोगों से आप पानी की कीमत ज्यादा देने को कहते हैं। तो फिर जब पुलिया बनाने का सवाल आता है, सड़क की तामीर का सवाल आता है तो आप उस जमीन के मालिक को क्यों कहते हैं कि इसकी रिपेयर तुम कराओ। इस तरह के इरिगेशन वर्क्स (सिंचाई कार्य) केवल आपके राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के दूसरे-दूसरे इलाकों में भी है। मुझे बहुत खुशी होती अगर माननीय मन्त्री बताते कि वहाँ इस प्रकार के पुलिये बनाने पर कौन खर्च करता है। पंजाब में भी इरिगेशन वर्क्स हैं और वहाँ पंजाब में अपने यहाँ से आबीयाना की दर बहुत कम है। यहाँ तो पंजाब के मुकाबले, सरहिन्द के मुकाबले ज्यादा ही है; कुछ कम नहीं है। यहाँ पर हुई बुई नाम की भी एक लाग होती है जो एक बीघे पर दो रुपया है; जहाँ पंजाब में एक बीघा पर पांच आना है। जकात अलग है और दो-ढाई रुपये शेष के हो सकते हैं। यह सब बोझा किसान पर होते हुए पानी की कीमत लगातार आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और जिस पानी की कीमत वसूल करते हैं वह पानी लोगों को मिल सके उसके लिये............

श्री टीकाराम पालीवाल—Are irrigation rates being discussed ?

Page No.60

श्री हरिकृष्ण व्यास—What I am deriving at is that when you are charging for the water that you give and when you are not making any concessional charges, there is no earthsy reason, no moral reason, no human reason, nor even Governmental nor compassionate reason if you ask them to pay for the channels that you have made.

इसी प्रकार जब किसी के मकान पर बिजली दी जाय तो उसको कहा जाय कि खंभे लगाने का काम तुम्हारा है तो यह एक प्रकार से अजीब मुश्किल है; किसी को टेलीफोन दिया जाय और टेलीफोन एक्स्चेन्ज कहे कि तार आप लगाइये तो इस प्रकार से यह कहना कि किसान पुलिये की मरम्मत खुद करावे तो यह उसके साथ ज्यादती होगी। इस प्रकार की ज्यादती इस बिल द्वारा की जा रही है। कोई व्यक्ति जो बाजार में कपड़ा बेचता है, स्टेशन पर गाँठें रखी हैं उसको लाने में खर्च पड़ता है तो वह ग्राहक से कह सकता है कि वह गांठों को वहाँ से लाने का खर्च दे, तो यह एक ऐसी बात है जो व्यवहारिकता से परे है। आपको इसके लिए कुछ रीज़नेबल स्टेंडर्ड रखना चाहिये। ऐसा कानून बनायें जिससे हमें इस बात के लिये कुछ न कुछ स्टेंडर्ड मुकर्रर करना चाहिये। जब पानी की कीमत वसूल करते हैं तो पानी के पहुँचाने का इन्तजाम तो करना आपका फर्ज है। आप कोई कन्सेशन नहीं दे रहे हैं, उल्टा आप पानी की दर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हर साल आप गंगानगर से १६ लाख का नफा उठा रहे हैं तो इस कार्य में आनाकानी क्यों करे ? यह इस प्रकार की जबरदस्ती क्यों ?

क्लॉज १८ जो हमारे सामने आया है वह न सिर्फ एक अन्यायपूर्ण क्लॉज है बल्कि एक खतरनाक क्लॉज है जिसके अन्दर सरकार के जिम्मे का काम एक मामूली किसान पर डाला जावेगा, उससे पैसा और लगान वसूल किया जावेगा और इस पुलिया बनाने का खर्चा भी उससे वसूल किया जावेगा। यह दोहरा बोझा किसान पर पड़ा। मेरे मित्र ने बताया; पहले पुलिया का पैसा लिया, अब तो यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे खेत में मोखा खुलेगा पर मोखे के बीच में सड़क आ गई तो सड़क की रिपेअर भी तुम कराओ। इस प्रकार का अन्याय ही करना है तो एक बात कर लीजिये कि राजस्थान की सरकार का, उसके मन्त्रियों के शासन का और उसके मन्त्रियों की फिजूल खर्चों का इस साल २१ करोड़ का जो खर्चा है, अगले साल २५ और इससे अगले साल और भी ज्यादा हो सकता है, इसके लिए इनको पब्लिक से कह देना चाहिये कि यह पैसा हमें देते रहो, हमारे जिम्मे का काम हम कुछ नहीं करेंगे, पर तुमसे लगातार लेते रहेंगे।

क्लाज १८ पेश करने के पहले पचास बार आपको सोच लेना चाहिये था, पर मैं जानता हूँ कि आप कहते है कि आपको कल्याणकारी राज्य बनाना है। हम तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो बार-बार असंतोष फैलाते हैं। हम कुछ लोगों का काम तो हर काम में गड़बड़ देखना है, पर मैं कहता हूँ कि क्यों आप ऐसा काम करते हैं जिससे हमें या किसी और को भी कोई मोका मिले कुछ कहने का। चेनल आप कन्स्ट्रक्ट (construct) करते हैं, पानी देते है तो उसकी कीमत लेते है और पूरी कीमत लेते हैं और लगातार बढ़ाई गई कीमत लेते हैं और फिर रास्ते में सड़क आवे तो उसकी मरम्मत का पैसा भी किसान दे, यह मरम्मत का पैसा किसान क्यों दे ? अगर आप इनका कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हो तो मैं समझूंगा कि ठीक है; नहीं तो इस क्लॉज को रद्द करना चाहिये और इस तरह से कोई एक मिसाल तो ऐसी पेश करें कि कोई रीज़नेबल बात को मन्जूर करने के लिए आपका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दिमाग बन्द नहीं रहता और यह साबित करें कि बन्द नहीं रहता उनका दिमाग किसी रीज़नेबल चीज को मन्जूर करने में और क्लॉज १८ का वापिस लेकर यह साबित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट पेश करता हूँ।

श्री सभापति—श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन, माननीय श्री एच. के. व्यास ने जो अपना संशोधन रखा है वह इस क्लॉज को डिलीट करने के सम्बन्ध में है। वह बिलकुल निगेटिव है इसलिए इस क्लॉज पर पहले विचार कर लिया जावे और बाद में मेरा संशोधन लिया जावे तो ठीक होगा।

श्री सभापति—क्लॉज डिलीट करने सम्बन्धी यह संशोधन है (श्री टीकाराम पालीवाल से) मैं पूछता हूँ क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इस डिलीशन को?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—No. Not at all.

श्री सभापति—(श्री भैरूंसिंह से) आप अपना अमेन्डमेंट मूव करिये।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—अभी मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने जो अमेन्डमेंट मूव किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूँ। यह मैं नहीं समझ सका कि यह कल्याणकारी और जनहित का राज्य किस तरह से हो गया है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों और महर्षियों ने जिस कल्याणकारी राज्य, जनहित राज्य की परिभाषा की थी उस परिभाषा का अर्थ कलियुग में, ऐसा खयाल होता है कि, उल्टा निकाला जाता है। तो, अगर वाकई में हमारी सरकार हमारे प्रान्त को कल्याणकारी राज्य बनाने की इच्छा रखती है और अपने आपको कल्याणकारी राज्य कह सकती है तो क्या यह जो जनहित के महत्व का सवाल है उस पर विचार नहीं करना चाहिये और क्या जनता के ऊपर कर का बोझा डालकर अपनी जिम्मेदारी को इस तरह टालना चाहिये? यह बहुत बुरी बात है। अगर इसी प्रकार बोझा जनता पर डालना ही कल्याणकारी राज्य है तो हमें कुछ नहीं कहना है। टेक्स लगाना, रोज लगाते रहना और हर किस्म का बोझा जनता पर डालना यह करीब-करीब सरकार का हमेशा का काम हो गया है। तो हम इसको जन-हितकारी और कल्याणकारी राज्य कहें या क्या कहें? इन थोड़े दिनों में हम देख चुके हैं और देख रहे हैं कि हमारी सेन्ट्रल सरकार से लेकर इन राज्य सरकारों तक ने इस प्रकार का कर लगाना शुरू कर दिया है यानि मरने पर भी कर लगा दिया है, जन्म लेने पर भी कर लग जावेगा हरेक बात में कर लग जावेगा। तो जो यह आबपाशी का काम है, ड्रेनेज का काम है या चेनल्स का काम है या उस पर सड़क भी निकले वह भी जनता बनावे, वाटर कोर्सेज़ हैं उस काम का बोझा भी हरेक काम का बोझा जनता पर डाले और इसकी सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं तो मैं कहूँगा कि यह बहुत ऐतराज लायक प्रोवीजन है। इसे रिएक्शनरी प्रोवीजन भी कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी राय में ऐसा प्रोवीजन हरगिज़ नहीं होना चाहिये।

Page No.62

श्री भैरूं सिंह—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 18:—

"A new sub-clause (3) be added :

"(3) In any case, besides all reasonable facilities, one half of the expenditure incurred on such construction or repairs shall be met by the Government. The amount due from persons concerned may be contributed in the form of cash material and labour."

माननीय चेयरमेन, अभी इस क्लॉज के अन्दर जो एक संशोधन रखा गया था वह इस क्लॉज को डिलीट करने के बारे में था। आशा तो यह थी कि माननीय मन्त्री उसको नामन्जूर करने के लिए उसके कुछ कारणों पर प्रकाश डालते लेकिन जिस तरह से पहले से कोई विचार किया हुआ होता है कि चाहे किसी भी संशोधन के पीछे कोई रीज़निंग क्यों न हो उसको अस्वीकार ही करना है, तो उस प्रकार की मन्शा से उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि यह संशोधन नामन्जूर है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे जो कुछ कहना है वह बाद में कहूँगा।

एक माननीय सदस्य—सुनाई नहीं दिया क्या, कहा आपने ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे अपना उत्तर देना है अभी।

श्री भैरूं सिंह—माननीय चेयरमेन, उत्तर देने से पहले वह जो संशोधन निगेटिव फोर्म (negative form) का है वह अभी दे दें और माननीय मन्त्री अपनी राय कह दें इस पर तो......

श्री सभापति—आप अपना अमेन्डमेंट मूव करिये।

श्री भैरूँ सिंह—मेरा संशोधन जो है वह यह है कि जो वाटरकोर्स के कारण किसी भी उस वाटरकोर्स के पानी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए सरकार यह लाजमी कर दे कि इसके ऊपर उसको पुल, सड़क या ऐसे या किसी अन्य भारी इर्रिगेशन वर्क के लिए पुलिया बनानी पड़ेगी तो सारे का सारा खर्चा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा और यदि उस पुलिया के बनाने के लिए जो समय निर्धारित कर दिया जाता है उस समय में वह पुलिया नहीं बना सकता है तो इर्रिगेशन ऑफीसर को अधिकार होगा कि सरकारी खर्चे से इस प्रकार की पुलिया बनावे और वह सारा का सारा खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करे।

संशोधन इसके बारे में मेरा जो है वह यह कि उसका सारा खर्चा उस व्यक्ति से वसूल नहीं किया जाकर आधा खर्चा वसूल किया जावे और उसके साथ साथ आधा खर्चा सरकार दे। इसके साथ ही जितनी भी पुलिया बनाई जावें उनमें सरकार की ओर से रीज़नेबली जितनी भी फेसोलिटीज़ दी जा सकती हों, दी जावें।

[श्री भैरूंसिंह]

अब यदि वाटरकोर्स की डेफीनिशन देखी जावे तो यह स्पष्ट होगा कि वाटरकोर्स वह चीज है जिसका पूरे का पूरा खर्चा, जिस व्यक्ति द्वारा उसका फायदा उठाया जाता है उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो। वाटरकोर्स की डेफीनेशन है कि:—

'Water-course means any channel not maintained at the cost of Government, which is supplied with water from a Canal, channel, pipe or reservoir, and includes any subsidiary work belonging to such channel."

तो जिस तरह से वाटरकोर्स का पूरा खर्चा, जिस व्यक्ति को पानी दिया जा रहा है, उससे वसूल किया जाता है उसी तरह से सरकार का कहना है कि उसके ऊपर जितने भी पुलिया आदि हों वे भी वही बनाये, कन्स्ट्रक्शन का सारा खर्चा वहीं करे।

अब इस जगह हमें व्यवहारिकता से यह देखना पड़ेगा कि जो कुछ पानी के जरिये से फायदा होगा उसका हिस्सा अकेला वह व्यक्ति ही नहीं उठावेगा पर सरकार भी उठाती है। जो पानी जावेगा उससे सिंचाई होगी और उस सिंची हुई जमीन की जो दर होगी वह उस जमीन से ज्यादा होगी जिस जमीन में सिंचाई नहीं होती है। बारानी और चाही की रेट में फर्क होता है, चाही की रेट जिस जगह होता है बारानी से अधिक ही होती है। सिंचाई होने से बारानी से अधिक फायदा होता है। तो जिस व्यक्ति ने नहर से पानी निकालने के लिए नहर बनाई, उसने उसका खर्चा बर्दाश्त कर लिया। अब अगर उसके बीच में कोई सड़क आ गई और उसके कारण सड़क पर भी पुलिया बनाने का काम उसका हो गया तो मामूली पुलिया तो वह बना सकता है जिस पर से पाँच-सात आदमी गुजर सकते हों पर अगर कहीं ट्रन्क रोड आ जाय जिसकी २० फुट तक चौड़ाई हो या इससे अधिक हो तो वहाँ बीस फुट की पुलिया बनानी पड़ेगी।

और इस तरह से यदि उसको ५-६ पुलिया बनानी पड़ी तो वह आदमी इस बात की कभी हिम्मत नहीं कर सकेगा कि फलाँ नहर से कोई छोटी नाली और पुलियों के द्वारा जमीन के अन्दर पानी ले जा सकता है और पानी ले जाकर उस जमीन को सिंचाई के योग्य बना सकता है। तो सरकार को दो दृष्टिकोण इसके सामने रखने होंगे। जो आदमी इस प्रकार की पुलिया बनाता है उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हो और दूसरा दृष्टिकोण यह बनाना होगा कि जितनी बारानी जमीन है उसको ज्यादा से ज्यादा किस तरह से सिंचाई के योग्य बनाया जाय। तो पहला दृष्टिकोण इस बात की दलील है कि सरकार जितनी बारानी जमीन है उसको किसी न किसी जरिये से सिंचाई के योग्य बनाना चाहिए और इसमें जितनी फेसिलिटीज़ दे सके वह सारी की सारी फेसिलिटीज़ उन लोगों को दे।

दूसरा जो दृष्टिकोण है वह यह देखे कि उस इलाके के रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है? वहाँ के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति ठीक है तो इस प्रकार की प्रेक्टिस ठीक है। लेकिन हम जरूर यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान में काश्तकारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है और इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब काश्तकारों की आर्थिक स्थिति खराब है, उस वक्त उनकी

[श्री भैरूँसिंह]

आर्थिक स्थिति इस किस्म की हो कि या तो जमीन पर पानी पहुँचाने के लिए जो नालियाँ बनें, उन पर जितने पुल बनाने हों तो वह बनावे । जो सड़क के ऊपर पुल बनाने हों वह सरकार को बनाना हो तो इरीगेशन ऑफिसर कलेक्टर को लिखेगा, इसके बाद मौका देखा जायगा, कई एस्टीमेट बनेंगे और उसको रिकमन्ड करके कलेक्टर गवर्नमेंट को भेज दे और गवर्नमेंट चाहे तो सड़क बनाना स्वीकार करे । यह प्रोसीजर है । दूसरी तरफ पुलिया बनाने का जो प्रोसीजर है वह यह है कि सरकार आदेश दे सकती है कि तुमको सड़क पर पुलिया बनानी पड़ेगी और अगर नहीं बनाई तो इरीगेशन विभाग अपने खर्चे से पुलिया बना लेगी और सरकार उससे खर्चा वसूल करेगी। पुलिया यदि सरकार बनाती है तो उसका प्रोसीजर यह है कि गवर्नमेंट तक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट चाहे तो कलेक्टर की रिकमन्डेशन में हेरफेर कर दे और यदि किसी आदमी से बनाया जाय तो उसमें गवर्नमेंट का कोई एप्रूवल नहीं । एक ऑर्डर काफी है कि तुमको पुलिया बनानी पड़ेगी और वह पुलिया, यदि समय जो निर्धारित किया गया है उसके अन्दर नहीं बनती है तो हम खर्चा करके उसको बना देंगे और सारा का सारा खर्चा तुमको देना पड़ेगा । जिस जगह जागीरदारी सिस्टम है और वहाँ जागीरदार किसी प्रकार का डेवलपमेंट करता है तो अक्सर यह देखा गया है कि यदि काश्तकार की अनुमति हो, यदि काश्तकार भी यह चाहे कि उसकी जमीन में किसी प्रकार का डेवेलपमेंट हो, तो काश्तकार भी मानले कि लेबर उसमें लगता है तो उसके खाते का काम करता है । अगर मिट्टी उठाने का काम करता है, कहीं पत्थर लाने की आवश्यकता पड़े तो पत्थर लाने का काम करता है, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है काश्तकार अपनी जेब से नहीं देता है, जागीरदार अपनी जेब से देता है । दोनों के सहयोग से वह डेवेलपमेंट करते हैं । इससे फायदा उठायेंगे काश्तकार मगर सरकार ज्यादा फायदा उठाती है । जिस जरिये से फायदा उठाया जाय उस जरिये से पूर्ति की जाय और खर्चा दोनों पार्टियों के ऊपर हो ।

दूसरी तरफ पैदावार बढ़ाने के लिए जिन जरियों से लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है उन सारी की सारी चीजों को रोकें और रोकें इस ढंग से कि हम उनके सामने आर्थिक बन्धन डाल दें, आर्थिक समस्या पैदा कर दें, जिस आर्थिक समस्या के कारण वे इस तरह की पुलिया, इस तरह की नालियाँ बनाकर बारानी जमीन को सिंचाई के योग्य न बनायें । पैदावार को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है तो मेरे इस संशोधन को सुनकर बिल्कुल इस चीज को नामन्जूर कर दे और पुलियों का सारा का सारा खर्चा सरकार दे । सरकार यदि विकास योजनाओं के कारण या सरकार खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इतनी तो कम से कम करेसी बतलाये कि आधा खर्चा खुद उठाये और आधा खर्चा उनसे वसूल करे । वह आधा खर्चा भी उस पुलिया के बनाने का या उस जमीन को ठीक करने का जो उनसे वसूल करे या तो वह केश में हो या मेटीरियल में भी हो या मेनुअल लेबर में हो, वसूल कर लो ।

दूसरा मेरा निवेदन रीजनेबल फेसिलिटीज़ मिलने का है । आज किसी आदमी को हुक्म दे दें कि "तुमको यहाँ पुलिया बनानी है" । पुलिया में आवश्यकता गर्डर की हुई तो गर्डर का परमिट लेने वह जयपुर आ गया, लेकिन गर्डर उस वक्त यहाँ ऐवेलेबल नहीं हुआ तो वह चला

[श्री भैरूँसिंह]

गया वापिस। इस तरह से उसको जो ब्रिज या पुलिया या नाली बनानी है वह नहीं बना सकता है निर्धारित समय में। उधर इरिगेशन ऑफिसर की हिदायत है कि फलाँ तारीख के पहले-पहले तुमको इस प्रकार की पुलिया बनानी पड़ेगी और उस पुलिया को बनाने के लिए गर्डर नहीं मिलता है गाँव में और बाहर। वह गर्डर के लिए आता है सप्लाई डिपार्टमेंट जयपुर में। वह जयपुर में आता है तो उसको कहा जाता है कि अभी गर्डर नहीं है, २ महीने में गर्डर आने वाला है तब गर्डर मिलेगा। उस वक्त कोटा नहीं मिला और उससे कह दिया कि जब गर्डर आ जायगा तब अपने आप तुमको इत्तिला मिल जायगी। लेकिन एक तरफ तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि निर्धारित तारीख के पहले-पहले पुलिया नहीं बनी तो वह अपने खर्चे से उसको बनवा देगी और जिस प्रकार भी खर्चा होगा वह सारा का सारा खर्चा उससे वसूल करेगी और दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि उसे गर्डर नहीं मिलती है। इन सारी परिस्थितियों के कारण मैंने अपना संशोधन रखा है कि रीज़नेबल फेसिलीटीज़ दी जाँय। वह गर्डर, पट्टी और पत्थर की भी हो सकती है, टीन की भी हो सकती है। इतनी सहूलियत उसको दे दी जाती है तो उसकी हिम्मत बढ़ती है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार की तरफ से रीज़नेबल फेसिलिटीज़ भी हैं और आधा खर्चा भी मिल रहा है और आधा खर्चा उसको देना है, वह चाहे मेनुअल लेबर के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो। आधा खर्चा उसको मिलेगा तो उसके लिए काफी सुविधा हो जायगी और उस सुविधा से अपनी बारानी जमीन को सिंचाई के योग्य बना सकेगा।

मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे संशोधन पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे और काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को अपने सामने रखेंगे और यदि उनकी जमीन की पैदावार बढ़ाने की नीति होगी तो इस प्रकार के मेरे संशोधन को स्वीकार करने में उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—सभापति महोदय, मुझे खेद है कि बहुत साधारण-सी बात के लिए इस सदन का बहुत ज्यादा समय लिया गया और ऐसा लगता है कि जो चीजें बहुत स्पष्ट हैं उनको भी थोड़ा-सा समझने की दृष्टि से वे देखते, यदि थोड़ा समझने की कोशिश की जाती तो यह जितना कुछ कहा गया है उतना कहने की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटे से विषय में चारों ओर की बहुत-सी बातें कह डाली गई हैं। यह नहीं देखा गया है कि असल में हमारा स्कोप कितना है।

क्लॉज़ १८ के बारे में बात करते हुए और संशोधन के विषय में भाषण देते हुए माननीय सदस्यगण क्लॉज १७ को शायद बिल्कुल भूल गये जिसको कुछ ही क्षण पहले सदन ने पास किया है और जिसमें भी बहुत कुछ बहस हुई। मुझे खेद इस बात का है कि हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने भी उस चीज़ की तरफ ध्यान देने की कृपा नहीं की। ऐसा लगता है, मुझे सदन में और संदेह होता है कि माननीय सदस्य जिन्होंने पहले अपना एमेंडमेंट रखा था, वे नये-नये डिसाइ-पल्स बनाते जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।......

श्री हरिकृष्ण व्यास—थोड़े दिनों में और बढ़ जायगी।

श्री टीकाराम पालीवाल—Anyway, that will be not a happy day.

श्री हरिकृष्ण व्यास—From that side many will come here, do not worry.

श्री टीकाराम पालीवाल—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) मेरे कहने का तात्पर्य यह कि क्लॉज़ १७, जिसको हमने पास किया है, प्रोवाइड करता है उन कामों के लिए, उन पुलों के लिए जिनको कि निश्चित रूप से गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा। वहाँ पर किसी जनता को नहीं बनाना पड़ेगा, किसी से कोई कन्ट्रीब्युशन नहीं लिया जायगा, लेकिन वह नहरों की बड़ी बड़ी डिस्ट्री-ब्युटरीज़ पर और कुछ बड़े किस्म के काम हैं; पुल जिनको कहा जा सकता है, पुलिया जिनको कहा जा सकता है वह सब गवर्नमेंट ही बनायेगी। यह ठीक है कि जहाँ सरकार जनता की जरूरत समझेगी वहाँ बनायेगी। कोई कह दे कि १०० गज के फासले पर या ५० गज के फासले पर बना दी जाय, वह नहीं बनायेगी, जहाँ जरूरत समझेगी वहाँ बनायेगी। सड़क, पुल, बड़ी नहरें, डिस्ट्रिब्यूट्रीज, जिनमें कि अधिक कीमत लगती है वह सब बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली है। क्लॉज़ १७ की इस चीज को भुलाया जा रहा है। क्लॉज़ १८ में जिन पुलियों व नालियों को गाँव वालों को करना होगा वह जरा-जरा सी हैं, वह बहुत छोटी चीज़ है, छोटे-छोटे वाटर कोर्सेज़ हैं जिनकी संख्या अधिक अवश्य है लेकिन जो अपने आपसे बहुत कीमती नहीं हैं। संख्या इसलिए बहुत हो सकती है कि एक डिस्ट्रिब्युटरी, एक केनाल पर कई बड़े-बड़े पुल कम हो सकते हैं लेकिन एक ही डिस्ट्रिब्युटरी बहुत कुछ एरिया को सर्व (serve) करती है और उसमें से बहुत कुछ संख्या में छोटे-छोटे वाटर कोर्सेज़ दिये जाते हैं और हरेक गाँव में कई-कई वाटर कोर्सेज़ लिये जाते हैं। अतएव यह ठीक है कि वाटर कोर्सेज़ की संख्या बहुत ज्यादा होगी और जो क्रोसिंग्ज़ व पुल वगैरह बनाये जायेंगे वे बहुत छोटे-छोटे होंगे। माननीय सदस्य को पता नहीं है कि कहाँ गर्डर्स की जरूरत पड़ेगी। बड़े गर्डर्स की जरूरत पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि किसानों को आने-जाने में २०-२० फुट की सड़कें पार करनी पड़ेंगी, जिससे मुश्किल हो जायगी। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हमारे पास नाले नहीं हैं और दूसरी तरफ बात करते हैं चार-पाँच सड़कें पार करने की। कहाँ से आई ये सड़कें? मैं समझता हूँ इस तरह की बहस करने से कोई नतीजा नहीं निकलता, सिवाय इसके कि कुछ बोल लें, हो-हल्ला कर लें। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सरकार को फायदा होगा इससे बारानी लेंड (जमीन) का, इर्रिगेटेड लेंड का लगान बढ़ेगा; इसलिए सरकार को ही खर्चा करना चाहिये। सरकार तो बहुत-सी चीजों में खर्च कर ही रही है। नहर लाने में खर्च कर रही है, डिस्ट्रीब्युटरीज़ बनाने में खर्च कर रही है और बड़े-बड़े पुल बनाने में खर्च कर रही है। छोटे-छोटे कलवर्टस बनाने का भार किसानों को दिया गया है इसलिये उनकी इसके लिये जिम्मेदारी है। उनको क्रोस करना पड़ता है इसलिये उन्हीं को क्रोसिंग्ज़ बनाने चाहिये।

आपने एक कॉम्प्लीमेण्ट पे कर दिया, बेनिशिंग ओर्डर जागीरदारी का है उसको। उसके बारे में आपने कहा कि जागीरी प्रथा के अन्दर जमीन पर जो इम्प्रूवमेंट होता है उसमें पैसा जागीर-

[श्री टीकाराम पालीवाल]

दारों का लगता है और लेबर वगैरह मामूली तौर पर किसानों की लगती है। जागीरदार मामूली टैक्स लेते हैं। वे कितना लेते हैं, यह सब को मालूम है। वे आधा हिस्सा ले लेते हैं।......

श्री हरिकृष्ण व्यास--आधे से कम आप भी नहीं लेते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल(भाषण जारी रखते हुए)—ये सब बातें देखते हुए "कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा" वाली बात आपने की है This is no Contribution to the Consideration of the Bill, इसलिये निवेदन है कि यह कोई बड़ी चीज नहीं है और यह कह डाला माननीय सदस्य ने, जिन्होंने कि अमेन्डमेन्ट मूव किया, कि यह बहुत छोटा अमेन्डमेंट है, लेकिन बहुत महत्व का है और कहा कि इसका कोई प्रोविजन नहीं है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने कहा था कि माननीय मन्त्रीजी बतायेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल--(भाषण जारी रखते हुए) जिस आधार पर आपके भाव हैं उनसे मालूम होता है कि शायद आपको चुनाव के लिये कॉन्स्टीट्युएन्सी तैयार करनी है उसके लिये यह तरीका अपनाया गया है। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी की भावना के विरुद्ध हो जाती है। लेकिन पोपुलेरिटी गेन करने के लिये इस सदन के फ्लोर का उपयोग नहीं करना चाहिये। वह कभी-कभी होना चाहिये, हर क्लॉज़ पर करना उचित नहीं। आप सिद्धान्त की बात करते हैं, लेकिन मेरा ध्यान है कि उनका एक सिद्धान्त यह हो गया है कि कोई काम, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हर हालत में रुकावट डालना; ऐसा आपने अपना सिद्धान्त बना लिया है। यदि आपका यही सिद्धान्त है तो मुझे अफसोस है कि इससे किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। यह बड़े खेद की बात होगी, यदि आम तौर से गम्भीर विषयों में भी हम इसी तरह से चलते रहेंगे।

दूसरे अमेन्डमेंट में यह कहा जाता है कि कम से कम आधा खर्चा गवर्नमेंट अदा करे और आधे हिस्से में किसानों से श्रम का कंट्रीब्युशन ले लिया जाय। लेबर की कंट्रीब्युशन देने में रुकावट क्या है? जब किसी क्रोसिंग को बनाने की आवश्यकता होती है और किसान अपने आप नहीं बनाते हैं तब सरकार के अफसर बनवाते हैं और वह भी हर हालत में नहीं। यह लाजमी नहीं है कि हर हालत में गवर्नमेंट ही इसे अपने हाथ में ले। गवर्नमेंट यदि यह सोचती है कि अमुक वाटर कोर्स पर खर्चा करना गवर्नमेंट के लिये ठीक होगा तब गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। लेकिन जब गवर्नमेंट यह महसूस करे कि जो लोग इसे यूज़ करेंगे उन्हीं की जिम्मेदारी इन्हें बनाने की है या मेन्टेन करने की है तो उसका खर्चा उन्हीं को देना चाहिये। मैं छिपाना नहीं चाहता कि आम तौर से वाटर कोर्स के मेन्टेनेन्स का खर्चा, पुल क्रोसिंग आदि का खर्चा मेरे ख्याल से किसानों को ही देना चाहिये। उन किसानों को जिनकी हालत सुधारने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और थोड़े से लोग उन्हें मिसलीड करने के लिये भाषण दें, यह नहीं होगा। उनको प्रोत्साहित किया जाय कि अधिक से अधिक काम करें तभी उनकी हालत सुधरेगी। इस प्रकार

[श्री टीकाराम पालीवाल]

की हालत से उनकी मदद नहीं की जा रही है बल्कि उनको मिसलीड करके उनका अहित किया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मेरे माननीय मित्र जो अभी बोल रहे थे उनका भाषण सुनने से मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ दिन पहले वे राजस्थान के होम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर होने के नाते उनकी डराने-धमकाने की आदत उनकी पड़ गई थी। ऐसा लगता है कि अभी भी वह आदत उनकी छूटी नहीं है इसलिये उन्होंने सदन के मेम्बरों को भी डराना-धमकाना शुरू किया।

श्री श्रीदास गोयल—क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—थोड़ा-थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है। आपको शायद ज्यादा लग रहा होगा।

श्री श्रीदास गोयल—हमको तो नहीं लग रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बहुत खुशी हुई यह सुन कर कि आपको डर नहीं लग रहा है। तब तो जरूर आप मेरा साथ देंगे। मैं यह बता रहा था कि माननीय मन्त्री, होम मिनिस्टर की रौब-दौब की भाषा में डराने, धमकाने का रवैया अख्त्यार करके डराने लगे। वे अब केवल मन्त्री हैं और इर्रिगेशन के, इसलिये इर्रिगेशन के मन्त्री से हमें नहीं डरना चाहिये। यह व्यर्थ की बात है इसलिये मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता।

दूसरा जिक्र यह किया गया कि मैं नयी कॉंस्टीट्यूएन्सी बना रहा हूँ। कुछ लोगों को सुबह-शाम यही बात लगी रहती है कि मैं नयी कॉंस्टीट्यूएन्सी बना रहा हूँ क्योंकि सड़क बनाने का प्रश्न होता है तो मैं बोलता हूँ, इर्रिगेशन का प्रश्न है तो मैं बोलता हूँ, स्कूलों और अस्पतालों का प्रश्न होता है तो भी मैं कहता हूँ। इसमें कई विशेष कारण होते हैं, जिससे हर बात में मुझे कहने का मौका मिल जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सारे राजस्थान या सारे देश को अपनी ही कॉंस्टीट्यु-एन्सी मानते हैं। कुछ लोग छोटे से दायरे में ही सोचते हैं। श्रावण के अन्धे को हरा ही हरा दिखता है। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिये। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई कि सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, सरकार इतना खर्च कर रही है, सरकार बड़े-बड़े पुल बना रही है, नहर ला रही है, बड़े-बड़े काम कर रही है इसलिये थोड़ा काम किसानों को भी करना चाहिये। मैं भी कहता हूँ कि जरूर करना चाहिये। किसान सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। रोज-रोज डींग हाँकने के लिये सरकार को पैसा कौन देता है। नहरें बनाते हैं, पुल बनाते हैं तो आबयाने के रूप में पैसा कौन देता है ? आप नये-नये कर लगा रहे हैं जिसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खिलाफ एक नहीं बल्कि हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं; यह कोई मामूली बात नहीं है। ४० आदमी यहाँ तक चिल्लाने के लिये आये हैं। पैसा दे रहे हैं किसान और डींग मार रहे हैं आप और फिर भी उन पर अत्याचार कर रहे हैं।

सबसे बड़ा काम वह कर रहा है और अब भी इस एक्ट के मातहत दो नये-नये टैक्स लेंगे, उनकी वसूली का, इरिगेशन चार्जेज़ बिल जिसमें त्रि-सूत्री टैक्स लगा दिये हैं, पानी के पैसे अलग, नहरों, नालियों के मैन्टेनेन्स के पैसे अलग, इलाके को हरा-भरा सरसब्ज़ कर दिया इसके लिये टैक्सेशन के कारण इसका टैक्स देंगे।

प्रश्न यह नहीं है कि किसान का जिम्मा है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि आप जिस चीज की कीमत वसूल करते हैं वह चीज किसान के घर तक पहुँचाने का जिम्मा किस का, उसूल की बात है जो डराने से नहीं टलेगी, टालने से नहीं टलेगी, किसान के घर तक पहुँचाओ, यह आवश्यक है। फिर भी किसानों से कहते हैं कि तुम भी पुलिये बना कर सहयोग दे दो; बड़े-बड़े पुलिये हम बनाते हैं, छोटे-छोटे तुम बना दो। तो फिर आबियाना मत वसूल करो, बना देंगे। बाद में कीमत वसूल करने का मौका नहीं आना चाहिये। कीमत तो लेते हैं बराबर और फिर किसान से कहते हैं कि पुलिये तुम बना दो। अंग्रेजी में कहावत है :

"Heads I win tails you loose"

हिन्दी में इसको कहते हैं :

"चित भी मेरी, पुट भी मेरी और अंटा मेरे पास है ही" तो राजस्थान सरकार की नीति ऐसी ही है।

एक माननीय सदस्य—आप किस (कहावत) को मानते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं डाँट नहीं रहा हूँ समझा रहा हूँ।

मैं यह कह रहा था माननीय चेयरमैन, राजस्थान सरकार किसानों को कहती है कि पानी देंगे इसलिए पैसे भी दो और पुलिये भी बनाओ, पानी तुम्हारे खेत में पहुँचा इसलिए पुलिये तुम बनाओ। यह दोनों काम कैसे चलेंगे ?

दूसरी बात इसमें यह कही गई कि पानी के घड़े में यदि निकलेगा तो मक्खी या मच्छर निकलेगा, हाथी तो नहीं निकलेगा, किसान के सड़क आयगी तो एक आध आयेगी। ठीक है आयेगी तो एक आध सड़क ही, पर उस सड़क में किसान की कमर टूट जायगी। अगर एक सड़क में से वाटर कोर्स जाता है तो दूसरी टूट-फूट, मरम्मत, मेन्टेन करने का किसान को कितना खर्चा देना पड़ेगा ? और सड़क पर से कौन चलता है ? राजस्थान के मिनिस्टरों की मोटरें, टैक्सी मोटरें सर्विसेज़ जो इनके साथियों की चलती है, देश सेवक हैं न इसलिए परमिटों की भरमार है, उनकी मोटरें चलेंगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार को १५००) रुपया टैक्स देने वाला ६ टन का ट्रक भी चला जाय और वह पुलिया टूट गया तो सरकारी अफसरों ने हुक्म निकाला कि तेरे खेत में पानी जाता है, तू पुलिया बांध किसान के खेत के अन्दर कोई चीज हो तो उसका जिम्मा किसान का हो सकता है परन्तु अगर उसके खेत के बाहर कोई चीज है तो इसका जिम्मा किसान का नहीं, सरकार का जिम्मा है, लोकल सेल्फ बोडीज़ का जिम्मा है, समाज का जिम्मा है।

कल तो आप कहेंगे कि तुम्हारे घर के सामने कोई कचरा डाल जाय तो अपने अपने घरों के सामने का कचरा पब्लिक को उठाना चाहिए, सहयोग दो। आप सहयोग देते तो नहीं, लेने के लिए ही कहते हैं। जिसने आप से सामान खरीदा है और उसका सामान पहुँचाते हैं तो उसके घर के अन्दर आगे उस सामान के इस्तेमाल करने का उसको हक है। किसान के खेत में वाटर कोर्स बनाते समय कोई दुविधा आयेगी तो वह (किसान) बनायेंगे, परन्तु उसके खेत तक पानी पहुँचाने का जिम्मा सरकार का है इसलिए उसके पैसे किसानों से लेने का सरकार को कोई हक नहीं है।

यह भी कहा गया कि चीप पोपुलेरिटी (cheap popularity) लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि पोपुलेरिटी आसानी से मिलती नहीं, दूसरी बात है कि पोपुलेरिटी चीफ होती नहीं और तीसरी बात यह है कि पोपुलेरिटी उसी को मिलती है जो पोपुलेरिटी लेने की कोशिश नहीं करता है।

उसूल की बात हो तो यह हो सकती है कि अमुक-अमुक चीज राज्य के लिए या लोगों के लिए हानिकारक है, परन्तु ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया, यही कहा गया कि चीप पोपुलेरिटी क्यों लेते हैं ?

मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूँगा कि आप भी इस चीज को लेने की कोशिश करें न, ताकि ऐसा मौका ही नहीं आवे, लोग किसी का कहना ही न माने। सही बात यह है कि लोग किसी किसी के बरगलाने से या बहकावे में आकर कोई आन्दोलन नहीं उठाते, कोई आवाज नहीं उठाते बल्कि जब उनको तकलीफ होती है और उसके दूर नहीं होने से उनको गुस्सा आता है तब आवाज उठाते हैं, आन्दोलन करते हैं; बरगलाने से नहीं करते।

क्या आप उस समय को भूल गए जब आप भी हमारी ही तरह किसानों को आकर कहते थे कि तुम्हारे ये अधिकार हैं और उस समय की सरकार आपके लिए कहती थी कि ये चीप पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, ये प्रोफेशनल गुंडे हैं, लोगों को भड़काते हैं। इतना जल्दी भूल गये उस बात को! अभी तो ४-५ साल ही हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आप आज उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहे हैं, जिनकी आपने निन्दा की है, वाजिब निन्दा की। शायद आपने और हमने मिल कर (वह निन्दा) की है। पर समय का फेर कि उन्हीं शब्दों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को आपकी तरफ से दोहराया जाय, आँखें दिखाई जाय तो सही पोपुलेरिटी का कह कर टाला जाय।

मैं कहता हूँ कि यह प्रश्न तब तक हल नहीं होगा जब तक असंतोष रहेगा और असंतोष तब तक रहेगा जब तक हकीकत में लोगों के ऊपर बोझा पड़ा रहेगा। पहले आप लोग जाते थे उन हल्कों में तो वहाँ फूलों के हार और थैलियाँ भेट होती थीं, लोग आपको चाहते थे, पर अब आपको कम चाहते हैं, माननीय मन्त्री वहाँ जाते हैं तो काले झन्डों से वहाँ स्वागत होता है। सैकड़ों हजारों इन्सानों के अन्दर जो भावना पैदा होती है वह भावना आर्टीफीशियल नहीं, जिन्दगी के अनुभवों से, जलने वाले दिल में खेद होता है, दुख होता है, उससे पैदा होता है। आप टालें। आपके खिलाफ जैसे उस समय की सरकार आरोप लगाती थी उसी तरह के आरोप आप हम पर लगा कर टाला करते हैं।

हकीकत यह है कि किसानों पर बोझा डालने के पहले आप अपने हाथों को रोकिए। जागीरदारों से ४०,००,००० (चालीस लाख) रुपया बकाया की वसूली रोकने के लिए आप नैनीताल गये, बात-चीत की, फिर अब सदन के नेता गये हैं, इस सम्बन्ध में बात-चीत के लिए और वसूली छोड़ दी जायगी। पर, इस किसान के ऊपर एक नया बोझा डालते समय आपके हाथ नहीं रुकते!

भूतपूर्व जयपुर राज्य एग्रेरियन रिफोर्म्स की सब कमेटी प्रजा मण्डल की बनी हुई थी। उसमें जो बातें रखी हैं, उस रिपोर्ट के एक्सट्रेक्ट्स (extracts) आपके सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा और खास तौर से उस ओर बैठे हुए सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे उस रिपोर्ट को पढ़ें और जरा सोचें कि सन् ३७, ३८ में श्री टीकाराम पालीवाल जो कहते थे उसी के खिलाफ वे कैसे कह रहे हैं? तब आपकी समझ में आयगा कि इस बारे में जो बातें कही जा रही है, तथ्य पूर्ण हैं; परन्तु ये बातें हुक्मरानों की समझ में नहीं आयेंगी। मैं उस ओर बैठे माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि मेरे अमेन्डमेंट के पक्ष में वोट दे कर इसे पास करें और मन्त्री महोदय को बता दें कि चाहे वे मन्त्री हैं तो क्या, उनसे डरते नहीं। इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

एक माननीय सदस्य (कॉंग्रेस)—(श्री एच. के. व्यास को सम्बोधित करते हुए) आपने गुण्डा शब्द अपने शब्द-कोष में कैसे इस्तेमाल किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गुन्डा शब्द का तो मैं प्रयोग करता ही नहीं। मैंने तो कहा नहीं; मालूम नहीं माननीय सदस्य ने कैसे सुन लिया? माननीय सदस्य ध्यान से सुनते तो मालूम होता कि मैंने क्या कहा। मैंने तो कहा था कि.........

[श्री भैरूँसिंह]

श्री भैरोंसिंह [१६]—माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि मन्त्रीजी ने क्लॉज़ १७ और १८ में कोई विशेष फर्क नहीं समझा और मेरे संशोधन को यह कह कर टालने की कोशिश की कि यदि क्लॉज़ १७ को ठीक तरह से पढ़ा जावे और ध्यान से पढ़ा जाता तो क्लॉज़ १८ में इस प्रकार के संशोधन लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री महोदय ने अपने दिमाग को मिसालों के प्रयोग करने में और इलजाम लगाने में काम में लिया। यदि जिस प्रकार मिसालें और इलजाम लगाने में अपने दिमाग को काम में लिया उसी प्रकार यदि क्लॉज़ १७ और १८ को समझने में अपने दिमाग को लगाते तो मैं समझता हूँ कि इस संशोधन का उत्तर देने में इस प्रकार की दलीलों की जरूरत नहीं आती। क्लॉज़ १७ इस बात को साफ बतलाता है :—

"There shall be provided, at the cost of Government. suitable means of crossing irrigation works constructed or maintained at the cost of Government..." Not at the cost of the individual,but at the cost of the Government.

और क्लॉज़ १८ में यह है कि :—

"The Divisional irrigation officer may issue an order to the person using any water course to construct suitable bridge, culverts, or other works...,"

वाटर वर्क्स क्या; जिसे अपने खर्च से बनाया है ? क्लॉज़ १७ में प्रश्न आता है सरकार के पैसे से कन्सट्रक्शन या इरिगेशन वर्क्स हुआ हो और उस पर किसी क्रोसिंग की जरूरत हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन क्लॉज १८ में यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने खर्च से बनाया है तो उसकी सारी कीमत बनाने वाले को देनी पड़ेगी।

माननीय चेयरमैन, दूसरी बात फरमाई गई कि बड़े काम का जिम्मा सरकार ने ले लिया और छोटे कामों का जिम्मा लोगों पर छोड़ दिया। छोटे कामों का जिम्मा "or other works for the passage of such channel"; तो यह भी कोई छोटा काम नहीं है। अभी हम जगह-जगह देखते हैं कि कई प्रकार की सड़कें राजस्थान में बनाई गई हैं। सड़कें बनाते समय किसी जगह जमीन के लेवल को ऊँचा किया गया और किसी जगह लेवल को नीचा किया गया। मान लें कि जिस जगह जमीन की लेवल ऊँची है वहां पर खर्चा ज्यादा होगा और जिस जगह जमीन की लेवल नीचे है तो खर्चा कम होगा। जहां सड़कें बनती हैं तो हम देखते हैं कि पहले मिट्टी इकट्ठी की जाती है, फिर पत्थर डाले जाते हैं और फिर कुटाई होती है और फिर मिट्टी उस पर डाली जाती है। मेरा मतलब यह कि यह इसलिये किया जाता है कि सड़क को किसी प्रकार से पानी से नुकसान नहीं हो। इसलिये यदि उस सड़क से कोई नाला निकाले और पुलिया बनाया गया तो उसका खर्चा क्या होगा, यह अन्दाजा

[श्री भैरूँसिंह]

आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। सरकार में इस प्रकार के पुलिये बनाये जाते हैं और पी० डब्ल्यू० डी० का महकमा इसके लिये तैनात है जो खर्चे का एस्टीमेट लगा सकता है। उनके पास इन्जीनियर वगैरह होते हैं। लेकिन किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक छोटा-सा पुलिया बनाया, पानी में बाढ़ आ गई या वर्षा ज्यादा हुई तो पुलिया टूट गया और फिर दुबारा उसको बनाने का उस गरीब को आदेश मिला कि पुलिया वापिस बनाया जावे। जब उस गरीब के पास पुलिया बनाने के लिये पैसा नहीं है, वह पुलिया नहीं बना सकता इसलिये सरकार इस कानून के अनुसार पुलिया बना लेगी और कलेक्टर को लिख देगी कि उससे Revenue arrears के तौर पर रुपया वसूल किया जावे। मैं यह कहूँगा कि उस गरीब की सारी फसल की पैदावार जो होगी वह इस पुलिये के खर्चे से कम होगी और फिर उसको देना होगा लेन्ड रेवेन्यू भी। तो फिर वह बेचारा गरीब कहां से लावेगा? हां, अगर किसी भी काश्तकार को या किसी भी पुलिये बनाने वाले को यदि किसी पुलिये की रिपेअर्स करानी पड़े या दूसरा बनाना पड़े तो उस साल के लिये उससे किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाने का हुक्म हो; यह समझ में आ सकता है कि सरकार ने उनके साथ कुछ रियायत की है लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। जब दूसरे लोग इसके लिये रिकवेस्ट करते हैं तो यह कह कर कि चीप पोपुलेरिटी गेन करने के लिये यह किया जाता है और चीप पोपुलेरिटी गेन करने की बात का ढोल बजा कर सारी बातों को समाप्त करने की कोशिश की जाती है।

राजस्थान में अभी भी बताया जाता है कि सड़कों की हमारे सामने बहुत कमी है और जब सड़कों का सवाल आता है तो ५-५ सड़कें वाटर कोर्स के सामने आ सकती हैं; लेकिन कहा जाता है कि हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है और हमें बार-बार सदन में इसके लिये आश्वासन दिये जाते हैं और इस सदन के बाहर जब मिनिस्टर लोग कहीं दौरे पर जाते हैं तो यह आश्वासन मिलता है कि इस पंचवर्षीय योजना में नहीं तो अगले पंचवर्षीय योजना में तो इसे अवश्य लिया जावेगा। इसलिये यह तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि सड़कों की आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल यह कि पंचवर्षीय योजना में यह सफल हो या न हो। इसके अलावा यह कहा जाता है कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी सड़कें बनाई जावेंगी और विकास की योजना बनाई जाती है और उसकी आड़ में पैसा भी इकट्ठा किया जाता है। राजस्थान में आज नहीं, ५ वर्षों में, १० वर्षों में नहीं तो १५ वर्षों में सही; यदि शासन ठीक ढंग से चलता रहा तो बन ही जावेंगी। मगर यह कानून जो बन जावेगा, हमेशा के लिये हम पर लागू रहेगा और इससे गरीबों को नुकसान होगा और किसी प्रकार का पुलिया या क्रोसिंग निकाले या निकाला जाए तो सारा खर्चा व्यक्ति को देना पड़ेगा।

मैंने अपना संशोधन इसीलिये रखा है। मैं यह कहूँगा कि जागीरदार लोग इस प्रकार का जो खर्चा होता था उसका आधा खुद दिया करते थे। अब यह कहा जाता है कि जागीरदार लगान कितना लेते थे? अगर पूरे आँकड़े मंगा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो लागें और लगान लिया जाता था वह किसी भी हालत में मौजूदा समय के लगान से ज्यादा नहीं था। उस समय में

[श्री भैरूँसिंह]

उनको बहुत राहत मिलती थी। एक खास व्यक्ति की हुकूमत थी जिसका फायदा उसको मिलता था। लेकिन आज उसके साथ-साथ हकूमत दूर चली गई। हकूमत तो दूर चली गई मगर आज लगान किसी भी हालत में काश्तकार का कम नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि लगान को केश रेन्ट में लेते हैं लेकिन लोग-बागों से कितना लिया जाता है, उसका आप अन्दाजा लगावें। तहसील पंचायतों का टैक्स, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स, लेन्ड रेवेन्यू, इरिगेशन चार्जेज आदि सब हमें ही तो देने पड़ते हैं। यदि इस प्रकार के सभी टैक्सों को मिलाया जावे तो आपको मालूम होगा कि जागीरदार लोग जो लगान लेते थे उससे सरकार (मौजूदा) किसी भी हालत में कम लगान वसूल नहीं कर रही है। यह कहा जाता है कि बटाई ली जाती थी। मगर मैं यह कहूँगा कि जितने लगान आज लिये जाते हैं उनको एक तराजू के पलड़े में और जो जागीरदार लेते थे उनको दूसरे पलड़े में रख कर तोला जावे तो आपको विश्वास होगा कि इस सरकार ने काश्तकारों से ज्यादा लगान लिया है। बहुत मुमकिन है कि किसी हिस्से में जागीरदार के लगान की मात्रा ज्यादा निकल आवे लेकिन उनकी यह भावना थी कि काश्तकारों से किसी विशेष कार्य के लिये, किसी विशेष रूप से लगान लिया जावे। मगर साथ ही साथ जागीरदार लोग डेवलपमेंट के वर्क अपने खर्चे से करते थे। परिस्थिति-वश आज-कल जागीरदार लोग आधा काश्तकार से लेते और आधा खर्चा खुद देते थे, लेकिन पहले के जागीरदार जो थे उन्होंने सब ने अपने खर्चे से ही डेवेलपमेंट के कार्य कराये, काश्तकारों से उन्होंने मेन्युअल लेबर ली। आज जब जमाना बदल गया है फिर भी जागीरदार आधा खर्चा और आधा खर्चा काश्तकार बर्दाश्त करके दोनों मिल कर डेवेलपमेंट को सफल बनाते हैं। आज हमारी सरकार यह कह कर कि हम इस प्रकार का खर्चा दे रहे हैं, ठीक नहीं है। आज यह कह कर कि काश्तकारों से हम जागीरदारों की अपेक्षा लगान कम ले रहे हैं, यह ठीक नहीं है। वे आज कानून बना रहे हैं; वे बना सकते हैं क्योंकि उनकी मेजोरिटी है। उनको लोकमत की कोई परवाह नहीं है तो ऐसी परवाह नहीं होने से कानून जरूर बनायें। किन्तु निश्चित समझ लें कि अपनी जमीन जोतने वाले सारे के सारे काश्तकार, कृषक दल उनके ऊपर इस प्रकार से लगाये हुए टैक्स को किसी प्रकार से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे और वे इसलिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि यह उन पर जबरदस्ती लादा जा रहा है, वे उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसका स्वरूप और कुछ हो सकता है; उसके लिए सरकार को तैयार होना चाहिए। चाहिये तो यह था कि चूँकि मेहनत करने वालों का युग है इसलिए जो मेहनत करें उनको ज्यादा रिलीफ मिले, किन्तु उनको तो रिलीफ नहीं मिलता है और रिलीफ मिलता है उनको जो कि मेहनत करवाते हैं। इसलिए चेयरमैन महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि आधे खर्चे का जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय। अभी बताया गया कि वास्तव में काश्तकारों को राहत देनी चाहिए। जो माननीय मंत्री जी ने बताया उससे तो वास्तव में हिम्मत नहीं मालूम पड़ती है। यदि हिम्मत है तो इस संशोधन के पक्ष में वोट देकर आप साबित कर दें कि वास्तव में हम काश्तकारों को वोट दे रहे हैं।

श्री घीसीसिंह—दो मिनिट बोलना चाहता हूँ।

श्री सभापति—आप किस लिए बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह—इतना ही कहूँगा कि......

श्री सभापति—Order ! Order please !!

श्री सभापति—सदन के समक्ष अब प्रश्न यह उपस्थित है कि क्लॉज़ १८ पर श्री एच० के० व्यास का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

इसी क्लॉज पर श्री भैरूँसिंह का अमेंडमेंट है, क्या सदन को यह स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १९, २०, २१, २२ एवं २३। (विराम) इन पर कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए इन पर मत लिये जाते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—May be taken separately.

श्री सभापति—अलग-अलग क्लॉजेज़ पर अलग-अलग मत लिये जाते हैं।

(खण्ड १९, २०, २१, २२ एवं २३ पर पृथक रूप से मत लिये जाकर विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये)

क्लॉज़ नं० २४, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह—Mr. Chairman, Sir, I beg to nove the following amendment :—

[श्री भैरूँसिंह]

"In sub-clause (2) :

(a) Insert the words 'and to all persons interested therein' between the words 'officer' and 'of' occurring in the third line.

(b) Substitute the word 'notices' for 'notice'."

माननीय चेयरमैन, इस बिल के क्लॉज २४ के अनुसार यदि कोई यह चाहे कि अमुक वाटर कोर्स का कब्जा किसी दूसरे शख्स से मुझे दिला दिया जाय या उसके सारे राइट्स किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रान्सफर किये जायं और जब इस प्रकार की दर्ख्वास्त किसी इरिगेशन ऑफिसर के पास पेश की जाय तो उस दरख्वास्त में जितनी शरायतें जरूरी समझें उनकी पूर्ति हो तो वह इरिगेशन ऑफिसर नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस के बीस दिन के अन्दर-अन्दर किसी व्यक्ति को ऐतराज हो, यदि कोई चाहे कि इस तरह के एग्ज़िस्टिंग वाटर कोर्स के ट्रान्सफर के राइट्स किसी दूसरे व्यक्ति के नाम नहीं किये जायं दूसरे व्यक्ति को कब्जा नहीं दिया जाय, ऐसे ऐतराज किसी व्यक्ति के हों तो कलेक्टर के पास ३० दिन में पेश कर सकता है। इसी क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२) से कलेक्टर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है और यदि कलेक्टर यह चाहे कि इसके ऑब्जेक्शन्स की वेलेडिटी के बारे में जांच करनी है तो वह इरिगेशन ऑफिसर को इत्तला भेजेगा और उसकी इत्तला में जगह और टाइम की सूचना दी जायगी कि फलां तारीख को फलां स्थान पर उन ऑब्जेक्शन्स की वेलीडिटी की जांच की जायगी। मेरा संशोधन इसमें यह है कि इरिगेशन ऑफिसर के पास सूचना भेजने के साथ-साथ, जितने व्यक्ति इससे सम्बन्धित हों उनके पास भी सूचना भेजी जाय। समय की कमी के कारण अगर सूचना इरिगेशन ऑफिसर के पास ही भेज दी गई और सूचना सम्बन्धित व्यक्ति के पास नहीं भेजी गई तो कानून के मातहत कोई बाइन्डिंग नहीं है और इरिगेशन ऑफिसर के लिए लाजमी नहीं है कि स्थान और समय के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति को वह सूचना दे। यह तो उसकी मर्सी (mercy) पर डिपेन्ड करता है। यह भी होगा कि फलाँ आदमी ने उसके खिलाफ शिकायत की है, ऑब्जेक्शन किये हैं, ऐतराज किये हैं, अथवा वह फलाँ आदमी की हिमायत करना चाहता है, रियासत करना चाहता है तो वह तो उसको अवश्य इत्तला देगा; किन्तु बहुत मुमकिन हो सकता है कि हिमायत के स्थान पर, परवरिश के स्थान पर, रियायत के स्थान पर इरिगेशन ऑफिसर के खिलाफ शिकायत जिनकी हो सकती है, उसकी उसके प्रति रंजिश हो सकती है, और उसकी उसको नुकसान पहुँचाने की नीयत हो सकती है और इस प्रकार की नीयत होने से उस इरिगेशन ऑफिसर पर कोई बाइन्डिंग नहीं है, कानून की दृष्टि से और न कोई मोरल बाइन्डिंग (moral binding) ही है। वह चाहे तो इत्तला दे और न चाहे तो न दें। कलेक्टर जांच करने के लिए पहुँच गया और सम्बन्धित व्यक्ति के पास सूचना नहीं पहुँच सकी तो सारा का सारा मामला इकतरफा फैसल हो जायगा। इसलिए फलां स्थान पर और फलां टाइम पर एप्लीकेशन्स, ऑब्जेक्शन्स पेश हुए हैं, इस सम्बन्ध में वेलीडिटी की जांच करने के लिए पहुँच रहे हैं तो यह लाजमी होना चाहिए कि कलेक्टर की कोर्ट से उन व्यक्तियों के पास भी नोटिस जाय, जिन पर कि असर होने जा रहा है। यह मामूली संशोधन है और माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसी आशा है।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा संशोधन मामूली जरूर है लेकिन साथ ही है अनावश्यक। मैं सदन के माननीय सदस्यों को इसके पूर्व के क्लॉज २१, २२ एवं २३ को पढ़ने के लिए कहूँगा। यदि वे उनको पूरी तरह से पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे तो उनको यह लगेगा कि इस प्रकार संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

"**Clause 21 :**—Any person desiring the construction of a new water course may apply in writing to the divisional irrigation officer stating :—

(1) That he has endeavoured unsuccessfully to acquire from the owners of the land through which he desires such water course to pass, a right to occupy so much of the land as will be needed for such water course;

(2) That he desires the said irrigation officer, in his behalf and at his cost, to do all things necessary for acquiring such right;

(3) That he is able to defray all costs involved in acquiring such right and constructing such water course.

Clause 22 :—If the Divisional Irrigation Officer considers :—

(1) That the construction of such water course is expedient; and

(2) That the statements in the application are true; he shall call upon the applicant to make such deposit as the Divisional Irrigation Officer considers necessary to defray the cost of the preliminary proceedings, and the amount of any compensation which he considers likely to become due under section 28, and upon such deposit being made, he shall cause enquiry to be made into the most suitable alignment for the said water course, and shall mark out the land which, in his opinion, it will be necessary to occupy for the construction thereof and shall forthwith publish a notice in every village through which the water course is proposed to be taken, that so much of such land as belongs to such village has been so marked out.

Clause 23 :—Any person desiring that an existing water course should be transferred from its present owner to himself may apply in writing to the Divisional Irrigation Officer, stating—

(1) That he has endeavoured unsuccessfully to procure such transfer from the owner of such water course;

(2) That he desires the said irrigation officer, in his behalf and at his his cost, to do all things necessary for procuring such transfer;

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(3) That he is able to defray the cost of such transfer."

श्री श्रीदास गोयल—Quorum does not appear to be complete, Sir.

(सदन में कुछ माननीय सदस्यों के आगमन के पश्चात्)

श्री सभापति—It is there. (श्री पालीवाल से) You carry on.

श्री टीकाराम पालीवाल—Read Clause 23 (2) (a) and (b).

मेरे कहने का मतलब यह है कि नोटिस की जो बात कही गई है यह पहले से ही हो जाती है, विलेजर्स को पहले से ही नोटिस मिल जाता है। उसके बाद नोटिस मिलने पर they may raise objections within 30 days.

"**Clause 24 (1)** :—Within 30 days from the publication of a notice under section 22 or section 23, as the case may be, any person interested in the land or water course to which the notice refers may apply to the Collector by petition, stating his objection to the construction or transfer for which application has been made.

पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद ओब्जेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं और ओब्जेक्शन्स हुआ करते हैं। Interested parties are already before the Collector. When the interested parties are before the officer with their objections it is upto the Collector that he gives notice to the Divisional Irrigation Officer.

"**Clause 24 (2)** :—The Collector may either reject the petition or may proceed to inquire into the validity of the objection giving previous notice to the Divisional Irrigation Officer of the place and time at which such inquiry will be held."

उस वक्त तक डिवीज़नल ऑफीसर के पास ऑब्जेक्शन्स आये थे उस वक्त तक डिवीजनल इरिगेशन ऑफीसर को मालूम नहीं था कि कौन-कौन से आब्जेक्शन किस आधार पर कर रहे हैं। तो फिर जिन लोगों ने डिवीज़नल ऑफीसर के सामने ऑब्जेक्शन पेश कर दिये हैं तो उनको नये नोटिस देने की जरूरत नहीं। इन्क्वायरी हो रही है इसलिये नोटिस नहीं देने में कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है, they are before the Collector.

"(3) The Collector shall record in writing all Orders passed by him under this section and the grounds thereof."

[श्री टीकाराम पालीवाल]

वह इन्क्वायरी होने के बाद आॅर्डर देता है। तो फिर नये नोटिस देकर नये आॅब्जेक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिये मेरा यह कहना है कि जो अमेंडमेंट रखा है वह मामूली है और मामूली ही नहीं, वह अनावश्यक भी है। इसके लिये इसको लेना कोई जरूरी मालूम नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं०)—माननीय चेयरमेन, माननीय मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया उससे यह स्पष्ट मालूम हो गया कि माननीय मन्त्रीजी ने आज जिस वक्त संशोधन पेश हुए हैं उसी वक्त इस बिल को उठाकर देखा होगा, यह उन्होंने स्पष्ट बता दिया। मेरे संशोधन के उत्तर में क्लॉज़ २१,२२ पढ़कर उनकी शायद यह धारणा थी कि २१ व २२ में इस प्रकार के नोटिस देने की कोई व्यवस्था होगी और अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो क्लॉज २४ में ओब्जेक्शन के लिये नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने इस बात की कोशिश की क्लॉज़ २१ और २२ पढ़कर किन्तु जब क्लॉज़ २४ के सब क्लॉज़ पढ़ने की बारी आई तो वे पढ़ नहीं सके। उसको न पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि उनके दिमाग में यह बात आ गई होगी कि इस प्रकार का नोटिस देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जब सारे क्लॉज को पढ़ लिया तब ध्यान में आया होगा। क्लाज़ेज़ २१-२२ में जो कुछ दिया गया है वह नये इरिंगेशन वर्क के कन्स्ट्रकशन के लिये है, जो कुछ दिया गया है वह नये इरिगेशन वर्क के कन्स्ट्रकशन के लिये है। क्लाज २३ में है वह किसी एक्स्टेन्शन आॅफ वाटर कोर्स के लिये है, रेट्स को ट्रान्सफर करना चाहता है तो उसके लिए कोई दरख्वास्त दे। उसे इरिंगेशन आॅफिसर के सामने प्रस्तुत होने के बाद वह नोटिस जारी करेगा। नोटिस देने के तीस दिन के अन्दर अगर कोई व्यक्ति उससे प्रभावित है, उसकी कोई ग्रीवान्सेज़ हैं तो उसको कलेक्टर के सम्मुख रखे। कलेक्टर चाहे तो इरिंगेशन आॅफिसर को सिफारिश कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन पर सारे अब्जेक्शन्स को खारिज कर सकता है। अगर ओब्जेक्शन के लिये कुछ इन्क्वायरी करने की आवश्यकता है तो कलेक्टर महोदय इस प्रकार की सूचना (नोटिस) उस इरिंगेशन आॅफिसर को भेजेगा जो ट्रांस्फर आॅफ राइट्स की एप्लीकेशन के बारे में जाँच कर चुके हैं। जो ओब्जेक्शन्स पहले किये गये हैं उनकी जाँच करने की आवश्यकता है, इसलिये Objection करने वालों को सूचित करेगा कि जाँच करने के स्थान पर अमुक दिन पहुँच जाँय महज इसलिये कि इरिंगेशन आॅफिसर इस बात की जरूरत महसूस करता है।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—Besides those who are already before the Court.

श्री भैरूं सिंह—यह जो कहा जाता है कि जिन्होंने पहले ओब्जेक्शन दिये हैं वे अपने ग्रीवान्सेज़ रखने के लिए उपस्थित होंगे ही, लेकिन आजकल के कोर्ट्स का जो ढंग है, कोर्ट्स में पहले ओब्जेक्शन किये जाते हैं उसके लिये उपस्थित होने पर कभी-कभी यह कह दिया जाता है कि कलेक्टर साहब मौजूद नहीं या कलेक्टर साहब दौरे पर गये हैं, कलेक्टर जब वापिस आयेंगे तब तक उनके आॅब्जेक्शन खारिज हो जाते हैं। दुबारा जाँच करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी सूचना बाद में दी जायगी। बदकिस्मती से जब दुबारा वह व्यक्ति पहुँचता है तो उसको यह कह दिया जाता है कि कलेक्टर साहब तो पंचवर्षीय योजना की मीटिंग में भाग लेने के लिए गये हैं या मन्त्री महोदय

[श्री भैरूंसिंह]

के साथ दौरे में हैं। इस प्रकार की सूचना पहले मिल जाती है तो उस व्यक्ति का समय भी बरबाद नहीं होगा और कलेक्टर को उस वक्त हाजिर रहना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सूचना देना आवश्यक है। कलेक्टर को सूचना न भी दी जाय तो चल सकता है किन्तु उस व्यक्ति को तो सूचना अवश्य दी जाय, जो ऑब्जेक्शन रेज़ करता है। मेरा माननीय मन्त्री से फिर से निवेदन है कि वे इस संशोधन को मन्जूर कर लें। अगर इसको मन्जूर नहीं किया तो यह मामला गंभीर बन जाता है। किसी के ऑब्जेक्शन आये तो कलेक्टर चाहे जिस व्यक्ति को इत्तला दे दे, यह उसकी मरजी पर डिपैन्ड करता है; बुलाये या नहीं। कलेक्टर के स्थान पर आने के बाद अगर सुबूत नहीं मिले तो सारे के सारे ऑब्जेक्शन खारिज कर दिये जाते हैं।

माननीय मन्त्री ने इन्कार करने का तरीका बना लिया है। अगर उसी तरीके को बनाये रखने का है तो मैं मजबूर हूँ। हमारा संशोधन प्रस्तुत करने का काम है सही राय सरकार के सामने प्रस्तुत करना। आपसे निवेदन है कि आपने जो इन्कार करने का तरीका बना लिया है उसको बदलें। अगर हमारी किसी प्रकार की गलती हो या ज्यादती हो तो उसे स्वीकार न करें, लेकिन रीज़नेबल चीज को सुनकर उसे स्वीकार कर, आप स्पोर्ट्समेन स्पिरिट का परिचय दें। डिवीज़नल ऑफीसर द्वारा जो नोटिस दिया जाता है वह उन्हीं व्यक्ति को मिल सकता है जिनसे कि वह प्रभावित हो। डिवीज़नल ऑफीसर को भले ही नोटिस नहीं दिया जाय, किन्तु उन व्यक्तियों को जरूर नोटिस दिया जाना चाहिये जिन पर किसी प्रकार का असर होता हो और यदि इस प्रकार के संशोधन मन्जूर न करने का ही वतीरा सरकार ने बना लिया हो तो यह तो उनकी मरजी है, पर यह वाजिब जरूर है और मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय भी मन में यह जरूर मानते हैं, पर ऊपर से उनको एक वतीरा निभाना है इसलिए नामन्जूर कर रहे हैं। पर वाजिब होने के नाते चाहे मन्जूर हो या ना हो; इसकी चिन्ता न करते हुए मैं तो कहूँगा ही कि यह वाजिब है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं फिर माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि महज २४ को ही वे न पढ़ जाएं, सेकन्ड क्लाज को भी पढ़ें और फिर इसकी जरूरत महसूस करें तो सम्भव है उसकी जरूरत वे महसूस करेंगे और आशा है वे इसको मन्जूर कर लेंगे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लाज नं० २४ पर श्री भैरूंसिंहजी का जो अमेन्डमेंट है वह स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेंट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है क्लाज २४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ २४ विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ २५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५ विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ २६,२७ तथा २८.

(विराम)

इन पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २६,२७ तथा २८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २६,२७ तथा २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

(विराम)

क्लॉज़ नं० २६, इस पर श्री भैरूं सिंहजी का अमेन्डमेंट है। श्री भैरूं सिंह।

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—Mr. Chairman, sir, I beg to move the following amendment to clause 29 (2):—

"Delete the words or if any water course constructed or transferred under this Act is discussed for three years continuously' occurring in the second and third line of the sub-clause."

माननीय चेयरमेन, जिस कब्जे को मुन्तकिल करने के बारे में सदन में बहस हो रही थी उस दरख्वास्त के कारण से यदि किसी व्यक्ति को कलेक्टर द्वारा उस जमीन का कब्जा करा दिया जाता है तो कब्जा करने के बाद में जो क्लॉज २६ के मातहत शर्तें रखी गई है उसका पालन करने का एक जिम्मा उसके जिम्मे होगा। यदि वह शख्स जो शर्तें क्लॉज २६ के अन्दर निर्धारित की गई हैं उनके ऊपर अमल नहीं करता है या उन शर्तों का पालन नहीं करता है तो सरकार को अधिकार होगा या यह माना जावेगा कि उस जमीन के ऊपर जिसका कब्जा उसके नाम मुन्तकिल हुआ है उसके ऊपर से

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १३)]

उसका अधिकार नहीं रहेगा और अब क्लॉज (२) में जो संशोधन रखा है उसकी मन्शा यह है कि जो कोई नियम बने हैं या जो इस क्लॉज के मातहत कन्डीशन्स मुकर्रर हुई हैं अगर उनकी पूर्ति नहीं हुई है तो वह कब्जे से वंचित हो सकता है। पर इस क्लॉज में आगे और एड कर दिया "or if any water course constructed or transferred under this Act is discussed for three years continuously" मुन्तकिल जो कब्जा किया गया, जो वाटरकोर्स नया बनाया और अन्य कोई इरिगेशन वर्क तैयार किया गया यदि इसके बारे में मुकदमा तीन साल तक चलता रहा और तीन साल से आगे तक चलता रहा तो उस एप्लीकेन्ट का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब तक के कानूनों में, जो अब तक हमारे सामने आये हैं, उन सबमें वह एक प्रकार की बिलकुल नई चीज है।

यह मानकर चलना पड़ता है कि सरकार की कचहरियों में जल्दी फैसले नहीं होते, यह अक्सर शिकायत आती है। एक मुकद्दमा आज किसी कोर्ट में दायर कर दिया गया तो उसमें फैसला होने में दस साल भी लग सकते हैं, पाँच साल भी लग सकते हैं, कभी-कभी बीस साल भी लग सकते हैं और राजस्थान के कोर्टों में तो ऐसे केसेज भी हैं जो आज बीस-बीस वर्षों से भी चल रहे हैं और उनका कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर कोई मामला क्रिमिनल कोर्ट में आ गया तो आगे चलकर वह क्रिमिनल कोर्ट से निकल कर सिविल अफसर के पास आ गया, वहाँ से निकलकर सेशन कोर्ट में पहुँच गया और इस तरह से चक्कर खाते खाते वह मुकद्दमा बढ़ता ही चला जाता है। मतलब यह है कहने का कि डिस्पोज़ ओफ (dispose of) करने की हमारे यहाँ यही प्रवृत्ति है। अमुक समय में, १२ महीने में, डेढ़-दो या तीन साल में जल्दी से जल्दी कोई मुकदमा तय हो जावेगा, यह कोई नहीं कह सकता और मजा तो यह कि डिस्पोज़ल किसी भी मुकद्दमे का जब जल्दी नहीं होता तब भी हमारे यहाँ इस क्लॉज में यह तय कर रहे है कि यदि तीन साल तक एक आदमी का कब्जा करने के बावजूद किसी प्रकार का कोई ऐतराज करे और ऐतराज करने वाले और कब्जा करने वाले के बीच मुकदमा चले तो तीन साल तक भी अगर मुकदमा फैसल न हो तो एक आदमी को दण्ड दिया जावेगा और वह आदमी वह होगा जिसको कब्जा करा दिया गया हो। तो एक पक्ष में एक चीज हो जाती है। डिवीजनल अफसर, कलेक्टर आदि एन्क्वायरी करते हैं और फिर जब वे उचित समझते हैं कि जिस शख्स ने दरख्वास्त दी है उसका कब्जा मुन्तकिल कर दिया जावे और उसको जब कब्जा मिलता है तब हो सकता है कि उनके इस फैसले से कोई आदमी नाराज हो, पर वह कमिश्नर के पास अपील करे, किसी दूसरे कोर्ट में अपना रोना, पीटना करे और ऐसे कोर्ट के जरिये से वह इस बात की उम्मीद करे कि उसे वहाँ से न्याय मिलेगा और इस उम्मीद ही उम्मीद में कलेक्टर के पास ऐतराज करने से लेकर कमिश्नर के कोर्ट और ऊपर के कोर्टों तक सारा समय तीन साल का लग जावे और अगर तीन साल के समय के अन्दर उसे फैसला मिल गया तब तो ठीक, पर अगर इस सारे समय में उसकी यह तीन साल की अवधि समाप्त हो जावे और बाद में अगर फैसला हो और इस बीच में न हो तो वह उन अधिकारों से वंचित कर दिया जावेगा। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यह तो कोर्टों की, कमिश्नर की गलती हो सकती है; सम्मन की तामील कराने वाले की गलती हो सकती है, इरिगेशन अफसर की गलती हो सकती है कि जिन्होंने इस केस को डिसाइड करने में तीन साल से

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

अधिक समय लगा दिया । अगर उनकी नीयत हो तब तो तीन साल की नौबत नहीं आवेगी । एक महीने, दो महीने में पूरे फैक्टस के आधार पर मुकदमे का फैसला हो सकता है, पर एक मुकदमा एक महीने में तय हो जावेगा यह मानकर नहीं चल सकते । तो फैसला करने में गलती हमारी और दण्ड दें उसका उस आवेदन करने वाले को । जो ऐतराज करे उस पर दण्ड हो सकता है, पर हमने कानून बना दिया कि जिस आदमी ने दर्ख्वास्त दी वही आदमी अपने अधिकार से वंचित कर दिया जावेगा । यह कोई व्यवहार की बात नहीं । इसमें कोई लौजिकता नहीं, किसी प्रकार की मोरेलिटी नहीं और लीगल स्टेन्ड भी नहीं; पर फिर भी कानून ऐसा बनाते हैं आप । मुकद्दमें का डिस्पोजल देर में हो पर डिस्पोजल करना उस व्यक्ति के हाथ की बात नहीं, सरकार के हाथ की चीज है । अब कोई और आदमी चाहे कि इस मुकद्दमे को लम्बा करना ही है ताकि उस व्यक्ति के अधिकार का हनन हो जावे तो वह ऐतराज करने वाला जान-बूझकर भी देर लगावेगा, गवाहों को समय पर हाजिर नहीं करेगा, आवश्यक डोक्युमेन्ट्स को पेश नहीं करेगा और इन सबके लिए ६ महीने की लम्बी तारीख दे दी गई, यदि कलेक्टर के वहाँ यह केस चला और उसने इन सब कामों में आठ-दस महीने ले लिये और उसे अगर कमिश्नर के यहाँ अपील करनी है जिसमें तीन महीने यों ही लग गये, दुबारा सम्मन आये, काफी समय उसमें लग गया, शहादतें समय पर पेश नहीं होने दीं, मेडिकल सर्टीफिकेट पेश कर दिये, तो ४-६ महीने की गई और इसी तरह की बीसों बातें हो सकती हैं, जिनकी वजह से देर कर देगा । इस तरह एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया कि जिसने ऐतराज किया है वह लोगों को पैसा या और लालच देकर, रिश्वत देकर भी वह कोशिश करे कि यदि जीतने की सूरत नहीं नजर आ रही है तो इस मुकद्दमे को तीन साल तक लम्बा डाल दिया जावे तो फिर इस तरह से उस आदमी का कब्जा हट जावेगा और मेरा हो जावेगा और इस तरह बिना किसी सही चीज के सारी की सारी जमीन मेरे कब्जे में आ जावेगी, यह सोचकर ऐतराज करने वाला इस तीन साल की मियाद को हर सम्भव तरीके से लम्बा करेगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गम्भीरता से इन सारे पहलुओं पर सोचकर और इसके सम्भावित परिणामों को सोचकर आप मेरे इस संशोधन को मन्जूर कर लें तो ज्यादा ठीक होगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, जिस बारीकी से माननीय सदस्य ने देखा है इन कठिनाइयों को उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन मेरा खयाल है कि बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं कर ली गई हैं जिनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं रहता है ।

मुकद्दमेबाजी हो जाय इसलिए बहुत सा समय निकल जाय; ये सारी चीजें कल्पना के आधार पर हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन जहाँ यह: "If any of the rules and conditions prescribed by this section are not complied with or if any water course constructed or transferred under this Actis disused" "कन्स्ट्रक्टेड' और 'ट्रान्सफर्ड का अर्थ यह है कि" FINAL rights of the parties have been decided; कन्स्ट्रक्शन' का मतलब से फाइनल रेट्स तय हो जायगीं तब कन्स्ट्रक्शन होगा । उसके बाद मुकद्दमेबाजी की गुंजाइश रह नहीं जाती है । इस आधार पर बहुत सारी बातें कही हैं उनका फोर्स नहीं रहता है ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्लाज़ २६ और २७ को पढ़ लेते तो इतना कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलेक्टर का फेसला फाइनल नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं यह नहीं कहता कि कलेक्टर का फैसला फाइनल है, लेकिन फाइनल फैसला होने पर ही ट्रान्सफर माना जायगा।

श्री भैरूंसिंह—यह नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—फाइनल फैसला होने पर कन्स्ट्रक्शन नहीं होगा...

श्री भैरूंसिंह—क्लॉज २५ को पढ़ लीजिये, ताकि यह शक दूर हो जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे तो ऐसी बात नहीं मालूम है जिसमें कि आप जो कहते हैं उसके विपरीत बात हो।

श्री भैरूंसिंह—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ २५ में यह है कि जहाँ आदमी ने अपना कब्जा माकूल कर लिया......

श्री टीकाराम पालीवाल—आप पढ़िये ताकि मालूम हो।

श्री भैरूंसिंह—"If no such objection is made or if the Collector over-rules it, he shall give notice to the Divisional Irrigation Officer and shall proceed to place the said aplicant in occupation of the land marked out or of the water course to be transferred, as the case may be" इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है और ऐसा ऑब्जेक्शन होने पर कलेक्टर ने उसको ओवर रूल कर दिया तो कलेक्टर डिवीजनल इर्रिगेशन ऑफिसर के पास लिखेगा कि उस दरख्वास्त को केन्सिल किया गया है और उस जमीन पर कब्जा करा दिया जाय। यह तो एक बात हुई।

आगे क्लाज २७ को पढ़ते हैं तो उसमें है कि "If the Irrigation Officer disagrees with the Collector, the matter shall be referred to the Commissioner for decision. Such decision shall be final and the Collector if so directed, shall, subject to the provisions of section 28, cause the said applicant to be placed in occupation of the land so marked out or of the water course to be transferred, as the case may be."

तो, मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि क्लॉज़ २५ के मातहत यह समझा जा सकता था जो कुछ कलेक्टर फैसला दे दे वह बिल्कुल वाजिब है, लेकिन क्लॉज़ २७ के मातहत वह एक दफा फैसला दे दे तो भी इर्रिगेशन ऑफिसर चाहे तो कमिश्नर के पास अपील कर सकता है और कमिश्नर चाहे तो उसको कब्जा कराये या नहीं, लेकिन वह फैसला बिल्कुल फाइनल फैसला होगा और फाइनल फैसला देने के पहले कमिश्नर दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, दोनों पार्टीज़ के आब्जेक्शन को

[श्री भैरूंसिंह]

इन्वाइट करेगा और उसके इन्वाइट करने के बाद में जो फैसला होगा वह फाइनल होगा। कलेक्टर का फैसला किसी सूरत में फाइनल नहीं हो सकता है इसलिए फाइनल कमिश्नर के यहाँ से होने में ३ साल का समय लगेगा इरिगेशन ऑफिर कम्प्लेन करेगा कि कलेक्टर का जो कुछ फैसला हुआ है वह अनुचित है। और इस आधार पर एक-एक तरफ से दलीलें दी जायंगी, दलील में वह बतलायेंगे कि इसलिए ऑब्जेक्शन है, इसलिए अपील की है फिर एप्लीकेशन देने वाला दलील करेगा। मेरा खयाल है कि इसमें ३ साल का समय लग सकता है। माननीय मन्त्री महोदय को अनुभव है। यह बात अलग है कि वे वास्तविकता से आज इन्कार कर दें लेकिन हमारे यहाँ की कोर्ट्स की हालत वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुकद्दमात के disposal में कितनी जल्दी होगी। क्लाज़ को ठीक ढंग से पढ़ें और पढ़ने के बाद मालूम होगा। फैसलों में काफी समय लगता है। इस तरह से ३ साल मुकद्दमें के डिस्कशन में चले जायेंगे और उस पर उसका माकूल कब्जा हो जायगा। राजस्थान सरकार इस तरह के कानून बनाये, जैसे कि सरकार की मरजी हो, तो उसमें किसी प्रकार का औचित्य नहीं रहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य की जो शिकायत है उसके लिए २५ और २७ क्लॉज़ेज़ दोनों को साथ-साथ पढ़ने की शायद आवश्यकता होती है। कलेक्टर कब्जा दिला दे और बाद में इरिगेशन ऑफिसर उससे एग्री (agree) नहीं करे और उसके एग्री नहीं करने पर कमिश्नर को फैसला करना पड़े और कमिश्नर का फैसला कलेक्टर के फैसले से भिन्न हो तो वे शक करते हैं...

श्री भैरूंसिंह—Yes, sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरा कहना है कि वे क्लॉज़ २५ को फिर से पढ़ें: "If no such objection is made, or (where such objection is made) if the Collector over rules it, he shall give notice to the Divisional Irrigation Officer and shall proceed to place the said applicant in occupation of the land marked out or of the water course to be transferred, as the case may be."

इसके बाद में आता है —"If the Collector considers any objection made as aforesaid to be valid, he shall inform the Divisional Irrigation Officer accordingly, and, if such officer sees fit, he may, in the case of an application under section 21, alter the boundaries of the land so marked out and may give fresh notice under section 22."

फिर क्लॉज़ २७ है—If the irrigation officer disagrees with the Collector the matter shall be referred to the Commissioner for decision. Such decision shall be final and the Collector, if so directed, shall, subject to the provisions of section 28, cause the said applicant to be placed in occupation of the land so marked out or of the water course to be transferred, as the case may be."

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसके साथ फिर दुबारा पढ़ें २६ (२) को तो—"(2) If any of the rules and conditions prescribed by this section are not complied with or if any water course constructed or transferred under this Act is **discussed** for three years continuously, the right of the applicant, or of his representative in interest, to occupy such land on water course shall cease absolutely."

इसके मायने यह हैं कि वाटर कोर्स या तो कन्स्ट्रक्ट कर लिया लेकिन वह 'डिस्यूज्ड' है; उसका मतलब है कि वाटर कोर्स 'डिसयूज्ड' रहता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके लिए एक फॉर्मल एमेंडमेंट मूव हो कि "discussed" की जगह "disused" कर दिया जाय । इसको नामन्जूर करें तो भी अच्छा है ।

श्री भैरूंसिंह—"disused" से सारा शक साफ हो जाता है । कॉपी में 'डिसकस्ड" है : इसीलिए शक है ।

श्री सभापति—Would you like to withdraw your amendment.

श्री भैरूंसिंह—तो यह अमेंडमेंट किया जाय कि यह 'डिसयूज्ड' है या 'डिसकस्ड' है, इसमें कौनसा सही है जो गलत है उसको हटा दिया जाय ।

श्री टीकाराम पालीवाल—'डिसयूज्ड, है ।

श्री भैरूंसिंह—After the correction is made I beg to withdraw my amendment.

श्री सभापति—Is it the leave of the House to aellow hiem to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भैरूंसिंह—I withdraw my amendment.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस क्लॉज़ में जो शब्द 'discussed' है उसके स्थान पर शब्द 'disused' कर दिया जावे ।

श्री सभापति—क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि यह क्लॉज़ २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

यह क्लाज़ २६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३१, श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir., I beg to move the following amendment to clause 31. The following proviso be added to the clause :—

"Provided that there shall be no increase in the existing irrigation rates prevailing in different parts of Rajasthan.

Provided further that where separate irrigation rates are not charged at present, the same system shall continue."

माननीय चेयरमेन, राजस्थान का निर्माण कई छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर हुआ है। छोटे-छोटे राज्यों में फंडस की बहुत कमी थी इसलिये वे राजा लोग सिंचाई के साधन जुटाने के लिये फंड्स की कमी महसूस करते थे। लेकिन राजा लोग चाहते थे कि अपने बड़े-बड़े खर्चों को मीट करने के लिये सिंचाई के साधन बढ़ावें। इसलिये उन्होंने कई बड़े-बड़े बांध और तालाब बनवाने की व्यवस्था शुरू की। उन लोगों ने यह ढंग अख्त्यार किया कि जनता को नोमिनल मजदूरी देकर उनसे श्रम का काम लिया जाय और दूसरे ढंग से बाद में उनको छूट दी जाय। इस ढंग से कई तालाब बने

[श्री चाँदमल मेहता]

और किसानों पर इरिगेशन की साधारण दर लगाई गई। लेकिन आज जब कभी मौका आता है तो उन रेट्स में तब्दीली कर दी जाती है और वह बढ़ा दी जाती है और जब रेट बढ़ाने का विरोध करते हैं तो कहते हैं कि खर्चा बढ़ गया, इसलिये रेट बढ़ाना भी आवश्यक हो गया है। जहाँ तक मुझे अनुभव है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि राजस्थान सरकार का खर्चा अवश्य बढ़ा है लेकिन ऐसा खर्चा बढ़ा है जिससे जनता का कोई हित नहीं है (विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर-हियर') बड़े-बड़े अधिकारी बढ़े हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ी है तथा और भी दूसरे फालतू खर्चे बढ़े हैं लेकिन सही माने में जहाँ तक बांध, तालाब, ड्रेनेज आदि के maintenance का सवाल है, खर्चे में कमी की गई है। किशनगढ़ की पुरानी रियासत में बहुत बड़े तालाब हैं। उनके maintenance व सिंचाई की व्यवस्था पर जितना खर्चा राजाओं के समय में किया जाता था आज उसका चौथाई भाग भी खर्च नहीं किया जाता। सिंचाई की आज्ञा देने वाले अधिकारियों (जिलेदार) के लिये किशनगढ़ में रहने तक की गुंजायश नहीं रही है। तहसील सरवाड़ में जहाँ पहले सिंचाई की व्यवस्था व आज्ञा देने के लिए अफसर रहते थे उनका हेड क्वार्टर कर दिया गया है टोंक में। जहाँ तालाबों की देख-रेख के लिये आदमी रहते थे वहाँ अब कोई आदमी नहीं है। इस प्रकार अराई तहसील में सिंचाई की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ेगी, मोजमाबाद से जो ८० मील दूर है। पहले जो आदमी रहते थे वे जरूरत पर उसी समय मरम्मत आदि कर देते थे, पर आज उसकी कोई परवाह नहीं करता और तालाबों की मेन्टेनेन्स के लिये कोई आदमी नहीं है। एक ओर तो यह हालत है और दूसरी ओर यह कहते हैं कि मेन्टेनेन्स का खर्चा बढ़ गया है, इसलिये कर बढ़ाना जरूरी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजाओं के जमाने में जो सुविधाएं थीं कम से कम उनको तो कायम रखना चाहिये। किशनगढ़ में नोमिनल रेट्स लगाने की प्रेक्टिस थी। किशनगढ़ में 'दस्तूर अमल' नाम से एक किताब है, उसमें यह दर्ज किया गया है कि तालाब आदि के जो काम कराये गये हैं उनके लिये मजदूरों को नोमिनल रेट मजदूरी की दी गई है इसलिये सिंचाई की जो कम रेट चालू है वह आगे भी चालू रहेगी। लेकिन आज जो व्यवस्था की गई है उसमें बताया जाता है कि यदि पहले का कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं है तो नये रूल्स व नियमों के अनुसार रेट बढ़ाई जायेंगी। एक तरफ तो समय-समय पर आप यह कहते रहते हैं कि किसानों को पुरानी रियासतों में जो सुविधाएं थीं वे कायम रहेंगी और दूसरी ओर रेट्स बढ़ाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में ख्याल करके जो रेट्स पहले थीं उन्हीं को कायम रहने दीजिये और इसी तरह की व्यवस्था करिये।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि जिस जगह सिंचाई की रेट अलग नहीं ली जाती हैं वहाँ वहाँ तरीका चालू रखा जावे। जब जमीन का लगान मुकर्रर किया जाता है तो बारानी जमीन के लिये बारानी का लगान मुकर्रर किया जाता है और नहरी जमीन के लिये नहरी का लगान मुकर्रर किया जाता है और वह लगान बारानी के लगान से ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नहरी जमीन में पानी मिलता है इसलिये सिंचाई के चार्जेज़ शामिल करने से बारान जमीन से यह लगान ज्यादा मुकर्रर होता है। इस तरह से जहाँ लगान में सिंचाई के चार्जेज़ शामिल होते हैं वहाँ सिंचाई की अलग रेट नहीं होनी चाहिये। मेरे एक प्रश्न के जवाब में १६ तारीख को यह मन्जूर किया गया था कि अराई तहसील में जो रेट सेटलमेन्ट की है उसमें सिंचाई के चार्जेज़ शामिल आ

[श्री चाँदमल मेहता]

गये हैं। मुझे उक्त प्रश्न के जवाब में यह सुनकर आश्चर्य हुआ जब यह कहा गया कि इस तहसील में सिर्फ दो ही, दांदिया और फीरोता गाँव ऐसे हैं जहाँ यह रेट शामिल नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन गाँवों में अफसर लोग गए हैं और बेजा फायदा उठाना चाहते थे। वे गाँव वालों को कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ सिचाई की रेट नहीं है इसलिये सिचाई की रेट अलग लगेगी और सिचाई चार्जेज़ जबरन वसूली की कोशिश की। इस बारे में एक बार मन्त्री महोदय के पास शिकायत की गई तो उन्होंने सिंचाई की वसूली को सस्पेन्ड भी किया था। उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सेटिलमेंट होने के बाद दांदया और फीरोता में कभी सिचाई के चार्जेज वसूल नहीं हुए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ लगान मुकर्रर करते वक्त सिचाई की रेट शामिल रखी है वहाँ अलग रेट नहीं होनी चाहिये। इस तरह का सिस्टम अब भी है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सिचाई मन्त्रीजी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किशनगढ़ से आये हुए सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है, मैं भूल गया वे किशनगढ़ से नहीं आये हैं परबतसर से आये हैं, किशनगढ़ से तो मुख्य मन्त्रीजी आये हैं। किशनगढ़ से उनका तबादला हुआ है, मुझे यह चीज याद नहीं रही। कायदे के अनुसार तो याद रखनी चाहिये थी। खैर, परबतसर से जो मित्र आये हैं उन्होंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसका मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूँ।

और इस समर्थन के जरिये, मेरा खयाल है कि सदन के सदस्यों को और माननीय मन्त्री महोदय को भी इस बात की तसल्ली हो जायगी कि यदि कांग्रेस की तरफ से भी कोई वाजिब बात उठे तो महज इस वजह से उसका विरोध किया जायगा कि वह कांग्रेस की तरफ से उठी है, इस तरह का जो उनका कहना है वह गलत है। वाजिब बात हो तो उसका समर्थन होना चाहिये।

दूसरे, इसके सिलसिले में भी विचार हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं वे हकीकत के और अनुभव के आधार पर कही हैं और चन्द मिनिट पहले माननीय मन्त्री कह रहे थे कि सारे हिन्दुस्तान की तरफ देख कर विचार किया करें तो इस सवाल पर वे भी जरा गौर करें कि दूसरे इलाकों में क्या परिस्थिति है, तो उनको तसल्ली हो जायगी? दूसरी जगहों में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जहाँ पानी का अलग चार्ज किया जाता है वहाँ लैंड को बैरानी करार दिया जाता है, जहाँ जमीन का (अश्रव्य) क्लास के हिसाब से चार्ज किया जाता है वहाँ सिंचाई चार्ज नहीं होती।

राजस्थान की रेंट रेट्स रिपोर्ट में पिछले दो वर्षों में जिनको क्वोट किया गया, बम्बई के सेटलमेंट कमिश्नर, नाम शायद सिम्पसन या ऐसा ही कुछ है, उन्होंने एक पुस्तिका भी लिखी है, उसका हवाला माननीय मन्त्री महोदय को दूंगा कि जिसके जरिये माननीय मन्त्री महोदय को सहूलियत हो कि अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

Page No.90

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरी बात जो परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने कही कि सिंचाई की दर पहले से जितनी लागू है उतनी ही रखी जाय।

मेरे मुंह से यदि यह आवाज आती तो शायद कहा जाता कि यह गलत दृष्टिकोण है, लगातार गलत समझने का। लेकिन अपने सहयोगी के मुंह से, पार्टी के हम साथी के मुंह से, जिनका उपकार न सिर्फ इस सदन पर है अपितु मन्त्रीमण्डल पर भी है, जिसको कहीं से ढूंढ-ढूंढ कर मुख्य मन्त्री लाने की समस्या के हल में हमारे माननीय मित्र ने जान-बूझ कर मुख्य मन्त्री के लिए स्थान रिक्त किया, उनकी बात का तो आदर किया जाय, उनकी बात को तो केवल भड़काने वाली बात कह कर टाला न जाय।

इसके समर्थन में मेरा कहना यह है कि सच जो है कि वह सिर पर चढ़कर बोलता है। इससे तसल्ली हो जानी चाहिये मन्त्री महोदय को कि यदि सच बात नहीं मानेंगे तो बाहर जो आन्दोलन होता है वह तो होगा ही, इस सदन के अन्दर भी शुरू हो जायगा। अगर वैसी परिस्थिति नहीं होने देना है तो वे ये दोनों के दोनों सुझाव मान लें। मैं यह आशा करता हूँ कि डरा-धमका कर अमेंडमेंट विद्ड्रा नहीं करवाये जायेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—सभापति महोदय, संशोधन वैसे तो बहुत सीधा सा है और यदि मैं इसको स्वीकार करने की स्थिति में होता तो मुझे भी बहुत खुशी होती। लेकिन बावजूद माननीय सदस्य के जो जोधपुर से तशरीफ लाये हैं उनके सारे समर्थन के बावजूद और उन्होंने जितना महत्त्व इस संशोधन और इस संशोधन के रेज़ करने वाले मित्र महोदय को दिया है, इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूँ।

यह कहना कि राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ अब तक की इरिगेशन की रेट्स, जो किसी किसी जगह तो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, वे सब उसी ढंग में, जैसी आज हैं वैसी हमेशा के लिये रखी जांय। वह मेरे खयाल से कोई भी आदमी, जो शासन को चलाने की दृष्टि रखता है न तो मान सकता है और न सोच ही सकता है। इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने के माने हैं कि यह कानून ही पास नहीं किया जाय, इसको स्वीकार करने से यह सारा का सारा कानून खत्म हो जाता है। जो कारण उन्होंने दिया कि पहले जिन्होंने बन्ध बनाए थे सस्ते बनाए थे, यह कल्पना की चीज है, जिनका कोई तथ्य हमारे पास नहीं। उन सब कारणों के सुनने के बाद भी मैं अपने आपको असमर्थ पाता हूँ इस संशोधन को स्वीकार करने में।

मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मन्त्री महोदय ने मेरे पहले प्रोवीज़ो के बारे में ही जवाब दिया है और दूसरे प्रोवीज़ों के बारे में मौन साधा है। सिंचाई के चार्जेज जहाँ अलग वसूल

[श्री चाँदमल मेहता]

नहीं किये जाते हैं और लगान में शामिल हो गए हैं सरकार उनसे अलग चार्जेज वसूल करना चाहती है। अराई तहसील में जो लगान की रेट्स मुकर्रर की गई हैं उसमें सिंचाई की रेट आ गई है और इसे सरकार द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया जा चुका है। माननीय मन्त्री महोदय फिर से विचार करेंगे कि जहाँ सिंचाई की रेट लगाने में आ गई है वहाँ दूसरी और सिंचाई रेट लेना नावाजिब होगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—कानून के नियमों को कंसीडर करते समय जो वेलिड सुझाव होंगे उन पर विचार किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह विश्वास दिलाने पर कि माननीय मन्त्री महोदय, इसके जब नियम बनाए जायेंगे उस समय इस पर विचार करेंगे, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की इच्छा है कि श्री मेहता अपना संशोधन वापिस लें।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान हुई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

चूँकि अब समय हो गया है अतः आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल शाम को ५ बजे कार्यवाही फिर होगी।

(सदन की कार्य-वाही ६ बजे रात्रि को दिनांक २६ मई, १९५४ के ५ बजे सायं तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२५ मई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

८५१. (६२/इ. एम.) **श्री महादेव प्रसाद, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६२**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान सरकार ने संस्कृत परीक्षाओं (मध्यमा, शास्त्री) का वेतन स्तर (ग्रेड) क्या निश्चित किया है ?

(ख) यदि कोई वेतन स्तर (ग्रेड) निश्चित किया गया है तो उसे कार्य रूप में लिया गया है या नहीं ?

उत्तर

(क) राजस्थान सरकार ने संस्कृत परीक्षाओं का वेतनस्तर निम्न प्रकार निश्चित किया है:

शास्त्री	७०-४-६०-५-१२५
मध्यमा	५०-४-६०-५-१००

(ख) वेतन दर निश्चित की जा चुकी है और उसे कार्य रूप में भी परिणत की जा चुकी है ।

प्रश्न

८५६. (६७/इ. एम.) **श्री भैरूँसिंह, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १६**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री के सदन में आश्वासन देने के उपरान्त भी जयपुर स्थित गनगोरी बाजार में गर्ल्स ट्रेनिंग कालेज के सामने शराब का ठेका कायम है ?

(ख] क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उस ठेके का वहाँ रहना आवश्यक है ?

(ग) यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं हटाया गया और अब कब तक हटा दिया जायगा ?

Page No.93

उत्तर

(क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) हां दूसरा उपयुक्त स्थान न मिलने से स्थान की तलाश की जा रही है। उपयुक्त स्थान मिलते ही दुकान को स्थानान्तर कर दिया जावेगा।

प्रश्न

८५७ (१०८/ई. एम.) श्री महादेवप्रसाद एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सीकर में शिक्षा विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर ने जो दिनांक १० सितम्बर, ५३ को सीकर और झुन्झुनू जिले के अध्यापकों को ग्रेड्स देने के बारे में इन्टरव्यू किया वह किस आधार पर किया गया?

(ख) इस इन्टरव्यू में कितने अध्यापक चुने गये और जो लिये गये हैं वे किस-किस कौम से सम्बन्ध रखते हैं?

उत्तर

(क) सीकर में शिक्षा विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर ने १० सितम्बर को सीकर और झुन्झुनू जिले के अध्यापकों को ग्रेड देने के बारे में कोई इन्टरव्यू नहीं किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

प्रश्न

८६२. (११६/ई. एम.) श्री घासीराम, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४३—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हरिजन पाठशाला तिजारा (अलवर) को कितनी सहायता सन् १९५२-५३ और सन् १९५३-५४ में दी गई है?

(ख) इस पाठशाला का खर्चा सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में क्या रहा?

(ग) पिछले साल (५३-५४) की सहायता सरकारी नियम के मुताबिक दी गई या नहीं?

(घ) इस साल (५४-५५) के लिये क्या सहायता बढ़ाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

(ङ) क्या सहायता बढ़ाने के हेतु आवेदन-पत्र पाठशाला के अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं ?

उत्तर

(क) हरिजन पाठशाला तिजारा (अलवर) को सरकार की ओर से निम्नलिखित सालाना सहायता पिछले साल के खर्च पर एड के रूप मे दी गई है।

१९५२-५३	में	८६० रु०
१९५३-५४	में	८६० रु०

(ख) सन् १९५२-५३ में इस पाठशाला का खर्चा ९७६ रुपये ग्यारह आने छः पाई हुआ और ५३-५४ का खर्चा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) हाँ। नियमानुकूल है और इसके अतिरिक्त यह हरिजन पाठशाला होने के कारण सरकारी एड देने में भी विशेष रियायत की गई है; यानी ८०% सहायता दी गई है।

(घ) सहायता बढ़ाने के प्रश्न पर आवेदनपत्र व खर्चा आने पर विचार किया जायेगा।

(ङ) नहीं अभी तक आवेदन नहीं आया।

प्रश्न

869. (133/E.M.) **Shri Raghuraj Singh, M. L. A., Div. No. 121**—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) Is it a fact that the new Syllabus for classes I to VIII was out and that books for these classes were called for according to the new Syllabus in March, 1952 ?

(b) Is it also true that the date for receipt of books was changed to August in may 1952, while books as per past Syllabus were continued for 1952-53 vide Government Gazette of 5-7-1952 and the date again changed to November 3 for receipt of books for 1953-54 ?

(c) Why was the date and place changed to 25-3-54 at Bikaner when the publishers, whose books were selected, were called to Jaipur on 15-3-54 by the Director of Education for signing the agreement ?

(d) Does it not mean unnecessary harassment of the Publishers and if so will the Government institute an inquiry and take immediate steps to stop such wrong doings in future ?

(e) Who will be responsible for payment of the claims for losses suffered by the publishers, if they file suits against the Rajasthan Government ?

उत्तर

(a) Yes.

(b) Yes, the dates for submission of books were changed from 7-5-52 to 4-10-52 and 4-10-52 to 3-11-52; old books were continmd in the meanwhile.

(c) No such change was made.

(d) The question does not arise.

(e) The question does not arise.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७३ का उत्तर देखिये)

		(जिला)
१.	चाकसू	जयपुर
२.	जम्वा रामगढ़	जयपुर
३.	बैराठ	जयपुर
४.	उदयपुर	झुंझुनू
५.	कानवत	सीकर
६.	खंडेला	सीकर (पहले से मान्यता मिली हुई है)
७.	साँगोद	कोटा
८.	माँगरोल	कोटा
९.	छीपा बारोद	कोटा
१०.	टोडा भीम	सवाई माधोपुर
११.	झालावाड़	झालावाड़
१२.	बानसूर	अलवर
१३.	मजारी कलाँ	अलवर
१४.	रामगढ़	अलवर
१५.	नगर	भरतपुर
१६.	नदवई	भरतपुर
१७	रूपवास	भरतपुर
१८.	फतहनगर	उदयपुर
१९.	सिमलावाड़ा	डूंगरपुर
२०.	बेगू	चित्तौड़
२१.	रायपुर	भीलवाड़ा (पहले से मान्यता मिली हुई है)
२२.	नोखा	बीकानेर
२३.	राजलदेसर	चूरू
२४.	हनुमानगढ़	गंगानगर
२५.	सूरतगढ़	गंगानगर
२६.	बालेश्वर	जोधपुर

२७.	सिवाना	बाडरमे
२८.	परवतसर	नागौर
२९.	कुचेरा	नागौर
३०.	खाटू	नागौर
३१.	मालवाडा	जालौर
३२.	जोधपुर	जोधपुर